राम प्रकाश अनंत

प्रथम संस्करण — जुलाई 2013 प्रतियां- 3000 पुनर्मुद्रण - जनवरी 2014
प्रकाशन- देश-विदेश पत्रिका (फोन न. 09818622601) मूल्य - 15 रूपए

भ्रष्टाचार को उसके शाब्दिक अर्थ, भ्रष्ट आचरण (आचार) जैसे व्यापक अर्थ में न लेकर उसके आर्थिक पहलू तक सीमित रह कर विचार करेंगे । दरअस्ल आर्थिक पहलू से जुड़ा भ्रष्टाचार ही इतना व्यापक है कि सम्पूर्णता में उस पर विचार करना कठिन प्रतीत होता है । आज समाज का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो भ्रष्टाचार से अछूता हो । हम यहाँ उन क्षेत्रों का जिक्र करेंगे जिनसे आम जन-जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है अथवा परिश्रमी जनता की गाढ़ी कमाई को भ्रष्ट लोग हड़प कर एय्याशी करते हैं । यहाँ हम निम्नलिखित क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर विचार करेंगे

1. आद्यौगिक अथवा कॉपेरिट भ्रष्टाचार
2. सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार
3. राजनीतिक भ्रष्टाचार
4. एन.जी.ओ. यानी गैर सरकारी संगठनों का भ्रष्टाचार
5. न्याय पालिका में भ्रष्टाचार
6. धार्मिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार
7. मीडिया में भ्रष्टाचार
8. सेना में भ्रष्टाचार
9. क्रिकेट में भ्रष्टाचार

औद्यौगिक अथवा कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार-

देश में आजादी के बाद पूँजीपतियों की सम्पत्ति तेजी से बढ़ी है । स्थिति यह है कि कुल 100 लोगों के पास देश की 25% सम्पत्ति है । लगातार पूँजीपतियों

की सम्पत्ति बढ़ने के कई कारण हैं । पहली बात तो यही है कि उद्योगपति मजदूरों का भारी शोषण करते हैं । सारे कानून पूँजीपतियों के अनुसार ही बनाए जाते हैं और वे मजदूरों के शोषण में सहायक होते हैं । कम्पनियों का एक सूबीय कार्यक्रम होता है कारोबार बढ़ाना । इसके लिए उन्हें जो भी करना पड़े करती है । भ्रष्ट से भ्रष्ट तरीका अपनाना पड़े अपनाती हैं ।

इस दौर का सबसे चर्चित घोटाला 2जी स्पेक्ट्रम रहा है । 1.7 लाख करोड़ रू. का घोटाला ए. राजा जो दूर संचार मंत्री थे उन्हें कुछ दिन जेल में भी गुजारने पड़े हैं पर टेलीकाॅम कम्पनियाँ का कुछ नहीं हुआ । घोटाला अकेले राजा ने तो किया नहीं है । घोटाला दूर संचार मंत्री व कम्पनियों ने मिल कर ही किया है । कम्पनियाँ घोटाले करें, खुलेआम लूटें उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ।

1.7 लाख करोड़ का 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ यही टेलिकॉम कम्पनियाँ रोज करोड़ों का घोटाला कर रही हैं । टाटा डोकोमो ने एक दिन मेरे 110 रूपए काट लिए, यह कह कर कि मैंने वालपेपर डाउनलोड किए हैं । मैंने कस्टमर केयर पर बात की तो उसने 35 रूपए वापस किए । बोला - इससे अधिक पैसे वापिस करने का नियम नहीं है । यह कैसा बेहूदा नियम है कि आप बेवजह किसी के 110 रूपए काट लें और उसमें से केवल 35 रू. वापस करेंगे । अगर आपने धोखे से कोई सेवा शुरू कर दी तो उसे शुरू होने सेकण्ड भर लगेगा लेकिन बंद कराने के लिए आपको महीनों लग जाएंगे और आपके पैसे कटते रहेंगे । आपके नम्बर पर कभी-कभी कोई टोन लगाई जा सकती है और आपके पैसे काटे जा सकते हैं । आप अपना फोन रिचार्ज कराएँ और चैबीस घंटे में आपके पैसे ही उड़ जाएँ क्योंकि वह रिचार्ज 24 घंटे के लिए ही था और यह बात आपको स्पष्ट रूप से बताई नहीं गई थी । पाँच-छः साल पहले जब मैं दिल्ली में था तो वोडाफोन वाला एक पोस्टपेड कनेक्शन झूठी बातें बोलकर भेड़ गया और 400-500 रू. (इसी के आस पास रहे होंगे) ले गया । जब कम्पनी की तरफ से मुझसे जानकारी हासिल करने के लिए फोन आया तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझे चीट किया है तो उसका जबाब था - कम्पनी हमें इसी

लिए यहाँ बिठाती है । आप कहेंगे कहाँ 2जी स्पेक्ट्रम महा घोटाला और कहाँ कम्पनियों की ये छोटीं-मोटी बदमासियाँ । देश में साठ करोड़ मोबाइल धारक बताए जाते हैं । हर मोबाइल उपभोक्ता इस तरह की परेशानियों का सामना करता है । इस तरह ये छोटी-मोटी बदमाशियाँ हजारों करोड़ रूपए के घोटाले का रूप धारण कर लेती हैं । आप सोच भी नहीं सकते कि त्यौहार के दिन कम्पनियाँ एस.एम.एस. के पैसे बढ़ाकर एक दिन में अवैध रूप से 200 करोड़ रूपए वसूल लेती हैं । आप कहेंगे इसके लिए सरकार ने ट्राइ (दूर संचार नियामक प्राधिक्करण) बना रखी है । कंज्यूमर फोरम है, अदालतें हैं । दरअस्ल ये सब कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार के लिए धोखे की टट्टी हैं । ये उनके भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नहीं रोकने का दिखावा करने के लिए हैं ।

मोबाइल कम्पनी ही नहीं कोई भी कम्पनी जो जिस तरह का व्यवसाय कर रहीं है वह हजार तरह के भ्रष्ट तरीके अपनाकर लूट मचाए हुए हैं । इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकती हैं ।

सन् 1998 में दिल्ली में एपिडेमिक ड्रॉप्सी फैली । इसमें लगभग 60 लोगों की मौत हुई और 3000 लोग प्रभावित हुए । दिल्ली के बाद ग्वालियर कन्नौज और लखनऊ में ड्रॉप्सी फैली । ध्यान देने की बात है कि ड्रॉप्सी प्लेग या कॉलरा (हैजा) की तरह एक दूसरे से फैलने वाला रोग नहीं है । यह सरसों के तेल में आर्जिमोन नाम के खरपतवार के मिल जाने से फैलती है । पहले पूरी दिल्ली में एक साथ ड्रॉप्सी का फैल्ना और फिर लगातार देश भर में जहाँ-तहाँ ड्राप्सी का फल्ना एक बड़ा सवाल तो पैदा करता ही है । इससे यह हुआ कि कुछ समय तक खुले सरसों के तेल की बिक्री बहुत कम हो गई और कम्पनियों के रिफाइंड व बोतल बंद तेल की बिक्री अचानक बढ़ गई । गाँवों में जहाँ देशी घी के बाद लोग सरसों का तेल ही जानते थे वहाँ रसोई में अब लोग रिफाइंड प्रयोग करने लगे हैं ।

2009 में दुनिया भर में स्वाइन फ्लू का जो खौफ पैदा हुआ था उसे हम अभी भूले नहीं होंगे । इसे शताब्दी का सबसे बड़ा फ्रॉड कहा जा रहा है । विश्व

स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डाक्टर्स ने स्वाइन फ्लू का हौवा खड़ा किया फिर उसे विश्व व्यापी (Epidemic) घोषित किया जबकि यह विश्व व्यापी नहीं थी । इसके बदले वैज्ञानिकों ने फार्मा कम्पनियों से मोटा पैसा लिया । यू.के. की फार्मा कम्पनी ग्लेक्सोस्मिथ की अगुआई में फार्मा कम्पनियों ने लिन स्वाइन फ्लू को विश्वव्यापी (Epidemic) घोषित कराया और टेमिफ्लू जैसी दवाएँ व वैक्सीन बेच कर अरबों डालर की चाँदी काटी । हॉलैंड के प्रोफेसर आस्टर हांस जो विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वाइन फ्लू के मुख्य सलाहकार थे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लैब खुद वैक्सीन बनाती है । ब्रिटिस मैक्जीन साइंस न आस्टरहास के आर्थिक हितों पर लिखा उसके बाद पूरे यूरोप के मीडिया में यह स्कैण्डल छा गया । आनन-फानन में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैक्सीन की सिफारिस की जबकि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं थी और बाद में लोगों को इसके दुश्परिणाम भुगतने पड़े । अमेरिका में डा ॅक्टर व नर्सों ने वैक्सीन लगवाने से इन्कार कर दिया था । इस पूरे घोटलें में दवा कम्पनियों ने अरबों डालर कमाए ।

कम्पनियों को लूट की सुविधाएँ मिली हैं उनमें एक सुविधा है उन्हें धंधे के लिए लगी ाग मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराना । देश भर में सरकारी जमीनें मामूली सी लीज पर सरकार कम्पनियों को उपलब्ध कराती हैं । दिल्ली में अरबों की जमीन सरकार ने का ॅर्पोरेट अस्पतालों को दे रखी है कि वे मुनाफे की भारी कमाई के साथ-साथ कुछ गरीब लोगों का भी इलाज करेंगे । दशकों से ये सरकारी जमीन पर बने अस्पताल अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं , किसी गरीब का मुफ्त इलाज करना तो दूर ये इलाज में छूट तक नहीं देते । कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें ऐसे आदेश दिए थे पर इस देश में कॉर्पोरेट के आगे शासन प्रशासन या न्यायालय की चलती ही कहाँ है । सरकारी जमीन ही नहीं किसान व आदि वासियों की जमीनें भी सरकार औने-पौने में कॉर्पोरेट को दिलवाने में लगी हैं । सिंगर पश्चिम बंगाल उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में इसके लिए बनता था जबरदस्त प्रतिरोध हम देश ही रहे हैं । साथ ही सरकार का दमन भी हम देख रहे हैं ।

मजदूरों के शोषण के अतिरिक्त कम्पनियों के पास अपनी दौलत बढ़ाने को जो सबसे बड़े जरिए हैं उनमें से एक है इन्कम टैक्स चोरी । कॉर्पोरेट कम्पनियाँ ही नहीं पूरा उच्च वर्ग जिनमें फिल्म उद्योग छोटे धंधे चलाने वाले लघु पूँजीपति शामिल है इन्कम टैक्स की चोरी करते हैं और दिखावे भर के लिए कम से कम इन्कम टैक्स भरते हैं । दरअस्ल राज्य व्यवस्था ने नियमों में इतने छेद छोड़ रखे हैं कि जैसे फार्ॅम-जी-80 के अंतर्गत कम्पनियाँ टैक्स बचा लेती हैं । आधारभूत ढ़ांचे में सरकार तमाम रियायतें देती है । कम्पनियाँ विकास कार्य व अनुसंधान के नाम पर छूट पा जाती हैं । राज्य व्यवस्था ने बनाए तमाम नियम कानूनों का सहारा लेकर तमाम कम्पनियाँ बिलकुल टैक्स नहीं देतीं । 1996 में वित्त मंत्रालय ने एक अध्ययन कराया जिसमें पता चला कि बाॅम्बे स्टाॅक एक्सचेंज की ऊपर की 1500 में से 1047 कम्पनियों ने 14040 करोड़ रू. का मुनाफा कमाया लेकिन एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया(आस्पेक्ट ऑफ़ इंडियन इकॉनमी अंक-25,पृष्ठ-47)

सरकारें किस तरह टैक्स चोरी और काले धन को सफेद करती हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण स्वैच्छिक आय घोषणा योजना है । यह योजना यू.पी.ए. सरकार के वित्त मंत्री पी.चिदम्बरम ने 31 दिस. 1997 को शुरू की थी । इस योजना के तहत धनी व पूंजीपति अपनी सम्पत्ति की स्वैच्छिक घोषणा कर सकते थे जिस पर बिना किसी सवाल जबाब के थोड़ा सा टैक्स लगना था । इस योजना में जो सम्पत्ति (काला धन) घोषित की गई उस पर सरकार ने कुल टैक्स 10500 करोड़ रूपए वसूल किए । इण्डियन इंस्टीट्यूट आॅफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रो. बकुल एच ढोलकिया के अनुसार स्वैच्छिक आय घोषणा योजना- 97 के तहत घोषित कुल सम्पत्ति का मूल्य मौजूदा दरों के अनुसार 1,22,100 करोड़ रूपए था । मतलब सरकार ने टैक्स के रूप में कुल 8.2% टैक्स वसूला ।

उसके बाद एन.डी.ए. यानी भाजपा सत्ता में आई उसने टैक्स चोरी में पकड़े गए लोगों के लिए जेल भेजने के बजाए कर विवाद समाधान नाम की योजना लागू की । इस योजना के अंतर्गत इन्कम टैक्स अधिकारियों द्वारा पकड़े गए लोगों को

जो धन इन्कम टैक्स वालों ने पकड़ा था उसमें से सिर्फ पचास प्रतिशत सरकार को देना था ।

दरअस्ल कितने तरीकों से बदमाशियाँ करती हैं वे हरि अनंत हरि कथा अनंत हैं । स्थिति यहाँ तक आ गई हैं कि कार्पोरेट मीडिया में भी अब ऐसे शब्दों का प्रचलन होने लगा है - खनन माफिया , रियल एस्टेट माफिया, शिक्षा माफिया । सच में कार्पोरेट ने माफिया का रूप धारण कर लिया है ।

कॉर्पोरेट दलाली यानी लॉबिंग -

यों तो 2जी स्पेक्ट्रम दूसरे घोटालों की तरह ही एक घोटाला था । जिसमें घोटाले की राशि 1.7 लाख करोड़ यानी अब तक हुए सभी घोटालों से अधिक थी । इस घोटाले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह यह है कि इसमें कार्पोरेट दलाल नीरा राडिया का नाम खुल कर सामने आया । यों पूंजीपतियों के हितों में काम करते रहे हैं परन्तु अभी तक अधिकारिक तौर पर कोई मामला इस तरह खुल कर सामने नहीं आया । जब वीरेन्द्र सहवाग खराब फार्म से जूझ रहे थे तब ऐसी खबरें आई थीं कि वे कम्पनियां सहवाग के लिए लाॅबिंग कर रही हैं जिनका वे विज्ञापन करते हैं । कुछ समय पहले दीपक तलवार ने यह माना था कि वह कोको कोला के लिए सरकार व नौकरशाहों के बीच लाॅबिंग करता है ।

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में ए.राजा के अलावा जो सबसे चर्चित नाम है वह नीरा राडिया है । नीरा राडिया सरकार व नौकरशाहों के बीच कार्पोरेट घरानों की साठ गांठ का धंधा करती थी और उसने बाकायदा दलालों के दफ्तर खोल रखे थे जिन्हें वह जन सम्पर्क कम्पनी कहती थी । उसकी इस तथाकाथत जन सम्पर्क कम्पनी नोएसिस में 1966 बैच का आई.ए.एस. ट्राइ (दूर संचार नियामक प्रधिक्करण) का पूर्व प्रमुख प्रदीप बजल भी काम करता था जिसका 2जी स्पेक्ट्रम

घोटाले में नाम आया है नीरा राडिया टाटा घराने के लिए भी दलाली (लाॅबिंग) करती थी । टाटा घराना इसके लिए उसे सालाना 60 करोड़ रूपए देता था । (हिंदुस्तान 17.12.10)

2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में नीरा राडिया की केंद्रीय भूमिका रही है । 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में यह बात खुलकर सामने आ गई है कि कम्पनियां दलालों के माध्यम से कैसे नौकरशाही व सरकार में अपनी पैठ बनाती हैं और अपने काम निकालने के लिए किस-किस तरह के भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करती हैं । 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के बाद , कुछ समय पहले ही जनरल बी.के. सिंह ने इस बात का खुलासा किया है कि ट्राट्रा ट्रकों की खरीद में एक कम्पनी ने एक पूर्व जनरल के माध्यम से उन्हें 1500 करोड़ रूपए की रिश्वत की पेशकश की थी । उसने वी.के. सिंह से कहा था कि अगर आप यह रिश्वत नहीं लेंगे तो ऐसा नहीं है कि सेना में रिश्वत खत्म हो जाएगी । आपसे पहले भी लोग रिश्वत लेते थे आगे भी लेंगे ।

यह मानना ठीक नहीं कि दूर संचार कम्पनियां या ट्रक बनाने वाली कम्पनियां ही अपने दलाल रखती हैं और उनसे भ्रष्टाचार का हर हथकंडा अपनाकर अपने उत्पाद भेड़ती हैं , मुनाफा कमाती हैं, बल्कि सच यह है कि संयोग से ये दो मामले प्रकाश में आ गए हैं वरना पूरे काॅर्पोरेट जगत की मूल स्थिति यही है । इसलिए 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था नीरा राडिया द्वारा चलाए जा रहे दलाली के दफ्तरों की काॅर्पोरेट सेक्टर में भूमिका का खुलकर सामने आना। हालांकि यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी परन्तु आधिकारिक तौर पर इसके खुलकर सामने आने के कई दूरगामी परिणाम होंगे । जैसे मीडिया ने नीरा राडिया को पहले काॅर्पोरेट दलाल के नाम से ही सम्बोधित किया किन्तु बाद में वह उसे काॅर्पोरेट लाॅबिस्ट कहने लगा । यानी काॅर्पोरेट समाज में यह स्थापित करने में सफल हो जाएगा कि वह अपने दलालों के माध्यम से सरकार प्रशासन में जो भ्रष्ट तरीके अपनाता है वह काॅर्पोरेट लाॅबिंग है । दलाल जो काम करता है वही लाॅॅिबस्ट

करता है परन्तु दलाल शब्द से जो निकृष्टता का भाव झलकता है लाॅबिस्ट शब्द में वह भाव छिप जाएगा ।

दरअस्ल लॉबिंग अमेरिका व ब्रिटेन सरित कई यूरोपियन देशों में जायज (वैध) है और उसके लिए कानून बने हुए हैं । भारत में लाॅबिंग न बैध है न अवैध है । न तो लॉबिंग रोकने के लिए कोई कानून है और न उसे वैधानिक दर्जा देने के लिए कोई नियम - कानून है । बस काॅर्पोरेट कम्पनियां , राज्य व्यवस्था के साथ अपनी समझदारी के हिसाब से भ्रष्ट हथकंडों का अपना अपार साम्राज्य फैलाए हुए हैं । नीरा राडिया के रूप में जेब दलाली का यह धंधा सामने आया है तो बहुत सम्भव है कि सरकार लाॅबिंग नाम से इसे कानूनी दर्जा दे दे ।

जब देश भर में नीरा राडिया की दलाली का हंगामा मचा था । उसके नेताओं उद्योग पतियों व पत्रकारों के साथ बातचीत टेप के स्वर दिदिगंत में गूंज रहे थे, ऐसे समय में कम्पनी मामलों के मंत्री सलमान खुर्शीद का जो बयान आया वह इसी ओर संकेत करता है कि आने वाले समय में लाॅबिंग वैधानिक हो जाएगी । उन्होंने 14 दिस. 2010 को इंडिया काॅर्परेट वीक के अवसर पर कहा अगर आप लाॅबिंग या पी.आर. की बात करते हैं तो ये क्षेत्र भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का अंग ही है । इनका अवैध इस्तेमाल या काॅर्परेट गवर्नेंस को बिगाड़ने में इनका उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से हमें इस पर गौर करना होगा ।

मतलब साफ है कि आने वाले समय में काॅर्परेट के दलाली के हथकंडों को वैधानिक तौर पर लोकतांत्रिक ढांचे का अंग बनाया जा सकता है और कानून के नाम पर कुछ ऐसे रास्ते बनाए जा सकते हैं जिनसे होकर राडिया जैसे दलाल आसानी से निकल जाते ।

काॅर्परेट दलाल यानी लॉबिंग का काम होता है, सरकार व नौकरशाहों को खरीद कर अपने हित में नियम - कानून बनवाना , नियम कानूनों को ताक पर रखकर, अपनी फाइलें आगे बढ़वाना । सरकारी संसाधनों की लूट-खसोट में कम्पनियों

का सहयोग करना । मीडिया में कम्पनी व उसके मालिक की छवि चमकाना । यह बिना वजह नहीं है कि राडिया का मामला प्रकाश मे आते ही टाटा ने बयान दिया कि उनसे भी 15 करोड़ की रिश्वत मांगी गई थी । मीडिया ने इस बयान को हाथों हाथ लिया, अखबारों में पहले पृष्ठ की सबसे बड़ी खबर थी । टाटा जैसे महापुरूष से रिश्वत मांगी गई, ऐसे कैसे उद्योगों का विकास हो सकता है । जिन कार्पोरेट का अपना मीडिया नहीं है वे मीडिया को मैनेज करने के लिए राशि खर्च करते हैं ।

खुर्शीद सही कह रहे हैं कि लॉबिंग लोकतांत्रिक ढांचे का अंग ही है । दरअस्ल कम्पनी और कम्पनी मामलों के मंत्री के लिए लोकतंत्र का अर्थ पूंजीपतियों द्वारा अधिक से अधिक कम्पनी खोलना और फिर उनके उत्पाद से अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है । ऐसे में यह स्वाभाविक ही है कि एक कम्पनी दूसरी कम्पनी से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दलाली जैसे हथकंडे अपनाए । वस्तुतः दलाली या लॉबिंग कार्पोरेट जगत का अपना अंतविरोध है और कार्पोरेट विकास के साथ उसका लोकतांत्रिक ढांचे का अंग बनना स्वाभाविक बात है । इसलिए अमेरिका और यूरोपीय देश जैसे विकसित पूंजीवादी देशों में लॉबिंग वैधानिक रूप से लोकतांत्रिक ढांचे का अंग बन गई जबकि भारत जैसे विकासशील देश में उसे वैधानिक रूप से लोकतांत्रिक ढांचे का अंग बनने के लिए अभी कुछ समय और लगेगा ।

लॉबिंग यानी कार्पोरेट दलाली को और अच्छी तरह समझने के लिए हम यहां कुछ उदाहरण लेते हैं । दवा कम्पनियां एक ही ड्रग को अलग-अलग नामों से बनाती हैं । जैसे पैरासिटामोल एक ड्रग का नाम है इसे ग्लेक्सो स्मिथक्लिन क्रोसिन नाम से बेचती है । ग्लेक्सो नाम की कम्पनी कालपोल के नाम से बेचती है । ऐसे ही पचासों कम्पनियां हैं जो पैरासिटामोल नाम की बुखार की दवा (ड्रग) को अपने-अपने नामों से बेचती हैं । पचासों कम्पनियां पैरासिटामोल नाम की दवा कालपोल या क्रोसिन जैसे अपने ब्रांडों के नाम से बेच रही हैं । हर कम्पनी यह चाहती है कि उसके उत्पाद की भारी विक्री हो और वह भारी मुनाफा कमाए । इसके लिए वह जो

भी आवश्यक होगा करेगी । बहुत से लोग सोच सकते हैं आखिर अपनी दवा बेचने के लिए कम्पनी क्या करेगी, यही कि एम.आर. (मेडिकल रिप्रजेटेटिव) के माध्यम से वह डॉक्टरों को लालच देकर उन्हें अपनी दवा लिखने के लिए प्रेरित करेगी । दवा कम्पनियों के लिए अपना मुनाफा बढ़ाने का यह एक तरीका है जिसे हर कोई जानता है । लेकिन ऐसे जाने कितने भ्रष्ट तरीके हैं जो दवा कम्पनियां (दवा कम्पनी ही नहीं हर कम्पनी) अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनाती हैं ।

एक बार मैं मुख्यचिकित्साधिकारी कार्यालय में मीटिंग में था । कुछ चिकित्साधिकारियों ने शिकायत की कि उनके यहां तीन महीने से पैरासिटामोल (बुखार उतारने की दवा) नहीं है । इस पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने कहा मैं क्या कर सकता हूँ? मैं पैरासिटामोल की डिमांड भेजता हूँ , ऊपर से बिटाडिन की बोतलें भेज देते हैं ।

व्यवस्था यह है कि जिले के अस्पताल , जिला डिस्पेंसरी के लिए अपनी जरूरत के हिसाब से मांग पत्र भेजें और उसी के अनुसार हर जिले से मांग पत्र ऊपर महानिदेशक के पास जाएं । जो दवाएं खरीदी जाएं वे इसी वास्तविक मांग के अनुसार खरीदी जाएं । लेकिन वास्तविकता में जो होता है वह बिलकुल उलटा है । ऊपर से ऐसी तमाम ऐसी दवाएं खरीदी जाती हैं जिनका उपयोग बहुत कम है और अनावश्यक है । उन्हें जिला डिस्पेंसरी और वहां से प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जबर्दस्ती ठेल दिया जाता है । फिर फर्जी तरीके से ये दवाएं कंडम की जाती हैं । जैसे एक दवा है डाइ इथाइल कार्बामेजाइन . यह दवा फाइलेरियासिस में उपयोग की जाती है । कुछ स्थानों को छोड़कर यह बीमारी सामान्यतः बहुत कम पाई जाती है । कुछ समय पहले उ.प्र. के सरकारी अस्पतालों में यह दवा बहुतायत से भेजी गई है । जाहिर है कि यह दवा उ.प्र. में फर्जी तरीके से खपाई जा रही है । ऐसे ही मैं उत्तराखंड सरकार की सेवा में था तो मैंने देखा कि वहां फेनिरामिन (बाजार में एविल के नाम से भी मिलती है) के इंजेक्शन डिब्बे के डिब्बे रखे हुए हैं और फार्मासिस्ट मुझसे कह रहा था धीरे-धीरे इन्हें भी चढ़ाते रहो ये सब खारिज

करनी हैं । तमाम दवाइयां ऐसी हैं जिनकी खपत बहुत कम है लेकिन खपत से बहुत ज्यादा वो फर्जी तरीके से खपाई जा रही हैं ।

2009 का स्वाइन फ्लू का भय अभी भी हमें याद होगा । फार्मा कम्पनियों ने विश्व स्वास्थ्य संघ के वैज्ञानिकों को पैसा देखकर किस तरह स्वाइन फ्लू को विश्व व्यापी घोषित कराया और फिर किस तरह टेमिफ्लू जैसी दवाएं व वैक्सीन दुनिया भर में बेचकर अरबों डालर की कमाई की । अब तो यह फ्राॅड पूरी तरह सामने भी आ चुका है ।

नीरा राडिया अपनी कम्पनियों को जन सम्पर्क कम्पनियां कहती है । एक उदाहरण लेते हैं । आज कल बड़े शहरों में अस्पतालों में भी भीड़ लग गई है। धनी लोगों के अलावा काॅर्पोरेट भी इस काम में उतर आया है । अस्पतालों की अधिकता से तमाम अस्पतालों में मरीजों की समस्या पैदा हो जाना स्वाभाविक है । इस मारा मारी में लगभग सभी अस्पताल पी.आर.ओ. पब्लिक रिलेशन आॅफिसर (जन सम्पर्क अधिकारी) आप इन पी.आर.ओ. को जिस नाम से चाहें उससे बुला लें लेकिन इनके काम समान होते हैं । आस पास के क्षेत्रों में घूमना वहां के प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित डाक्टर्स को पटाना उन्हें मरीज भेजने के लिए प्रेषित करना उनका कट तय करना और उन्हें समय से कट पहुंचाना ।

दरअस्ल जन सम्पर्क कम्पनियां जनसम्पर्क अधिकारी जैसी चीजें अस्तित्व में आने की वजह कम्पनियों के अपने अंतर्विरोध हैं । लाॅबिंग को भी इसी के अनुरूप समझना चाहिए ।

कम्पनियों के पास माल बना पढ़ा है । उससे अधिक से अधिक मुनाफा चाहिए । उन्हें स्वास्थ्य मंत्री व महा निदेशक से साठ गांठ चाहिए ताकि अपने माल को सरकारी तंत्र में अनावश्यक रूप से खरीदवाकर खपा सकें । सरकार में बनी गलत नीतियों को बदलवा सकें और अपने पक्ष में नई नीतियां बनवा सकें । पेंडेमिक फ्लू की तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन में कुछ ऐसा करवा सकें । कुछ ऐसी फर्जी खोजें

करा सकें जो उनके प्राडक्ट को बेचने में महत्वपूर्ण हों । महा निदेशक व स्वास्थ्य मंत्री से साठ-गांठ कर दवाओं की फर्जी खरीद हो । सरकार में अपने पक्ष में नीतियां बनवाने का मामला हो । विश्व स्वास्थ्य संगठन में फर्जी काम कराकर अपने मुनाफ में इजाफा करना हो , इन तमाम मामलों में कम्पनियों को अलग-अलग तरह के दलालों की जरूरत पड़ सकती है और उसी के अनुसार वह तय करेगी कि किस दलाल को लाॅबिस्ट कहना है । किसे एक्सटर्नल अफेअर्स अधिकारी कहना है और इन्टर्नल अफेअर्स अधिकारी कहना है । लेकिन हमें सामाझिक रूप से इन्हें काॅर्पोरेट दलाल ही कहना है ।

सरकारी संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार

सरकारी व्यवस्था भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई हैं । कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहां भ्रष्टाचार न हो । सरकारी दफ्तरों में बिना रिश्वत दिए कोई काम कराना लगभग असम्भव सा हो गया है । अगर आप चढ़ावा नहीं चढ़ा सकते जो सरकारी दफ्तर में यों ही चक्कर काटते रहेंगे आपका काम होना बेहद मुश्किल है। मैंने काफी समय पहले एक अखबार में पुलिस के एक बड़े अधिकारी का लेख पढ़ा था कि मैंने अपने समय में सरकार को दस सबसे भ्रष्ट आई.पी.एस. की सूची सौंपी थी परन्तु सरकार ने कार्यवाही करने में कोई रूचि नहीं दिखाई । मैंने किसी अखबार के सर्वे में पढ़ा था कि पुलिस विभाग व आयकर विभाग सबसे भ्रष्ट है । मतलब यह कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं रह गया है कि पूरा सरकारी तंत्र भ्रष्ट है , अगर कोई बहस है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है तो वह यह है कि कौन सा विभाग अधिक भ्रष्ट है, कौन सा अधिकारी अधिक भ्रष्ट है ।

विभिन्न विभागों व पदों के अनुसार सरकारी विभागों में कई तरह का , कई रूपों में भ्रष्टाचार है । नौकरशाह व मंत्रियों के बीच अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच तथा सरकारी कर्मियों व जनता के बीच । मंत्री व नौकरशाहों के बीच जो लेन

देन होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि राज्य में जैसे ही नई सरकार बनती है नौकरशाही में भारी उठा पटक शुरू हो जाती है । विभागीय प्रोन्नति समिति (क्च्ब) बैठती हैं । आई.ए.एस. का मनमाने विभाग मिलते हैं । खाली पड़े पदों पर नए बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाए जाते हैं ।

मुख्य चिकित्साधिकारी बनाए जाते हैं । स्थिति यह है कि उ.प्र. जैसे राज्यों में बी.एस.ए. के लिए या मुख्य चिकित्साधिकारी के लिए जो रिश्वत दी जाती है वह 15 या 20 लाख रूपए फिक्स हो गई है । आपको आधिकारिक रूप से इसके कई सबूत नहीं मिलेंगे लेकिन अनौपचारिक बातचीत में आप इस बात का पता आसानी से लगा सकते हैं ।

सरकारी कार्मिकों के बीच भ्रष्टाचार मुख्यतः रिश्वत के रूप में होता है और अधिकारी बाबुओं के साथ मिलकर अपने अधीनस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों से मिलकर रिश्वत वसूलते हैं । मन चाही जगह स्थानांतरण करवाना, काम पर न जाना व जो रिश्वत वे जनता से वसूलते हैं उसमें अधिकारियों को हिस्सा देना ये कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें अधिकारी/कर्मचारी अपनी इच्छा से ऊपर के अधिकारियों को रिश्वत आॅफर करते हैं । इसके अलावा बाबुओं व अधिकारियों ने एक नेटवर्क बना रखा है जिसके तहत अधीनस्थों को रिश्वत देनी पड़ती है जैसे असुविधाजनक स्थानों पर स्थानान्तरण कर देना ताकि उसे रूकवाने के लिए अधीनस्थ रिश्वत दें एरियर (अतिरिक्त भत्ता) बिना रिश्वत लिए न निकालना छुट्टियां मंजूर कराने के लिए रिश्वत, बिना रिश्वत लिए पेंशन न बनाना, कोई बहाना बनाकर वेतन रोक देना फिर रूके हुए वेतन को निकलवाने के लिए रिश्वत मांगना । अच्छी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (।ब्त्) लिखने के लिए रिश्वत मांगना । ऐसे ही तमाम काम हैं जिन्हें कराने के लिए सरकारी कर्मी अपने आला अफसरों, बाबुओं को रिश्वत देते हैं ।

देश की जनता एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहती है । राज्य व्यवस्था उस पर तमाम तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स लगाती है । इसके बदले उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह जनता को आवश्यक जन सुविधाएं उपलब्ध कराए ।

राज्य व्यवस्था की इसी जिम्मेदारी के तहत एक सरकारी तंत्र खड़ा किया गया है। पुलिस बैंक सरकारी स्कूल अस्पताल आदि के रूप में जो सरकारी तंत्र खड़ा किया गया है, आदर्श रूप में यह बताता है कि राज्य व्यवस्था जन सुविधाएं देने की जिम्मेदारी लेती है । लेकिन राज्य व्यवस्था ने इस सरकारी तंत्र को चलाने के लिए जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी/नौकरशाह/मंत्री आदि खड़े किए हैं, उन्होंने इस तंत्र को अपनी निजी सम्पत्ति समझ लिया है और वे जनता को उसकी आधिकारिक जन सुविधाएं देने के बदले रिश्वत वसूलना अपना अधिकार समझते हैं ।

सन 2010 घोटालों के लिए चर्चित रहा । मैंने देखा कि अखबारों में भ्रष्टाचार के ऊपर जो बहसें चलीं उनमें यह बात लगातार स्थापित की गई कि जनता ही व्यवस्था को भ्रष्ट करती है । वह गलत काम कराने के लिए खुद रिश्वत देती है ।

ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2009 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार-

1. 91% सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगी गई ।

2. 77% रिश्वत अपने किसी नुकसान को बचाने के लिए दी गई ।

3. 51% रिश्वत समय पर काम कराने के लिए मांगी गई ।

4. 12% मांगी गई रिश्वत व्यक्तिगत लाभ हांसिल करने को दी गई ।

कुछ लोग अपने फायदे के लिए सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को रिश्वत देने हैं परन्तु उपर्युक्त रिपोर्ट से जाहिर है कि अधिकांशतः सरकारी मशीनरी जनता को रिश्वत देने के लिए मजबूर करती है ।

ट्रांस्पेरेंसी इंट्रनेशनल के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष ट्रक वाले 250 अरब रूपए रिश्वत देते हैं ।

आज पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो , कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार न हो । मुख्य सतर्कता आयुक्त (CVC) की वार्षिक रिपोर्ट 2010 के अनुसार सबसे भ्रष्ट रेलवे विभाग है । । मुख्य सतर्कता आयुक्त ने वर्ष 2010 में कुल 2982 अफसरों के प्रति कार्यवाही की उनमें से 911 रेलवे के थे । यानी हर तीसरा व्यक्ति रेलवे डिपार्टमेंट का है । रेलवे के बाद र्सावजनिक क्षेत्रों के बैंक (केनरा , विजया, पंजाब नेशनल, भारतीय स्टेट बैंक), दिल्ली विकास प्राधिक्करण व दिल्ली नगर निगम हैं ।

निश्चित ही दिल्ली नगर निगम में भ्रष्टाचार बहुत अधिक है । जो मामले केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त को मिले हैं उसमें लगता है कि रेलवे सबसे भ्रष्ट विभाग है परन्तु किस विभाग में किस तरह का भ्रष्टाचार और कितना भ्रष्टाचार होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि जनता से संबंध किस तरह का है । कई अन्य एजेंसियों ने जो सर्वे किए हैं उनमें से अधिकांश यही मानते हैं कि पुलिस टेक्सेशन व कष्टम विभाग सबसे भ्रष्ट हैं । इकनोमिक जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में विभिन्न विभागों से जन सुविधाएं लेने के लिए दी जाने वाली रिश्वत इस प्रकार है-

पुलिस -	64%
भूमि सेवाएं (जैसे जमीन खरीदना बचेना आदि-	63%
रजिस्ट्री और परमिट सर्विस-	62%
कर राजस्व-	52%
अन्य विविध प्रकार की अवर्गीकृत सेवाएं-	47%
न्यायालय-	45%
कस्टम-	41%

चिकित्सा सेवाएं-	26%
शिक्षा-	23%

जहां तक किसी विभाग के कम या अधिक भ्रष्ट होने का सवाल है तो वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस विभाग के पास किस तरह की और कितनी शक्तियां हैं , उसके पास सरकारी बजट कितना आता है और उसे जनता को सुविधाएं देने का जो जिम्मा सौंपा गया है वह किस तरह का है । जैसे इन्कम टैक्स व पुलिस दोनों ही सबसे भ्रष्ट विभागों में हैं । पुलिस विभाग बेहद शक्ति सम्मपन्न है । उसके पास हर तरह की ताकत है । वह किसी अपराधी बना सकता है । सड़क के किनारे बैठकर सामान बेचने वाले से हफ्ता वसूली कर सकता है । जहां तक कि वह अपराधियों से भी अपना हिस्सा लेकर उन्हें अपराध करने की छूट दे सकता है । यानि पुलिस विभाग के पास वह ताकत है कि वह ऐसा हर काम कर सकता है जिसे रोकने के लिए उसे कानूनी शक्तियां दी गई हैं । आप उन राज्यों की बात तो छोड़ ही दीजिए जहां कानून व्यवस्था कभी अच्छी नहीं रही । दिल्ली देश की राजधानी है वहां देख लीजिए । वहां की पुलिस और दूसरे राज्यों की पुलिस के चरित्र में कोई अंतर नहीं होता । फर्क इतना होता है कि उनकी कार्यशैली में थोड़ा फर्क होता है । लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में पूरे देश की पुलिस में ज्यादा अंतर नहीं है ।

मेरे एक करीबी पुलिस इंस्पेक्टर थे । सार्वजनिक जीवन में वे काफी धार्मिक प्रवृत्ति के सीधे और इमानदार माने जाते थे । पेशेगत उनका चरित्र जो भी हो पर सार्वजनिक जीवन में वे ऐसे ही थे । एक आत्मीय बातचीत में उनके घरवालों से पता चला था कि वे भी करीब 60 लाख से ऊपर पहुंच गए हैं । सोचने की बात है कि एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्अर जब आधा-एक करोड़ आसानी से कमा लेता है तो बेईमान कितने करोड़ कमाता होगा ।

पुलिस विभाग की तरह ही आयकर विभाग भी अत्यधिक भ्रष्ट माना जाता है । जहां पुलिस विभाग एक रिक्शा चालक से लेकर समृद्ध लोगों तक जुड़ा होता है

वहीं आयकर विभाग समृद्ध लोगों से ही जुड़ा होता है । इसलिए एक दरोगा करोड़ - दो करोड़ पूरी जिंदगी में कमा पाएगा और उसे सब जान पाएंगे कि वह भ्रष्ट है परन्तु एक कर अधिकारी कुछ ही लोगों से और थोड़े ही समय में यह रकम कमा सकता है ।

4 जून 2012 को सी.बी.आई. ने आयकर निदेशक कुणाल को गिरफ्तार किया । उस पर रियल एस्टेट कम्पनी एल्डिको से 30 लाख रूपए घूस लेने का आरोप था । आयकर वाले छोटे पंूजीपतियों या विभिन्न उच्च वर्गीय लोगों के यहां छापे मारते रहते हैं । पकड़ी गई सम्पत्ति को घूस लेकर छोड़ देते हैं या कम कर के दिखा देते हैं । इसके बारे में सी.बी.आई. से लेकर प्रधानमंत्री और न्यायधीश तक सब जानते हैं । स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी संस्था है मेडिकल काउंसिल आॅफ इंडिया इसका एक काम मेडिकल काॅलेजों को मान्यता देना भी है 2010 में केतन देसाई इसका चेयरमेन था । उस पर पंजाब के एक मेडिकल काॅलेज ने मान्यता देने के बदले दो करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप लगाया । 23 अप्रेल 2010 को केतन देसाई को गिरफ्तार किया गया । उसके पास बेशुमार सम्पत्ति पकड़ी गई । उसके बाद चेयरमेन का पद भंग कर के बोर्ड आॅफ गवर्नर्स बना दिया । दरअस्ल मेडिकल काॅलेजों के मालिकों व केतन देसाई के बीच कुछ गलत फहमियां पैदा हो गई , देसाई मनमानी पर उतर आया । लिहाजा मेडिकल काॅलेजों के मालिकों ने उसे हटवा दिया वरना सब जानते हैं कि एक काॅलेज मेडिकल काउंसिल के मानकों को पूरा नहीं करता । केतन देसाई के समय में भी फर्जीवाड़ा होता था , अब भी होता है ।

इसी तरह आर. टी.आई. (परिवहन अधिकारी) व रजिस्ट्रार भी रिश्वतखोरी का बहुत बड़ा अड्डा है । आर. टी.आई में क्लर्क की नौकरी मिलना भी लोगों के लिए सौभाग्य की बात होती है । जब में उत्तराखण्ड में कार्यरत था वहां एक फूड इंस्पेक्टर थे । बताते थे कि उनके साथ सिविल सर्विस की एक लड़की तैयारी कर रही थी वह मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रार हो गई है । उसकी एक दिन की कमाई पचास

हजार, एक लाख, दो लाख कुछ भी हो सकती है । खुद फूड इंस्पेक्टर की भी अच्छी कमाई होती है । आज बाजार में हर चीज में मिलावट है दूध और मिठाईयों में खतरनाक पदार्थ मिलाए जाते हैं इन सबको रोकने की जिम्मेदारी फूड इंस्पेक्टर की ही होती है ।

हर विभाग के लिए जिला मुख्यालय भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा है। ब्लॉक तहसील व कलक्ट्रेट (जिलाधिकारी कार्यालय) के लिए विभिन्न योजनाओं में तमाम बजट आता है । इस बजट का बड़ा हिस्सा ये लोग खाते हैं । इसके अलावा एक आम व्यक्ति से लेकर उद्योगपति तक का काम इनके कार्यालय से जुड़े होते हैं और यहां बिना रिश्वत दिए कोई काम आगे नहीं बढ़ता । तहसील से या जिलाधिकारी कार्यालय से आप आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रक्रिया है । लेखपाल से लेकर जिलाधिकारी तक । जब तक लेखपाल अपनी आख्या नहीं लगाएगा तब तक प्रमाण पत्र बनेगा नहीं और बिना पैसा दिए लेखपाल को ढूढ़ पाना आसान नहीं है । इसलिए लोग वही रास्ता अपनाते हैं जो वह चाहता है । शाम को उसके घर जाओ और जो रेट चल रहा है वह दे दो , वह अपनी आख्या लगा देगा । सुबह तहसील जाकर भी यही कीजिए नहीं तो वह आपको लेखपाल से ज्यादा चक्कर लगवा देगा । दो दिन में आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा वरना आप महीने भर भागने के बाद भी प्रमाण पत्र बनवा नहीं पाएंगे।

इकनोमिक जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस रजिस्ट्री ऑफिस और कर विभाग सबसे ज्यादा भ्रष्ट हैं जबकि स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग सबसे कम। ऐसा नहीं है कि इन विभागों में ईमानदार लोग हैं इसलिए रिश्वत कम है । अगर एक शिक्षक जनता से रिश्वत लेना भी चाहे तो उसे ऐसे अवसर नहीं हैं जैसे सिपाही या दरोगा को होते हैं । शिक्षक अधिक से अधिक यही कर सकता है कि छात्रों को ट्यूशन के लिए मजबूर करें या अपने अधिकारियों से सेटिंग कर स्कूल न जाए और स्कूल के समय को अपने किसी काम - धंधे में लगाकर पैसा कमाएं और ऐसा भारी तादात में हो भी रहा है । यह बात स्वास्थ्य विभाग पर भी लागू होती है । तमाम

डाक्टर मुख्य चिकित्साधिकारी को पैसे देकर अस्पताल जाने से छुट्टी पा लेते हैं और मजे में अपना क्लिनिक चलाते हैं । मेडिको लीगल केस में पैसे लेकर चोटें कम ज्यादा लिख देते हैं । लेकिन इन विभागों में आपका असली भ्रष्टाचार देखना है तो जिला मुख्यालय पर जाकर मुख्य चिकित्साधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जाना पड़ेगा जहां अधिकारी को तो छोड़िए बाबुओं की भी चांदी होती है ।

भ्रष्टाचार का कुछ संबंध जनता की जाग्रति से भी है । जैसे जिला या तहसील स्तर के कस्बों में कर्मचारियों व अधिकारियों को लगभग नियमित जाना पड़ता है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वे गायब रहते हैं ।

राजनीतिक भ्रष्टाचार

आज राजनीति में भ्रष्टाचार चरम पर है । नित नए घोटाले सामने आ रहे हैं । 1000 हजार, दो हजार करोड़ के घोटालों पर तो अब कोई ध्यान भी नहीं देता । एक - दो लाख करोड़ के घोटाले को ही आज घोटाला माना जा रहा है।

यों तो आज पूरी व्यवस्था ही भ्रष्ट है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार है परन्तु क्योंकि पूरी व्यवस्था में हर क्षेत्र के तार राजनीति से जुड़े होते हैं इसलिए भ्रष्टाचार के मामले में सबसे अधिक बदनाम नेता होते हैं । दरअस्ल विधायिका के पास तमाम शक्तियां होती हैं और वे उन शक्तियों का उपयोग अपने निजी हितों को भ्रष्ट तरीके से फाइदा पहुंचाने में करते हैं विधायिका का मुख्य काम सरकारी मशीनरी पर नियंत्रण रखना व राज्य के लिए नीतियां बनाना व कानून बनाना है ।

राजनीति में भ्रष्टाचार कई रूपों में विद्यमान है । नेताओं द्वारा नौकरशाही के माध्यम से रिश्वत लेना, सांसद निधि या विद्यायक निधि से पैसे चुराना, रिश्वत लेकर नौकरी की सिफारिश करना, नौकरशाहों द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कराकर रिश्वत में हिस्सा लेना , पैसे लेकर तबादले कराना , अपने घर-परिवार व रिश्तेदारों को सरकारी पद या नौकरी दिलवाना , उन्हें सरकारी ठेके दिलवाना, पूंजीपतियों से पैसे लेकर उनके हित में नीतियां बनाना, कम्पनियों से पैसे लेकर उन्हें तरह - तरह की सुविधाएं देना आदि राजनीति में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप हैं

मंत्रियों के लिए भ्रष्टाचार का एक बड़ा स्रोत सरकारी मशीनरी है । जैसे ही सरकार बदलती है । वैसे ही पूरी सरकारी मशीनरी में उठा पटक शुरू हो जाती है । भारी मात्रा में आई.ए.एस. , आई.पी.एस., पी.सी.एस. व जिला स्तरीय अफसरों के तबादले व प्रमोशन होते हैं । बताया जाता है कि उ.प्र. में मुख्य चिकित्साधिकारी के बीस लाख व बेसिक शिक्षा अधिकारी के पंद्रह लाख का फिक्स रेट चल रहा है । सरकार किसी भी पार्टी की आए अफसरों के तबादले व प्रमोशन की प्रक्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता । नई सरकार सिर्फ यह देखती है कि पिछले बार ये काम कितने में हुए थे और वर्तमान में पिछले बार ये काम कितने में हुए थे और वर्तमान में पिछले रेट में कितने की बढ़ोत्तरी करनी है । ये सब काम इतने सामान्य और स्थापित हैं कि अगर आप विभाग में नौकरी करते हैं तो अनौपचारिक बातों में कोई भी आपको बता सकता है । इन्हें लोकपाल जैसे किसी कानून से रोकना भी सम्भव नहीं लगता।

राजनीति में भ्रष्टाचार का एक तरीका यह भी है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में घपला करना । दरोगा भर्ती टी.ई.टी. परीक्षाओं में घपले के मामले तो चर्चा में रहे हैं परन्तु हर प्रतियोगी परीक्षा व भर्ती में घपले होते हैं और वे व्यवस्था का इस कदर हिस्सा बन गए हैं कि उनके बारे में लगता ही नहीं कि कुछ असमान्य हो रहा है ।

पिछले वर्ष की बात है कि मैं आगरा मेडिकल कॉलेज में था । वहां दूसरे साथी भी खड़े थे । आपस में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षा की बात होने लगी । किसी ने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट पच्चीस से तीस लाख के बीच सेट हुई है । किसी ने कहा कि चुनाव आने वाले हैं , सरकार बदल गई तो कहीं कुछ सवाल न खड़ा हो जाए । इस पर किसी ने कहा कि यह तो भूल ही जाइए । ये काम इतने फेयर तरीके से होते हैं कि सरकार बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछले बीस सालों से मैं देख रहा हूं कि ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल परीक्षाओं के लिए कोई साल ऐसा नहीं जाता होगा जब उसमें घपले की खबरें न उड़ती हों। जब तक परीक्षाएं कैंसिल भी हुई हैं और उनकी जांच भी हुई है । इसका मतलब यह नहीं है कि जिन वर्षों में परीक्षाएं निरस्त नहीं हुई हैं या जांच नहीं हुई है वे फेयर हुई हैं । दरअस्ल इन परीक्षाओं में बैठने वाले परीक्षार्थी पहले ही यह मानकर चलते हैं कि वे छः सौ सीट पर परीक्षा न देकर साढ़े चार सौ सीट पर ही परीक्षा दे रहे हैं । दिक्कत तब होती है जब घपला भारी मात्रा में होता है या घपला करने वालों की तरफ से कहीं कोई कमजोर बिंदु छूट जाता है और वह जांच के घेरे में आ जाता है ।

मंत्री भर्तियों एवं प्रशासनिक तंत्र से किस तरह मोटी कमाई करते हैं इसका एक अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) घोटाला है । परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाह ने मंत्री बनने के बाद 2010 में स्वास्थ्य विभाग में एक नया पद सृजित किया जिला परियोजना अधिकारी यानी डी.पी.ओ. इस पद के सृजन के पीछे तर्क यह दिया गया था कि मुख्य चिकित्साधिकारी के पास अधिक काम होने के कारण वह NRHM का काम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं । NRHM का सारा बजट डी.पी.ओ. के हाथ में दे दिया । उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि डी.पी.ओ. के लिए जुगाड़ बैठाने की मारा मारी मच गई । जिन्होंने सी.एम.ओ. बनने के लिए बीस लाख उठाकर रख रखे थे उन्होंने फटाफट डी.पी.ओ. का पद लपक लिया । मई में पद सृजित होने के बाद ही डी.पी.ओ. और सी.एम.ओ. में ठनने लगी । अक्टूबर में डी.पी.ओ. का नाम बदलकर सी.एम.ओ. (परिवार कल्याण) कर दिया और सी.एम.ओ. का सी.एम.ओ. (प्रशासन) ।

उसके बाद लखनऊ में उसके बाद लखनऊ में दो सी.एम.ओ. (परिवार कल्याण) की हत्या हो जाने के बाद 2011 में इस पद का पुनः समाप्त कर दिया गया ।

2010 में ही परिवार कल्याण मंत्री बाबू सिंह कुशवाह ने करीब 1600 आयुष (आयुर्वेद योगा , यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथ) चिकित्सकों की संविदा पर भर्ती निकाली । इससे पहले हर जिले में चार आयुष चिकित्सकों की संविदा पर भर्ती सी.एम.ओ. द्वारा की गयी थीं । बताते हैं जो सी.एम.ओ. ने भर्तियां की थी वे 45 से 50 हजार के बीच हुई हैं जबकि 2010 में सारी भर्तियां मंत्री स्तर से ही तय की गईं और वे एक से सवा लाख के बीच हुई हैं । इन बातों के कोई सबूत नहीं होते हैं परन्तु आपके परिचय में अगर ये चयनित किए गए आयुष चिकित्सक हैं तो वे आपको इसकी विश्वस्तरीय जानकारी दे देंगे । इन भर्तियों से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई अंतर आया हो ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी पैथी में जो इलाज किया जाता है उसकी व्यवस्था राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में की ही नहीं है । हां इनके वेतन का करीब साढ़े चार करोड़ रूपये महीने का खर्च स्वास्थ्य विभाग पर जरूर डाल दिया गया ।

राजनीति में कमीशन भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा माध्यम है । सरकार जो खरीद दारी करती हैं उसमें राजनेता और नौकरशाह अच्छी खासी कमीशन खाते हैं ।

काॅमन वैल्थ खेलों के समय दिल्ली सरकार ने 3156 ए.सी., नाॅन ए.सी. लो फ्लोर बसें टाटा से खरीदीं । कैग (CAG) रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार ने 2004 से 2009 तक ए.सी., नाॅन ए.सी. 3156 बसें खरीदीं । टाटा ने ए.सी. बसें की कीमत 64.19 लाख एवं नाॅन ए.सी. बसों की कीमत 55.20 लाख रखी । दिल्ली परिवहन निगम के तकनीकी विभाग ने नाॅन ए.सी. बसों की कीमत 42.92 लाख व ए.सी. बसों की कीमत 50.56 लाख रूपए आंकी । सरकार ने टाटा से समझौता कर ए.सी. बसें 61.62 लाख व नाॅन ए.सी. बसें 51.89 लाख में खरीद लीं । कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 साल के लिए वार्षिक रख रखाव के लिए सरकारी खजाने को 833 करोड़ का बोझ डाला गया है । इतना ही नहीं

नियमानुसार सरकार को 20% रकम रोक के रखनी थी और उसने 15% ही रकम रोकी । यानी उसमें भी सरकार ने टाटा को 5% की छूट दे दी । यह राशि सब कुछ जांचने - परखने के बाद देनी थी । कैग का यह भी मानना है कि अवरोधक एवं फिसलन रोधी जैसे अनावश्यक तंत्र लगवाने पर 168.94 करोड़ का अनावश्यक बोझ सरकारी खजाने पर डाला गया है ।

सच तो यह है कि परिवहन निगम के तकनीकी विभाग ने जो कीमत लगाई थी वह भी बहुत अधिक है । 34 सवारियां ले जाने वाली यह बस एक सामान्य बस से सिर्फ इतनी ही अलग है कि यह लो फ्लोर है और दरवाजे ड्राइवर बंद करता है (पाॅवर डोर) तकनीकी रूप से भी ये बसें बहुत गड़बड़ है । कई बसों में आग लग चुकी है । कुल मिला कर सरकार व टाटा ने मिलकर एक बस पर बीस पच्चीस लाख का चूना जनता को लगा दिया ।

इसी तरह उत्तराखण्ड सरकार ने 2007-2008 में एक एंबुलेंस (सचल चिकित्सा वाहन - या मोबाइल वैन) सेवा शुरू की । 2008 में मैंने आर.टी.आई. से इस चिकित्सा वाहन के बारे में जनकारी ली तो पता चला, टाटा मोटर्स के चैस वाले इस वाहन का मेडिट्रोनिक्स मेन्युफेक्चरिंग कम्पनी से 7993616.0 रु. में खरीदा गया है और उस पर कर अलग से । इस तरह यह एंबुलेंस करीब एक करोड़ की पड़ेगी जबकि यह एक साधारण सी एंबुलेंस ही है ।

दरअस्ल ये सब कमीशन खोरी के गोरख धंधे हैं जो सरकारें नौकरशाहों के साथ मिलकर करती हैं और माल प्रदान करने वालों के साथ मिलकर जनता को चूना लगाती हैं ।

कुछ सालों से भारतीय राजनीति में एक के बाद एक घोटाला उजागर हो रहा है । नए घोटाले के बाद पिछले बड़े घोटाले की रकम बोनी साबित होती है । पिछले दो सालों में ही काॅमन वैल्थ ख्ेाल घोटाला 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला , कर्नाटक में खनन घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला झारखंड के पूर्व मुख्य मंत्री मधु

कोड़ा की अथाह सम्पत्ति व जगन की सम्पत्ति के मामलों के बाद अब कोयला अवैध घोटाला का मामला प्रकाश में आया है ।

भ्रष्टाचार और घोटाले कोई नई चीज नहीं है । अंग्रेजों के समय वारेन हेस्टिंग्स को ब्रिटेन में महाभियोग झेलना पड़ा था । उसके बाद देश आजाद हुआ। अभी देश आजादी की पहली वर्ष गांठ भी ठीक तरह से नहीं मना पाया था कि 1948 में जीप घोटाला हो गया । पाकिस्तानी हमले के बाद भारतीय सेना को करीब 4600 जीपों की जरूरत थी । वी.के. कृष्ण मेमन भारत में उच्चायुक्त थे । उनके कहने पर रक्षा मंत्रालय ने 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से 1500 जीपों का आदेश दे दिया 9 महीने बाद 155 जीपें मद्रास बंदरगांह पर पहुंची जो जीपें पहुंची थीं वे भी तय मानक पर खरी नहीं उतरती थीं । मामले की जांच हुई । मेमन दोषी पाए गए पर नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रीमण्डल रक्षा मंत्री बना दिया बजाय उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के तो इस तरह स्वतंत्र भारत के पहले घोटाले की जो परिणति हुई उसने आने वाले घोटालों के लिए आईना दिखाने का काम किया और हमारा देश पहले घोटाले के उस बीच से घोटालों का एक महावृक्ष बन गया ।

1949 में उद्योग मंत्री व अर्जुन सिंह के पिता राव शिव बहादुर सिंह पर जेम स्टोन टेªडर सचेन्द्र भाई बरोन की हीरा खदान की लीज का फर्जी दस्तावेज देने के बदले 25000 रू. रिश्वत लेने का आरोप लगा । बाद में वे दोषी पाए गए और उन्हें जेल हुई । 1951 में वाणिज्य एवं उद्योग एम.ए. वैंकट रमन पर गलत तरीके से एक कम्पनी को साइकिल आयात करने का आरोप लगा और बाद में उन्हें जेल भी भेजा गया । इस तरह साइकिल इंपोर्टस घोटाले का जन्म हुआ । 1956 में खान दलाली मामला प्रकाश में आया । खबर थी कि उड़ीसा के कुछ नेता व्यापारियों के काम कराने के बदले दलाली ले रहे हैं । देश में कई जगह छापामारी हुई । एक व्यवसाई मुहम्मद सिराजुद्दीन एंड कम्पनी के कोलकाता और उड़ीसा स्थित दफ्तरों में छापामारी हुई । सिराजुद्दीन कई खानों का मालिक था । उसके पास से एक डायरी बरामद हुई उससे पता चला कि उसके कई जाने-मान राजनेताओं से सम्बन्ध थे ।

पहले इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई । बाद में जब मीडिया में खबर आई तो तत्कालीन खान और ईंधन मंत्री केशव देव मालवीय ने यह स्वीकारा कि उन्होंने उड़ीसा के एक खान मालिक से 10,000 रू. की दलाली ली थी । बाद में उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा ।

1957 में फिरोजगांधी ने संसद में एक खुलासा किया । उद्योगपति हरिदास मुंध्रा की कई कम्पनियों को मदद पहुंचाने के लिए उनके शेयर स्प्ब् द्वारा 1.25 रू. में खरीदवाए गए । जांच हुई तो इसमें वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी, वित्त सचिव व स्प्ब् चेयरमेन दोषी पाए गए । कृष्णमाचारी को उसके पद से हटा दिया गया और हरिदास मुंध्रा को 22 साल की सजा हुई ।

1963 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के खिलाफ कॉंग्रेसी नेता प्रबोध चन्द्र ने गैर कानूनी सम्मपत्ति जमा करने के लिए आरोप पत्र दाखिल किया उन पर कई सिनेमा घर, कोल्ड स्टोरेज, ब्रिक सोसाइटी, नेशनल मोटर्स जैसी तमाम सम्पत्तियां इकट्ठी करने का आरोप था । जांच हुई और रिपोर्ट में कहा गया कि यह सम्पतित कैरो ने नहीं इनके पुत्र एवं पत्नी ने कमाई है । कैरो को बरी कर दिया गया ।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री बीज पटनायक को 2 अक्टू. 1963 को इस्तीफा देना पड़ा । उन पर आरोप था कि उन्होंने अपनी निजी कम्पनी कलिंगा ट्यूबस को सरकारी ठेका दिया । एच.आर. खन्ना कमीशन ने जांच की और उसे दोषी पाया।

1971 नागरवाला कांड सामने आया । 21 मई का एस.बी.आई. की संसद मार्ग शाखा दिल्ली के कैशियर के पास फोन आया जिसमें बांगलादेश के गुप्त मिशन के लिए 60 लाख रूपए की मांग की गई और प्रधानमंत्री कार्यालय सि इसकी रसीद लेने को कहा गया । फोन पर सुनी गई आवाज इंदिरा गांधी और पी.एस. हक्सर की बताई गई । बाद में कहा गया कि रूस्तम सोहराब नागरवाला नाम के व्यक्ति ने

नकली आवाजें बनाकर फोन किया था । 1972 में संदेहास्पद स्थिति में नागरवाला की मौत हो गई और यह मामला यहीं समाप्त हो गया ।

आपात काल के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री देवराज अर्स और उनके मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के करीब 25 आरोप लगे । 20 एकड़ जमीन अपने दामाद को आवंटित करने, अपने भाई का फिल्म उद्योग का प्रभारी बनाने, सगे-सम्बन्धियों को फायदा पहुंचाने, अपने परिवार को बैंगलोर के बेहद कीमती इलाके में प्लाट लेने के मामले थे लेकिन इन सब मामलों को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हुई । 1974 मारूति घोटाला सामने आया । खबर थी कि मारूति कार बनाने के लिए संजय गांधी ने प्रतिबंधित क्षेत्र में लाइसेंस देने की सिफारिश की ।

1976 में कुओं तेल कांड अस्तित्व में आया । इंडियन आॅयल कार्पोरेशन पेट्रोलियम मंत्री के निर्देशन में हांगकांग की कुओं आॅयल कम्पनी के साथ एक डील की । जबकि हांगकांग में इस तरह की कोई कम्पनी ही नहीं थी ।

1981 में महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ए.आर. अंतुले ने विभिन्न ट्रस्टों के माध्यम से 30 करोड़ रूपए इकट्ठा किया । जो व्यवसायी इन ट्रस्टों को पैसा देते थे उन्हें नियम - कानून ताक पर रखकर सीमेंट का कोटा दिया जाता था ।

1987 में चर्चित बोफार्म का मामला प्रकाश में आया । यह एक स्वीडिश फर्म में तोप की खरीद में 64 करोड़ की दलाली का मामला था । जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम जुड़ा था ।

1990 के बाद जब आर्थिक उद्धरीकरण का दौर शुरू हुआ और ऐसा कहा जा रहा था कि वह मुफ्त हो गई । दरअस्ल भारत की अर्थ व्यवस्था घोटालों के लिए मुफ्त हो गई । एक तरह से देश में राम नाम की लूट मच गई ।

1996 में 1000 करोड़ का चारा घोटाला सामने आया जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का नाम था ।

1990 में 2000 करोड़ का एयरबस घोटाला सामने आया ।

1992 में 10 हजार करोड़ का प्रतिभूति घोटाला सामने आया । इसमें शेयर दलाल, बैंक और राजनेता जुड़े थे ।

1991 में हवाला केस का खुलासा हुआ यह 18 मिलियन डालर की घूस का मामला था जिसमें एल.के. आडवानी, शरद यादव, बलराम जाखड़, मदन लाल खुराना सहित कई नेताओं के नाम जुड़े थे ।

1994 चीनी घोटाला सामने आया । इससे खाद्य आपूर्ति मंत्री कल्पनाथ राय का नाम जुड़ा था। यह चीनी के आयात में 650 करोड़ के घोटाले का मामला था ।

1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद शैलेन्द्र मेहतो ने स्वीकार किया कि उनके साथ तीन सांसदों ने 1993 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार को बचाने के लिए 30-30 लाख रूपए लिये थे ।

1996 लक्खू भाई पाठक का रिश्वत मामला प्रकाश में आया । प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव और उसका तांत्रिक गुरू चन्द्रा स्वामी पर पेपर पल्प कॉन्टेक्ट के बदले 1 लाख पाउंड की रिश्वत लेने का मामला था । 2003 में लक्खू भाई की मौत के बाद यह मामला खत्म हो गया ।

1996 में टेलीकॉम घोटाला सामने आया इसमें संचार मंत्री सुखराम जुड़े थे । यह हैदराबाद की एक टेलीकॉम कम्पनी से सामान खरीदने में हुए 1.6 करोड़ की गड़बड़ी का मामला था ।

1996 में यूरिया घोटाला सामने आया । नेशनल फर्टिलाइजर का मैनेजिंग डाइरेक्टर सी.एस. रामा कृष्णन और नरसिम्हा राव के करीबी व्यवसायिक समूह के 2 लाख टन यूरिया के आयात का मामला ाि । यह यूरिया प्राप्त हीं नहीं हुआ था ।

20वीं शताब्दी के अंतिम तीन वर्ष घोटालों की दृष्टि से इसलिए संकटपूर्ण रहे क्योंकि 1996 में लोक सभा चुनाव हो गए । स्पष्ट बहुमत किसी को मिला नहीं। अटल बिहारी, देवगौड़ा और गुजराल के प्रधानमंत्री बनने की उठा पटक में ही दो साल के करीब निकल गए । 1998 में फिर चुनाव हुए और एन.डी.ए. के अटल बिहारी प्रधानमंत्री बने । नई सरकार बनती है तो साल - दो साल तो उसे पटरी पर आने में लगते ही हैं । इस तरह शताब्दी के अंतिम तीन वर्ष घोटालों की दृष्टि से संकटपूर्ण रहे । लेकिन नई शताब्दी की शुरूआत खराब नहीं रही । हालांकि 1996 में जैन हवाला कांड में लाल कृष्ण आडवाणी सहित कई एन.डी.ए. नेताओं का नाम तब भी आ चुका था जब वे सत्ता में नहीं थे फिर एन.डी.ए. सत्ता में आने के बाद ये क्या कर रहे थे उसका खुलासा तहलका स्टिंग आॅपरेशन में हुआ ।

2001 में तहलका न्यूज पोर्टल ने यह जानने के लिए कि हमारी नई सरकार कैसे काम कर रही है एक स्टिंग आॅपरेशन किया । यह स्टिंग आॅपरेशन इस बात का खुलासा करता था कि रक्षा सौदों में किस तरह की रिश्वत और दलाली चल रही थी । लोगों ने भाजपा के अध्यक्ष को टी.वी. पर रिश्वत लेते देखा । इसमें तत्कालीन रक्षामंत्री जाॅर्ज फर्नाडीज व एक नेवी अफसर का नाम भी सामने आया।

इसके बाद बराक मिसाइल सौदे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया । तमाम आपत्तियों के बावजूद 270 मिलियन डालर का बराक मिसाइल इजराइल से खरीदा गया । इस सौदे के लिए डिफेंस रिसर्च डिवलपमेंट आॅर्गेनाइजर के अध्यक्ष एपीजे अब्दुल कलाम ने भी आपत्ति की थी फिर भी 23 अक्टूबर 2000 को इस सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए गए । बाद में जाॅर्ज फर्नाडीज जमा जेटली समता पार्टी के कोषाध्यक्ष आर.के. जैन व नेवी अफसर सुरेश नंदा के विरूद्ध एफ.आई.आर. हुई । एन.डी.ए. सरकार ने इसकी जांच एक आयोग गठित कर कराई । बाद में यू.पी.ए. सरकार ने इसकी जांच सी.बी.आई. को सौंप दी ।

इस केस की एफ.आई.आर. में तहलका स्टिंग आॅपरेशन का जिक्र था जिसमें आर.के. जैन ने स्वीकार किया था कि सौदे का 3% जाॅर्ज फर्नाडीज व जया जेटली को मिला है और उसे .5% मिला है ।

इसके बाद तो घोटालों का एक युग ही शुरू हो गया । ऐड्रेक्स देवास डील आदर्श सोसाइटी घोटाला, काॅमन वैल्थ खेल घोटाला, एन.आर.एच.एम. घोटाला, 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, महाराष्ट्र का सिंचाई घोटाला यानी घोटालों की पूरी किताब बन गई है ।

आज जिन घोटालों की चर्चा हो रही है उन्होंने घोटाला की परिभाषा ही बदल दी है । 60,000 करोड़ के काॅमन वैल्थ खेल घोटाला , 1.75 लाख करोड़ के 2जी स्पैक्ट्रम घोटाला और 1.86 लाख करोड़ के कोयला घोटाले ने यह सिद्ध किया कि 500 - 1000 करोड़ का घोटाला तो कोई घोटाला ही नहीं है ।

आगरा की बिजली व्यवस्था टोरंट नाम की निजी विद्युत कम्पनी के पास है । अभी सी.ए.जी. की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि टोरंट को तय सीमा से अधिक बिजली सस्ते दामों पर उपलब्ध कराई गई है और उसने पिछले दो साल में राज्य को 789 करोड़ का चूना लगाया है । एक लोकल चैनल महीने भर तक (सी न्यूज) यह खबर दिखाता रहा है कि टोरंट के प्रति स्थानीय लोगों में कितना अधिक गुस्सा है, कैसे कम्पनी 2-3 हजार की जगह 10-12 हजार के बिल लोगों के पास भेज रही है । कैग की इस रिपोर्ट को नेशनल मीडिया में कोई चर्चा तक नहीं हुई। जहां तक कि राज्य की राजनीति में भी यह कोई मुद्दा नहीं बनी ।

इस समय भ्रष्टाचार और घोटालों की भारतीय राजनीति में जो स्थिति है उसने यह साबित कर दिया है कि भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी राजनीतिक दल किसी के पीछे नहीं हैं । कांग्रेस ने देश पर लम्बे समय तक शासन किया है इसलिए घोटाले भी कांग्रसियों ने ही अधिक किए हैं । भाजपा को जितना मौका मिला है उसे हिसाब से वह पीछे नहीं रही है । आज तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जाने वाला

कोयला था कोलगेट घोटले पर भाजपा कांग्रेस को घेर रही है । पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी पर उंगली तो उसके मुख्य मंत्रियों पर भी उठ रही है । अगर कांग्रेस के सांसद नवीन जिंदल जांच के घेरे में हैं तो भाजपा अध्यक्ष नितिन गड़करी के करीबियों को भी कोल ब्लॉक मिले हैं । कांग्रेस कॉमन वैल्थ घोटाला व 2जी स्पैक्ट्रम घोटाले के लिए चर्चित रही तो कर्नाटक में भाजपा चोटी तक भ्रष्टाचार में डूबी है । बेल्लारी के रेड्डी बंधु जो भाजपा के सांसद व विद्यायक हैं और सुषुमा स्वराज के करीबी हैं उन पर 16000 करोड़ का माइन घोटाला करने का आरोप है । एक पुलिस कॉन्स्टेबल के घर पैदा होने वाले रेड्डी बंधु मात्र 8-10 साल में ही कर्नाटक के सबसे धनी नेताओं में शुमार हो गए हैं । कर्नाटक की राजनीति पर गहरी पकड़ रखते हैं । खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री ये दुरप्पा को भ्रष्टाचार के चलते अपनी कुर्सी गवानी पड़ी ।

अभी महाराष्ट्र में 70 हजार करोड़ का सिंचाई घोटाला सामने आया है। 1999 से सिंचाई विभाग शरद पवार की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास है । इस मामले में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से राज्य के उप मुख्यमंत्री व शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को इस्तीफा देना पड़ा है । अंजलि नाम की एक आर.टी.आई. एक्टिविस्ट का कहना है कि वे इस मामले में विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिली थीं कि उनकी पार्टी विधान सभा में इस प्रश्न को उठाए । इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उन लोगों से उनके अच्छे सम्बन्ध हैं, चार काम उन लोगों के वे करते हैं और चार काम वे लोग उनके करते हैं । इस पर भाजपा अध्यक्ष उद्योगपति नितिन गडकरी ने आर.टी.आई. एक्टिविस्ट को कोर्ट का नोटिस देने की धमकी दी ।

भाजपा व कांग्रेस के अतिरिक्त जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें भी लगभग सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ही । मायावती , जयललिता, झारखंड मुक्तिमोर्चा, उत्तराखंड क्रांतिदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा सभी पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं ।

ऐसा नहीं माना जा सकता कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं वे बहुत ईमानदार हैं । दरअस्ल राजनीति में भ्रष्टाचार के जो मामले उजागर हुए हैं वे तो पानी पर तैरती बर्फ की नोंक की तरह हैं । इस बात का इस तरह समझा जा सकता है कि उ.प्र. में एन.आर.एच.एम. घोटाला सामने आया। इसमें माया सरकार के दो मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा दरअस्ल यह घोटाला इस लिए सामने आया क्योंकि लखनऊ में दो मुख्य चिकित्साधिकारियों की हत्या हो गई और मामला सी.बी.आई. का पास चला गया । दूसरी तरफ यह बताया जाता है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार एन.आर.एच.एम. से भी अधिक है परन्तु वह खुलकर सामने नहीं आया है।

दरअस्ल राजनीति में ईमानदारी अपवाद स्वरूप ही भले मिले जहां राजनीति की दाल में नमक की तरह भ्रष्टाचार हो । वरना राजनीति की दाल भ्रष्टा 0चार व घोटालों के साथ इस कदर घोट दी गई है कि राजनीति की दाल में घुटे हुए घोटाले पहचान में नहीं आ पाते । हाँ अधिक घोटने के चक्कर में कभी-कभी दाल थोड़ी-बहुत जल जाती है तो वह दाल में काला के रूप में नजर आने लगती है और वह घोटाला हो जाता है ।

एन.जी.ओ. यानी गैर सरकारी संगठनों का भ्रष्टाचार

एन.जी.ओ. यानी गैर सरकारी संगठन आज के समय में बेहद प्रचलित शब्द है । आज हर क्षेत्र में सरकार जहां अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर रही है , वहां एन.जी.ओ. मोर्चा संभाले हुए हैं। कहा जाता था कि लोकतंत्र के चार स्तम्भ हैं , एन.जी.ओ. लोकतंत्र का पांचवा स्तम्भ बन गया है । साठ के दशक के बाद साम्राज्यवादियों के प्रतिनिधि अमेरिका ने तीसरी दुनिया के देशों पर अपनी आर्थिक उदारीकरण की नीतियां थोपना शुरू की । इन नीतियों के कारण आम जनता पर दो

तरह का असर पड़ा । पहला पूंजीपतियां द्वारा द्वारा मेहनतकशों का शोषण बढ़ गया । राज्य व्यवस्थाएं जनता को दी जाने वाली सहूलियतों से धीरे हाथ खींचने लगीं । हर क्षेत्र में निजी पूंजी की घुस पैठ हो गई। निजी पूंजी लगाने वाले पूंजीपतियों का पूरा ध्यान अपने मुनाफे को अधिक से अधिक बढ़ाना ही है । उदाहरण के लिए आप बिजली विभाग को देख सकते हैं। जहां - जहां बिजली का निजीकरण हुआ है वहां जनता में त्राहि-माहि मची हुई है। दो - तीन हजार रूपए की जगह 10-12 हजार रूपए बिल के भेजे जा रहे हैं । कंजूमर के साथ हद दर्जा दुव्र्यवहार किया जा रहा है और बिल न दे पाने की स्थिति में कनेक्शन काटे जा रहे हैं इतना ही नहीं सी.ए.जी. की रिपोर्ट है कि आगरा में टोरंट ने दो साल में सरकार को 489 करोड़ का चूना लगाया है । निजीकरण की इस प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत अधिक बढ़ गए । इन सब ने आम जनता की मुश्किलें बेहद बढ़ा दीं ।

अप्रेल 2009 में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अर्जुन सेन गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की 77% जनता 20 रूपए प्रतिदिन से कम पर गुजर करती है। यह रिपोर्ट किसी संगठन या किसी व्यक्ति की राय नहीं है । सेन गुप्ता नेशनल इंटरप्राइजेज फोर अनआॅर्गेनाइज्ड सेक्टर के चेयरमेन थे । उन्हें कैबिनेट का दर्जा प्राप्त था और मानवाधिकार आयोग के प्रतिनिधि के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रतिनिधित्व कर चुके थे ।

ऐसे में जब राज्य व्यवस्था जनता को दी जाने वाली सुविधाओं से हाथ खींचती जा रही हैं । सरकार से मिलने वाली सहूलियत में कटौती व भ्रष्टाचार से निरन्तर बढ़ती अव्यवस्था ने आम जनता की मुश्किलें बढ़ा दी हैं । ऐसे में एनजीओ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह जनता में कुछ सहूलियत देकर या सहूलियत देने का भ्रम पैदा कर उसमें किसी तरह का आक्रोश न पनपने दें ।

भारत में उदारवादी आर्थिक नीतियों की शुरूआज 1990 में हुई । 1990 के बाद भारत में भी एनजीओ की बाढ़ सी आ गई है । इस वक्त भारत में 33 लाख

एन.जी.ओ. (विकीपीडिया के अनुसार) काम कर रहे हैं । यानी करीब चार सौ लोगों पर एक एन.जी.ओ. है । भारत में 1970 में अस्सी के दशक में 5.52 लाख, 1.44 लाख एन.जी.ओ. पंजीकृत थे । नब्बे के दशक में 11.22 लाख नए एन.जी.ओ. पंजीकृत हुए। पिछले एक दशक में तो और अधिक एन.जी.ओ. पंजीकृत हुए हैं ।

आज हर क्षेत्र में एन.जी.ओ. कार्यरत हैं । सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बच्चों की समस्याएं, अकादमिक रिसर्च क्षेत्र यानी आज कोई भी क्षेत्र एन.जी.ओ. से अछूता नहीं रह गया है । ऐसा नहीं है कि एन.जी.ओ. कार्यकुशल और ईमानदार संगठन होते हैं इसलिए उन्हें दो मौके दिए जा रहे हैं । वास्तव में प्रशासन, राजनीति व कार्पोरेट की ही तरह एन.जी.ओ. सबसे भ्रष्ट संस्था है । क्योंकि इनके काम पर किसी तरह का कोई नियंत्रण भी नहीं होता है , इसलिए ये अपने काम के प्रति एकदम गैर जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं होते । इसके बावजूद हर क्षेत्र में एन.जी.ओ. आ रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश है ।

हमारे देश में अधिकांश एन.जी.ओ. नेता एवं नौकरशाहों के बीवी , बच्चे, परिवार वाले या उनके सम्बंधियों के हैं । इसकी बड़ी वजह यह है कि नेता और नौकरशाह अपने इन एन.जी.ओ. के लिए न सिर्फ आसानी से सरकारी फंड जुटाने में सफल रहते हैं बल्कि तमाम सरकारी ठेके भी इनके एन.जी.ओ. को आसानी से मिल जाते हैं । दरअस्ल एन.जी.ओ. के नाम पर लूट का एक नया तंत्र खड़ा कर लिया गया है । एन.जी.ओ. नेता व नौकरशाहों के नाकारा बीवी , बच्चे, रिश्तेदार संबंधियों व दूसरे तिगडमी लोगों की मोटी कमाई का अच्छा साधन सिद्ध हो रहे हैं। एन.जी.ओ. अपने आपको गैर सरकारी, गैर लाभकारी संगठन कहते हैं परन्तु फंडिंग के रूप में मोटा पैसा सरकार से लेते हैं और फंड का अधिकांश हिस्सा पंचा जाते हैं ।

भारत में एन.जी.ओ. को दिया जाने वाला फंड करीब एक लाख करोड़ रूपए हैं । भारत में एन.जी.ओ. को सर्वाधिक फंड सरकार द्वारा दिया जाता है । दूसरे नम्बर पर विदेशी एजेंसियां हैं । तीसरे नम्बर पर व्यक्तिगत दान दाता है । बड़ी मात्रा में एन.जी.ओ. को फंड देने के पीछे सरकार का मतलब साफ है । पहला यह

कि नेता और नौकरशाह, अपने परिवारीजन व सम्बंधियों के नाम पर चलाए जा रहे एन.जी.ओ. के नाम पर बड़ी रकम सरकारी फंड के रूप में पार कर लेते हैं । दूसरे दस-बीस प्रतिशत फंड वे जनता पर खर्च भी करते हैं , उससे सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली सुविधाओं में जो कटौती होती जा रही है , उससे जनता कुछ सहूलियत महसूस करें । लेकिन एन.जी.ओ. जो काम करते हैं वह जनता को थोड़ी सहूलियत देने से ज्यादा महत्वपूर्ण है । वे जनता में राज्य व्यवस्था के प्रति किसी भी तरह के आक्रोश को दबाने का काम करते हैं वे जनता को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि वे सरकार के भरोसे न बैठे रहें अपनी समस्याएं खुद ही हल करें, कि उनकी समस्याओं की असली वजह यह राज्य व्यवस्था नहीं है । एन.जी.ओ. फंड को उपयोग कैसे करते हैं इसका उदाहरण कैग की 2010 की एक रिपोर्ट से मिलता है । पर्यावरण मंत्रालय की एक आॅडिट रिपोर्ट में कैग ने खुलासा किया कि पौधे लगाने के नाम कर सरकार ने 597 करोड़ रूपए की योजनाएं गैर सरकारी संगठन को सौंपी, लेकिन एक भी एन.जी.ओ. ने अपना काम पूरा नहीं किया। कैग ने कई बार सरकार को एन.जी.ओ. के काम-काज के बारे में चेताया है ।

सरकार के बाद एन.जी.ओ. को दूसरे नम्बर पर सबसे अधिक फंड विदेशों से मिलता है । विदेशी संस्थाएं जो फंड दूनियां भर के एन.जी.ओ. को देती हैं वो इसलिए नहीं देती हैं कि वे गरीब देशों की जनता की भलाई चाहती हैं । फंड देने के पीछे उनका अपना एजेंडा होता है । पश्चिमी देश विशेषकर अमेरिका अपने शोषण एवं दमनकारी कार्यों के लिए पूरी दुनियां में बदनाम हैं । इस तरह के दान द्वारा अपनी छवि को थोड़ा अच्छा बनाना चाहता है । परन्तु इससे भी महत्वपूर्ण है कि ये दोष दान दाता एजेंसियों के माध्यम से तीसरी दुनियां के देशों में अपने घ्रणित षडयंत्रकारी एजेंडों को लागू करते हैं ।

जैसे अमेरिका का फोर्ड फाउंडेशन एन.जी.ओ. के लिए दान देने वाला सबसे बड़ी ऐजेसियों में से एक है । फोर्ड फाउंडेशन अपने आपको सामाजिक बदलाव के

लिए काम करने वाली संस्था कहता है । जिसका सालाना बजट 10 बिलियन डालर है और यह दुनियां ीर की तमाम संस्थाओं को पैसा उपलब्ध कराता है ।

1967 में इस बात का खुलासा हुआ था कि फोर्ड फाउंडेशन अमेरिकी खुफिया एजेंसी सी.आई.ए. के साथ मिलकर काम करता है । सी.आई.ए. दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को फंड दिलवाता है । फांउडेशन के चेयरमेन (1958-65) से स्वीकार किया था कि तीन लोगों की कमेटी सी.आई.ए. की सिफारिशें को डील करती थी । सी.आई.ए. अमेरिका की कितनी कुठयात एजेंसी हैं , जो अमेरिकी हितों के लिए दुनियां में किसी भी तरह का विध्वंस कर सकती है यह खर्च विदित है ।

ऐसे ही 1950 में कांग्रेस फाॅर कल्चरल फ्रीडम नाम की संस्था बनी । इसको फोर्ड फाउंडेशन फंड उपलब्ध कराता था और सी.आई.ए. के इशारे पर काम करती थी । इसका उद्देश्य कम्यूनिस्ट देशों के बारे में दुढ़प्रचार करना , साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में वहां विध्वसक कार्यों को बढ़ावा देना था । पूंजीवादी देशों का मुखिया होने के नाते कम्यूनिस्ट देश अमेरिका के स्वाभाविक शत्रु बनते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरे देशों में यह संगठन कोई रचनात्मक काम करता था। इसके आॅफिस 35 देशों में थे और कई तरह के प्रकाशन चलाते थे तमाम गतिविधियां आयोजित करते थे । 1966 में न्यूयाॅर्क टाइम्स ने एक लेख छापा था कि सी.आई.ए. गुप्त रूप से कांग्रेस फोर कल्चरल फ्रीडम को फंड उपलब्ध कराता है । अंत में 1967 में रम्पर्ट ने ब्ब्थ् फोर्ड फाउंडेशन और सी.आई.ए. के मठजोड़ का भंडाफोड़ किया था ।

भारत में एन.जी.ओ. की फंडिंग का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत व्यक्तिगत दान दाता यानी काॅर्पोरेट जगत है । भारत में प्रतिवर्ष करीब 20 हजार करोड़ रूपए व्यक्तिगत दान दाताओं से मिलता है । काॅर्पोरेट एन.जी.ओ. को जो फंड देते हैं उसके पीछे कई कारण होते हैं । पहला कारण तो यही है कि इन्कमटैक्स की धारा

35 व 80जी के तहत दिए गए फंड पर 100% इन्कमटैक्स की छूट मिलती है और कम्पनियां इस तरह काफी पैसा इन्कमटैक्स छूट के रूप में आर पार कर लेती हैं। इसके अलावा कम्पनियां अपने व्यवसायिक हितों के लिए भी एन.जी.ओ. का इस्तेमाल करती हैं ।

आज एन.जी.ओ. का दखल सिर्फ सेवा कार्यों में ही नहीं है वे शिक्षा अकादमी रिसर्च आदि सभी क्षेत्रों में दखलंदाजी रखते हैं । कार्पोरेट अपनी सुविधानुसार एन.जी.ओ. के माध्यम से रिसर्च प्रोजेक्ट विकसित करा रहा है । रिसर्चर आर.टी.आई. एक्टिविस्ट , समाज सेवी , आंदोलनकारी यानी सब कुछ अब एन.जी.ओ. चलाने वाले ही हो गए हैं । बावजूद इसके कि कुछ अपवादों को छोड़कर सभी एन.जी.ओ. भ्रष्ट हैं, कमाई करने का एक गोरखधंधा है और कार्पोरेट के हितों के लिए कार्य करने वाले हैं ।

अभी आज तक चैनल ने कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के एन.जी.ओ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट पर 71 लाख का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है । यह एन.जी.ओ. उ.प्र. के कई जिलों में विकलांगों के लिए काम कर रहा था ।

सित. 2011 में तरूण विजय की नजदीकी रोहला मतूद की हत्या हुई थी। रोहला मिरेकल नाम से एन.जी.ओ. चलाती थीं और उनकी पहचान एक आर.टी.आई. एक्टिविस्ट के रूप में थी । जांच के दौरान कई बातों का खुलासा हुआ। जैसे भाजपा सांसद, प्रवक्ता व पूर्व संपादक पांचजन्य तरूण विजय के एन.जी.ओ. डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन को म.प्र. सरकार ने 2010 में 25 लाख का अनुदान दिया मीडिया में इस तरह की खबरें आईं कि तरूण विजय के मुकाबले दूसरे भाजपा सांसद अनिल माधव दुवे के एन.जी.ओ. नर्मदा समग्र को म.प्र. सरकार अधिक फंड दे रही थी जबकि तरूण विजय की उपेक्षा कर रही थी । तरूण ने अपनी करीबी आर.टी.आई. एक्टिविस्ट रोहला मजूद के द्वारा अनिल माधव दुवे के एन.जी.ओ. नर्मदा समग्र को मिलने वाले फंड के बारे में आर.टी.आई. डाल रखे थे। दरअस्ल आज अधिकांश एन.जी.ओ. कार्पोरेट के हितों के लिए व अपने निजी फायदों के

लिए आर.टी.आई. के क्षेत्र में काफी सक्रिय हैं । इसका एक फायदा यह भी है कि मुफ्त में उन्हें एक्टिविस्ट और समाज सेवी का तमगा मिल जाता है ।

दरअस्ल अपवाद स्वरूप कुछ एन.जी.ओ. को छोड़ दिया जाए जो वास्तव में थोड़ा-बहुत जनहित का काम भी कर रहे हैं, वरना एन.जी.ओ. के नाम पर पूरे देश में एक लूट सी मची हुई है । इस लूट से भी ज्यादा खतरनाक यह है कि एन.जी.ओ. लोगों के दिमाग में एक घटिया सोच भर रहे हैं, नकली एक्टिविज्म के द्वारा समाज सेवा व जनहित का झूठा भ्रम जनता में पैदा कर रहे हैं ।

जैसे एक एन.जी.ओ. एक्टिविस्ट एक बासब्रांड के शीतल पेय के विरूद्ध आंदोलन चलाता है और यह सिद्ध करता है कि इसमें यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थ हैं और वह एक्टिविस्ट आसानी से अपनी समाज सेवी की छति बना ले जाता है कि उसने उस ब्रांड की सच्चाई खोल कर कितना जनहित का काम किया है । पर जनता यह नहीं समझ पाती कि वह एक्टिविस्ट हानिकारक शीतल पेय पदार्थों के विरूद्ध नहीं है बल्कि एक खास ब्रांड के विरूद्ध है ।

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार

2002 में देश के पूर्व मुख्य न्यायधीश जस्टिस एस.पी. भरूचा ने करा था कि उच्च न्यायपालिका में 20 फीसदी जज भ्रष्ट हैं ।

"उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ न्यायधीशों की ईमानदारी संदेहास्पद है । मुख्य न्यायधीश को ऐसे संदिग्ध न्यायधीशों का तबादला करना चाहिए।" जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ।

अभी कुछ समय पहले ही पूर्व मंत्री व वकील शांति भूषण व मुलायम सिंह की सी.डी. का मामला प्रकाश में आया था जिसमें वे जजों के भ्रष्ट होने की व अपने बेटे द्वारा उन्हें मैनेज करने की बात कह रहे थे ।

जस्टिस पी.डी. दिनाकरण ने तमिलनाडु हाई कोर्ट का जज रहते करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा किया । 2010 में उनके विरूद्ध संसद में महाभियोग लाया गया ।

जस्टिस निर्मल यादव पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की जज रहते हुए 2008 में 15 लाख की रिश्वत लेने का आरोप लगा । सी.बी.आई. को उनके खिलाफ सबूत मिले ।

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस वी रामास्वामी ने पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार किया । सी.बी.आई. ने उनके घर से काफी रकम बरामद की । संसद में उनके विरूद्ध 1991 में महाभियोग लाया गया जो असफल रहा ।

दिल्ली हाई कोर्ट में अस्थाई जज शर्मित मुखर्जी ने 2003 में पैसा लेकर एक रेस्टोरेंट मालिक के हक में फैंसला दिया । अस्थाई होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया ।

कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस सौमित्र सेन के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे । उनके खिलाफ 2008 में महाविभोग प्रस्ताव लाया गया ।

ये कुछ उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि जज भी दूसरे नौकर पेशाओं की तरह भ्रष्ट होते हैं । वास्तव में जज किसी दूसरे ग्रह पर नहीं रहते हैं। वे इसी समाज का हिस्सा हैं । सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है , वह व्यक्ति के चरित्र में भी आती है, यदि वह उसी समाज का हिस्सा है । अगर जज इसी समाज का हिस्सा है तो यह कहना समाजशास्त्र के ही विरूद्ध हो जाएगा कि जज भ्रष्ट नहीं हो सकते ।

न्यायपालिका भी एक सकरारी विभाग है और जैसे हर सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है वैसे ही न्यायपालिका में भी है । वहां भी बाबू से लेकर अधिकारियों तक वैसे ही भ्रष्ट हैं जैसे दूसरे विभागों में होते हैं । हां इतना जरूर है कि जज का पद दूसरे विभाग के अधिकारियों से थोड़ा भिन्न है । इसलिए एक जज एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरह भ्रष्ट नहीं हो सकता । लेकिन एक बात विचारर्णीय है । अगर हम समाज में देखते हैं कि न्याय हमेशा पैसे वाले को ताकतवर को मिलता है, गरीब और कमजोर को कभी न्याय नहीं मिलता तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि ताकतवर अपनी ताकत के बल पर न्याय प्रक्रिया को अपने पक्ष में कर लेते हैं और इसका पूरा दोष जांच एजेंसी पर जाता है । भ्रष्टाचार की इस कड़ी में जांच एजेंसी पुलिस से लेकर फैंसला लिखने वाले जज तक सब शामिल होते हैं और फिर यह बात तो तमाम सर्वे में आ ही चुकी है कि उच्च अदालतों की तुलना में निचली अदालतों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार है । यह बात भी सही नहीं है कि ताकतवर लोग गवाह-सबूत अपने पक्ष में कर लेते हैं और जज उनके आधार पर फैंसला देने के लिए विवश है इसलिए कमजोर तबके को न्याय प्रक्रिया ही दोषी है। दरअस्ल काफी संवैधानिक शक्ति प्राप्त है । जैसे जमानत के मामलों में संभावना अधिक रहती है दूसरी चीज है उनकी जवाब देही का अभाव । फैंसला देना उनका एकाधिकार है । फैंसला देने के बाद उनकी कोई जबाब देही नहीं होती । आप ऊपर की अदालत में जाकर सिर्फ अपील कर सकते हैं । कुछ हाई प्राफाइल मामलों का उदाहरण लेते हैं ।

भंवरी देवी बलात्कार केस काफी चर्चित केस रहा है । जयपुर के पास भतेरी गांव की एक महिला भंवरी देवी का गुर्जर जाति के लोगों ने गैंग रेप किया। 1992 की इस घटना पर नव 1995 में डिस्ट्रिक्ट सैंशन जज ने जिन आधार पर फैंसला दिया वे थे - आरोपी उच्च जाति के लोग हैं और वे दलित महिला का बलात्कार नहीं कर सकते । महिला का पति निष्क्रिय होकर पत्नी का गैंग रैप होते नहीं देख सकता ।

ये दलीलें कितनी वाहियात हैं यह बात एक सामान्य बुद्धि का अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है ।

जैसाकि हत्याकाण्ड जो मीडिया में बेहद चर्चित रहा था , इसका फैंसला 2006 में आया । निचली अदालत ने आरोपी को बरी गर दिया । 1999 की इस घटना को मीडिया ने पहले से ही इतना हाई लाइट कर रखा था कि कोर्ट का फैंसला खुद मीडिया के गले नहीं उतर सका । उसके बाद मीडिया ने जो कम्पेन चलाया उससे अदालत के फैंसले की बहुत थू-थू हुई । उसके बाद हाई कोर्ट ने केस को फास्ट ट्रेक पर डाल कर 25 दिन में आरोपी को आजीवन करावास की सजा सुना दी । कानून व्यवस्था की हो थू-थू हुई उसका उससे घबराकर दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ जेसिका केस में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई बल्कि एक अन्य चर्चित केस प्रिय दर्शनी मट्टू के कातिल एक आई.पी.एस. का बेटा जो निचली अदालत से बरी हो गया था उसे मृत्यु दण्ड की सजा सुना दी।

इन केसों से पता चलता है कि फैंसले सिर्फ गवाह और सबूतों के आधार पर ही नहीं लिए जाते हैं , फैंसले देने में जज की भी बड़ी भूमिका होती है और वह उसके लिए जवाबदेह नहीं है । दरअस्ल ये उदाहरण तो बहुत हाई प्रोफाइल थे और मीडिया का इनमें बहुत दबाब था , लेकिन तमाम कमजोर लोगों के विरूद्ध ताकतवर लोग अपने पक्ष में न्याय खरीद लेते हैं वे तो हमेशा के लिए न्याय से वंचित रह जाते हैं । सच यह है कि कोई गरीब आदमी आज के समय में न्यायालय पर विश्वास नहीं करता ।

धार्मिक क्षेत्र का भ्रष्टाचार

आज के समय में धर्म भ्रष्टाचार के लिए बहुत ही उर्वर क्षेत्र है । धर्म एक उद्योग धंधा बना गया है और इस उद्योग धंधे को चलाने वाले महारथियों के पास दौलत के अम्बार लगे हुए हैं । आए दिन दिव्य पुरूषों भगवानों का अवतरण इस भारत भूमि पर होता रहता है । आए दिन इन भगवानों के गोरावधंधों की पोल खुलती रहती है । सांई बाब, जय गुरूदेव, आशाराम, रामदेव, निर्मल बाबा कितने ही ऐसे नाम हैं जिन्होंने धर्म के नाम पर अथाह दौलत इकट्ठी की है ।

अभी केरल के तिरूअंतपुरम मंदिर में जो तहखाने खोले गए हैं उनमें करीब 175 बिलियन का खजाना मिला है । अभी सारे तहखाने खोले भी नहीं गए हैं । इस मंदिर पर राजसी नियंत्रण है । सम्पत्ति चाहे जैसे इकट्ठी की गई हो यह समाज और जनता की सम्पत्ति है ।

पिछले वर्ष सत्य सांई बाबा का देहांत हुआ सांई बाबा के तमाम फ्रा ॅड सामने आए । जैसे मुंह से शिव लिंग निकालना , हवा में हाथ लेहरा के घड़ी पैदा करना । हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र ने मुंह से शिवलिंग निकालने के फर्जीवाड़ा को कैद किया था । जादूगर पी.सी. सरकार ने सांई बाबा की जादूगर वाली इस टैक्निक का स्टिंग कर पर्दाफास किया था । इसके बावजूद सांई बाबा के ट्रस्टों के पास 40 हजार करोड़ की सम्पत्ति है । इसके अलावा कितनी सम्पत्ति और है इसका हिसाब - किताब नहीं है । लोगों को जादुई तरीके से चीजें पैदाकर प्रभावित करना फिर एक षडयंत्र की तरह उनके दिमाग में अपने प्रति भगवान होने की आस्था पैदा करना और उसके बाद उस आस्था का लाभ उठाकर बेशुमार दौलत इकट्ठी करना । इस पूरे मामले को धर्म बाबा और लोगों का निजी मामला जैसे तर्क देकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता ।

18 मई को मथुरा के बाबा जय गुरूदेव का देहांत हुआ । वे अपने शिष्यों को टाट के कपड़े पहनने की नसीहत देते थे । खुद एक राजसी जीवन जीते थे , पेट्रोल पंप चलाते थे, दूरदर्शी नाम की राजनीतिक पार्टी चलाते थे । उनकी मौत के बाद उनकी सम्पत्ति का प्रारम्भिक आंकलन 12000 करोड़ रूपए था ।

एक बाबा रामदेव हैं जो गेरूआ वस्त्र पहनते हैं, योग शिक्षा देते हैं । उनका विस्त्रित व्यापारिक साम्राज्य है । दिव्य मंदिर ट्रस्ट जो अचार-मुरब्बा से लेकर शक्तिवद्दक गोलियां तक बेचता है, के नाम 13 अरब की सम्पत्ति है । राम देव पर मनीलॉन्ड्रिंग(बेनामी सम्पत्ति) सहित तमाम केस लगे हैं और उनकी जांच चल रही है । बताया जाता है कि बाबा राम देव के ट्रस्टों के पास पचास अरब से ज्यादा की सम्पत्ति है । यह सम्पत्ति उन्होंने सिर्फ 8-10 साल में इकट्ठी कर ली है ।

आशा राम बाबू जो प्रवर्चन देने का काम करते हैं । वे पब्लिक स्कूल चलाते हैं । व्यवसाय गतिविधियां संचालित करते हैं । जहां तक कि उनके ऊपर आपराधिक मुकद्दमें लगे हैं ।

एक निर्मल बाबा हैं जो काले पर्स में भरकर कृपा बांटते हैं । गोलगप्पे खिलाकर लोगों की समस्याएं हल करते हैं ।

12 मई 2012 को दैनिक भास्कर ने खबर लिखी है - निर्मल बाबा ने डेढ़ महीने में खरीदी सत्तर करोड़ की प्रोपर्टी, एक ही दिन में चुकाए 34 करोड़ । खबर में, लिखा गया है कि निर्मल बाबा ने डी.एल.एफ. से 49 करोड़ की डील की । पंजाब नेशनल बैंक में अपने असली नाम निर्मजीत सिंह नरूला के नाम से बैंक एकाउंट (1546000102129694) में सात अप्रेल को 14.88 करोड़ का 28 अप्रेल को 2.06-2.06 करोड़ के दो और 15-15 करोड़ के दो बैंक ड्राफ्ट बनवाए गए । पिछले सप्ताह भोंडसी में छः एकड़ ग्यारह कैनाल जमीन 21 करोड़ 11 लाख 92 हजार 500 रूपए में खरीदी गई ।

जैसे आज तमाम घोटाले आए दिन खुल रहे हैं । हर पार्टी के नेताओं के नाम बड़े-बड़े घोटालों से जुड़े हैं । ऐसे ही धार्मिक भ्रष्टाचार के ये कुछ बड़े-बड़े नाम हैं । वरना धार्मिक भ्रष्टाचार का जो नेटवर्क है वह वैसा ही जैसे शासन प्रशासन में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला है । मंदिरों में लाखों - करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, उसका कोई हिसाब - किताब नहीं है । धर्म स्थलों के नाम पर लोग चाहे जहां लाखों - करोड़ों की जमीन हथिया लेते हैं । काशी , मथुरा, सोरों, इलाहाबाद जैसे तमाम धार्मिक जगहों पर जिस तरह की पंडे-पुजारी लूट पाट मचाए हुए हैं उस पर भी बात होनी चाहिए ।

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में श्रेया अय्यर ने भारत के 568 धार्मिक संगठनों पर शोध किया और शोध में यह बात सामने आई कि धार्मिक संगठनों में व्यापारिक संगठनों जैसी ही कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है ।

मीडिया का भ्रष्टाचार

यहां मीडिया से मतलब मुख्य धारा के मीडिया से है जो व्यापक समाज पर व्यापक असर डालता है । मुख्या धारा का मीडिया कॉर्पोरेट मीडिया के नाम से भी जाना जाता है । कॉर्पोरेट यानी पूंजीपतियों द्वारा संचालित मीडिया पूंजीपति जो काम करता है वह सिर्फ मुनाफे के लिए करता है । उसके काम में गलत और सही का कोई सिद्धांत नहीं होता । जो काम उसके मुनाफा में इजाफा करता है वह सही है । इस तरह मीडिया में भ्रष्ट तौर तरीके पाए जाना व्यापार का एक सामान्य सिद्धांत ही है । मीडिया उससे अलग नहीं है । इसके बावजूद मीडिया में व्याप्त भ्रष्टाचार को अलग से देखने की जरूरत है तो इसलिए कि मीडिया आज समाज में जैसा भी रोल अदा कर रहा हो परन्तु उससे यह उममीद की जाती है कि वह समाज को बेहतर बनाने में भूमिका निभाए । मीडिया के सरोकार समाज को सीधे प्रभावित करते हैं ।

मीडिया से जो भी उम्मीद की जाए पर वह इसी लोकतांत्रिक समाज का हिस्सा है जिसमें भ्रष्टाचार से मुक्त कुछ भी नहीं है । मीडिया में भी स्थान पद आदि के अनुसार कई तरह के भ्रष्टाचार हैं । तमाम राजनेता पत्रकारों का काफी सुविधाएं देते हैं ।

2007 में मैं उत्तराखण्ड के गौरीकुंड गांव में कार्यरत था मई में जब केदारनाथ के पट खुले थे । उस समय स्वास्थ्य मंत्री दौरे पर आए थे । मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के एक जिम्मेदार व्यक्ति ने अनौपचारिक बातचीत में मुझे बताया कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप प्रयाग से केदारनाथ (जो 94 किलोमीटर) तक का जो खर्च आया है वह एक लाख से ऊपर है और वह मुख्य चिकित्साधिकारी को चुकाना है । पत्रकारों की फौज जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ चल रही थी उन्हें गाड़ियों की टंकियां तो फुल कराईं ही साथ में क्रेन भी फुल करा कर ले गए ।

खबर बनने से लेकर खबर के छपने या प्रसारित होने तक की अपनी एक प्रक्रिया है । क्या खबर छपनी है , किसकी खबर छपनी है , किसकी नहीं छपनी है , किस खबर को कितना फाॅलो अप करना है, ये तमाम बातें इन तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक खबर जनता तक पहुंचती है । खबरों को दबाना उन्हें गलत तरीके से प्रसारित करना खबर छापने की धमकी देकर दूसरी पार्टी को ब्लैकमेल करना इन सब के बदले मीडिया कर्मी पैसे बसूलते हैं। तमाम पत्रकारों के बेतन और उनकी सम्पत्ति में कोई सामजस्य नहीं होता । यह सम्पत्ति भ्रष्ट तरीकों से ही कमाई गई होती है ।

मीडिया में कुछ सालों से पेड न्यूज की काफी चर्चा रही है । पेड न्यूज यानी पैसे देकर खबर बनवाना । 2009 के आम चुनाव में पेड न्यूज का मामला बेहद चर्चित रहा । प्रेस काउंसिल आॅफ इंडिया ने 2010 - 2011 की अपनी रिपोर्ट में पेड न्यूज के बारे में लिखा है -

पैसे देकर खबर छापने की परिघटना ने गंभीर आयाम ग्रहण किया है। आज यह व्यक्तिगत पत्रकारों और मीडिया कंपनियों के भ्रष्टाचार से आगे निकल गया है और यह बहुत ही विस्तृत,ढांचागत और बेहद संगठित हो चुका है।

2009 के आम चुनाव में यह बात सामने आई कि नेता और मीडिया में सौदेवाजी हुई है जिसके अनुसार पैसे के बदले उनके चुनाव प्रचार की कवरेज दी जा रही है ।

दरअस्ल मीडिया इस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा है । जैसे कार्पोरेट , राजनीति, सरकारी मशीनरी भ्रष्ट है कि मीडिया दूसरों के भ्रष्टाचार की खबरें छापता है या दिखाता है । दूसरों के अपनी सुविधानुसार स्टिंग आॅपरेशन करता है परन्तु अपनी खबरों को वह गवर नहीं करता । इसलिए वे जनता के बीच नहीं पहुंच पा रहीं । 2010 - 11 में 2जी घोटाला इतना चर्चित रहा । आपने राजा कनिमोझी , राड़िया के बारे में खूब सुना होगा परन्तु हिंदुस्थान के वीर सिंघवी इंडिया टुडे के प्रभु चावला, एन.डी.टी.वी. की पदम श्री बरखा दत्ता का नाम भी इस घोटाले से जुड़ा था, इन लोगों के अखबारों में नाम तक नहीं छपे ।

पिछले दिनों जी न्यूज के सम्पादक सुधीर चैधरी व समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया । उन पर कोयला घोटाले में घिरे नवीन जिंदल ने यह आरोप लगाया है कि उनसे जुड़ी खबरें रोकने के लिए इन्होंने 100 करोड़ रूपए की डील करनी चाही । जिंदल ने इन दोनों के खिलाफ एफ.आई.आर. की थी और बातचीत की एक सी.डी. भी रिलीज की थी ।

सेना में भ्रष्टाचार

सेना एक सरकारी विभाग है और हर सरकारी विभाग की तरह उसमें भी भ्रष्टाचार है । लेकिन सेना के भ्रष्टाचार पर बात करना दो वजहों से मुझे उचित

लगता है । पहली तो यही कि सेना को दूसरे विभागों की अपेक्षा आदर्श व उच्च सामाजिक मूल्यों से परिपूर्ण माना जाता है । आम जनता में पुलिस की छवि जितनी गिरी हुई है , सेना की छवि उतनी ही ईमानदार होती है । दूसरे सेना की दुनियां मुख्य समाज की दुनियां से अलग होती है और इसलिए ऐसा सोचा जा सकता है कि सामाजिक मूल्यों में जो गिरावट आ रही है सेना पर शायद उसका इतना असर न हो । लेकिन सेना भी अंततः है तो समाज का ही हिस्सा । भले ही वहां सामाजिक मूल्यों का इतनी तेजी से क्षरण न हो रहा हो परन्तु वह उस से अछूती तो नहीं रह सकती । बल्कि हो यह रहा है कि सेना में भी एक के बाद एक घोटाला खुलकर सामने आ रहे हैं ।

कुछ समय पहले ही टाटा ट्रक में सौदे में जनरल वी.के. सिंह को 14 करोड़ की रिश्वत की पेशकश का मामला काफी चिर्चित रहा । वी.के. सिंह ने रक्षा मंत्री को इस बारे में पत्र लिखा था । इस सौदे की पेशकश कम्पनी की तरफ से एक भूतपूर्व जनरल के माध्यम से हुई थी ।

एन.डी.ए. सरकार के समय जब जाॅर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे , तब एक स्टिंग आॅपरेशन के दौरान यह बात सामने आई कि रक्षा सौदों में नेताओं व सेना के अफसरों द्वारा किस तरह दलाली की जाती है ।

आदर्श सोसाइटी घोटाला जो मुंबई में 31 मंजिला 104 फ्लेट के घोटाले की कहानी है इसमें सेना के कई अफसरों के नाम हैं ।

2010 में आयुध फैक्ट्री घोटाला सामने आया जिसमें 10 साल के लिए छः आयुध फैक्ट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया ।

2011 में ऊंचे इलाकों में राशन सप्लाई में घोटाले के दोषी लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. साहनी को 2011 में सेना की सेवा से बर्खास्त किया गया ।

सुखना मिलिक्ट्री स्टेशन के पास सिलिगुड़ी पश्चिम बंगाल में 70 एकड़ जमीन का मामाला काफी चर्चित रहा । यहां 70 एकड़ जमीन शिक्षा संस्थान के लिए कए निजी ट्रस्ट को दे दी गई । इसमें दो लेफ्टिनेंट जनरल का कोर्ट मार्शल किया गया और उसके बाद एक को बर्खास्त कर दिया गया ।

सेना के ये कुछ चर्चित घोटाले हैं । सेना में अन्दर का भ्रष्टाचार भी वैसा ही बताया जाता है जैसा सिविल में होता है ।

क्रिकेट में भ्रष्टाचार

क्रिकेट एक खेल है, लेकिन हमारे देश में यह जुआ, सट्टेवाली और काले धन को सफेद करने का एक धंधा बन गया है । देश में कई खेलों में खिलाड़ियों को सुविधाओं का नितांत अभाव है और इन सुविधाओं के चलते खिलाड़ी अपनी प्रतिभाओं का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहीं क्रिकेट में पैसा ही पैसा है । एक - एक क्रिकेटर को करोड़ों रूपए मिलता है । खिलाड़ियों के चयन कर्ताओं को 60 लाख रूपए सालाना मिलता है । कहा जा सकता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड एक प्राइवेट संस्था है । उसके पास संसाधन हैं और वह अपने खिलाड़ियों , चयन कर्ताओं, कमेंटेटर, कोच आदि को मोटी रकम देता है । सवाल यह है कि ये पैसा कहां से आ रहा है उसकी पूरी जांच होनी चाहिए । आखिर हमारे देश में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है (यदि है) और हर तरह की गड़बड़ पर निगाह रखनी , उसे रोकना राज्य की जिम्मेदारी है ।

क्रिकेट में भारी मात्रा में धांधली है इसका एक उदाहरण यही है कि आज तमाम राजनेता क्रिकेट से जुड़ना चाहते हैं । अरूण जेटली , लालू ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शरद पंवार तक कितने ही नेता हैं जो विभिन्न क्रिकेट बोर्डों से जुड़े हैं । क्रिकेट में पैसा जहां से भी आता हो यह पैसा तो जनता का ही है । इसलिए

राज्य व्यवस्था का यह दायित्व है कि वह गड़बड़ घोटालों के बीच खेले जा रहे इस खेल की गहराई से जांच करें ।

काला धन

पिछले 8-9 मई को सी.एन.एन.-आई.बी.एन. चैनल ने स्विटजर लैंड के स्विस बैंकिंग एसोसिएशन की 2006 की रिपोर्ट के हवाले से उजागर किया कि स्विज बैंकों में भारतीयों ने 1456 अरब डॉलर जमा कर रखे हैं । स्विज बैंकों में अन्य तमाम देशों के लोगों की जमा राशि को मिलाकर भी इतनी राशि नहीं है जितनी अकेल भारतीयों की । किसी विदेशी बैंक में खाता खोलने के लिए भारतीयों को भारतीय रिजर्व बैंक की इजाजत लेनी होती है, लेकिन स्विटजर लैंड में खाता खोलने के लिए ऐसी कोई इजाजत नहीं ली गई है । जाहिर है यह गलत तरीकों से अर्जित काला धन है ।

करीब दशक भर पहले आउटलुक पत्रिका ने 26 मार्च 1997 के अंक में स्विटजर लैंड के दिल्ली दूतावास के उप प्रमुख का बयान छापा था कि भारतीयों का स्विज बैंकों में जमा धन 28000 करोड़ रूपए के बराबर है । इसके करीब दशक भर पहले भारतीय अर्थ व्यवस्था पर विश्व बैंक की 1986 की रिपोर्ट के हवाले से अर्थ शास्त्री बी.एम. भारतीय ने अपनी किताब 'इंडियाज मिडिल क्लाज ' पेज 79 पर बताया था कि स्विज बैंकों में जमा भारतीय काला धन 1300 करोड़ रूपए है ।

ये आंकड़े जिन तीन स्रोतों से निकले हैं वे आधिकारिक हैं , इसलिए इन पर भरोसा नहीं करने के कोई वजह नहीं है । इनसे पता चलता है कि 1986 से लेकर 2006 तक भारतीयों द्वारा स्विज बैंकों में जमा धन में जबरदस्त बढ़ोत्तरी हुई है । ये आंकड़े चैकाने वाले लग सकते हैं । लेकिन नहीं लगेंगे यदि हम याद करें कि स्विटजर लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिका स्वाइजर इलस्ट्रांयटी ने 11 नवंबर 1991 को बताया था कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के स्विज बैंक खातों में 4625 करोड़ रूपए जमा हैं और उनका नाम स्वीडन , स्विटजर लैंड , फ्रांस और ब्रिटेन की

राजधानियों में कुख्यात है । तीसरी दुनियां के उन 14 पूर्व शासकों को सूची में वेशुमार हैं जिन्होंने स्विज बैंकों के गोपनीय खातों में धन छिपा रखा है । इसका जिक्र प्रसिद्ध लेखक ए.जी. नूरानी ने 31 जनवरी 1999 को स्टेट्समेन में छपे अपने लेख में भी किया था ।

(फिलहाल अगस्त - सित. 2008 के सम्पादकीय के अंश)

भारतीयों का स्विटजर लैंड की बैंकों में काफी धन जमा है यह बात लम्बे समय से देश की जनता जानती है । लेकिन स्विज बैंक ऐसोसिएशन ने 2006 में अपनी रिपोर्ट में जब यह कहा कि भारतीयों का 1456 अरब डालर स्विज बैंकों में जमा है तो भारतीय मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी । बाद में राजनीति में आने का प्रयास कर रहे बाबा रामदेव ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की ।

स्विज बैंकों में ही 2006 तक भारतीयों का 1456 अरब डॉलर जमा था जो अब तक और बढ़ गया होगा । स्विटजर लैंड के अलावा दूसरे येरोपीय देशों में भी भारतीयों का पैसा बताया जाता है । अगर सिर्फ स्विज बैंकों में जमा धन की बात की जाए तो वह 2006 में 1456 बिलियन डॉलर था । अगर एक डॉलर 50 रूपए का माना जाए तो यह रकम 72800 अरब रूपए होती है जो हमारी कुल सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के बराबर है । यानी भारत जैसे देश की जो कुल जी.डी.पी. है उतनी रकम स्विज बैंकों में अवैध धन के रूप में पड़ा है ।

यह पैसा किन लोगों का है यह समझना मुश्किल काम नहीं है । देश में सबसे अधिक पैसा तो बड़े पूंजीपतियों के पास ही है । लेकिन पूंजीपति पैसे को इस तरह फंसाए रखना पसंद नहीं करेगा । उसका उद्देश्य पैसे को उद्योग में लगाकर उससे मुनाफा कमाने का होता है । तो यह पैसा राजनेता , नौकरशाह, हसन अली जैसे व्यापारी, अभिनेता जैसों का ही होना चाहिए । यह पैसा हर्षद मेहता और नीरा राडिया जैसे दलालों का होना चाहिए ।

समय-समय पर प्रकाशित खबरों से पता चलता है कि काले धन में जो बेंतहासा वृद्धि हुई है उसमें नब्बे के दशक में तेजी आई थी और सदी के पहले दशक में वह बहुत तेजी से बड़ा है । नेता , नौकरशाह और पूंजीपतियों के गठजोड़ ने इस देश में लूट मचा दी । जमीन सार्वजनिक संपत्ति और प्राकृतिक संसाधनों को कम्पनियों, नेताओं, नौकरशाहों और इनके बीच के दलालों ने मिल कर लूटा । अब 71 लाख के घोटाले को नेता इसलिए घोटाला नहीं मानते कि इनकी रकम बहुत कम है । अब लाखों करोड़ के घोटालों का घोटाला माना जाता है ।

60 हजार करोड़ का कॉमन वैल्थ खेल घोटाला सुरेश कलमांड़ी ने किया। उसके बाद 2जी 1.72 लाख करोड़ का हुई । इसमें संचार मंत्री ए.राजा उसकी बहन कनिमोनी जो राजनेत्री है और एन.जी.ओ. चलाती है । पंूजीपतियों की दलाली करने वाली नीरा राडिया मीडिया कर्मी , प्रभु चावला, पदमश्री बरखा दत्ता, वीर सिंघवी के नाम आए । जाहिर सी बात है 1.72 लाख करोड़ में जिसका जैसा रोल रहा होगा उसको वैसा मिला होगा ।

1990 के बाद जो आर्थिक उदारीकरण देश में शुरू हुआ उसके भले ही समाज के निचले वर्ग की स्थिति और दयनीय हुई हो परन्तु समाज के एक छोटे से वर्ग को इससे काफी फायदा भी हुआ । अगर हम ध्यान से देखें तो स्पष्ट हो जाएगा कि 90 के बाद विदेशों में धन भेजने में ही बढ़ोत्तरी नहीं हुई , देश के अन्दर भी काले धन में बेतहासा वृद्धि हुई । पिछले 10-15 साल में नेताओं ने इस देश को इतना लूटा है जितना इससे पहले और आजादी के बाद नहीं लूटा गया । देश में आजादी के बाद से ही घोटाले हो रहे हैं पर अब जो घोटाले सामने आ रहे हैं । इसकी वजह यही है कि 90 के बाद पूंजीपतियों ने जहां पूंजी का निवेश बढ़ाया है वहीं अपने फायदे के लिए नेता व नौकरशाहों को खूब दलाली दी है । नेताओं की लूट के दो उदाहरण देना यही काफी होगा ।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 30 नवम्बर 2009 में गिरफ्तार किया गया । वे दो साल से भी कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे और इतने कम

समय में उस पर 1340 करोड़ की अवैध सम्पत्ति इकट्ठी करने का आरोप था । दूसरा नाम जगन मोहन रेड्डी का है । जगन मोहन आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. रेड्डी का बेटा है । जगन पर सी.बी.आई. का आरोप था कि उसकी कम्पनियों में 1234 करोड़ का निवेश है ।

2004 के चुनाव में वाई.एस. आर. रेड्डी ने परिवार की कुल सम्पत्ति की घोषणा 50 लाख रूपए की थी , उसमें से जगन के नाम 9.18 लाख रूपए की सम्पत्ति थी । 2008-09 के वित्तीय वर्ष में जगन ने जो इन्कम टैक्स रिटर्न फाइल किया उसमें 2.92 लाख टैक्स दिया है । अप्रेल 2009 के चुनाव में जगन ने 7740 करोड़ की सम्पत्ति की घोषणा की जिसमें 21 करोड़ पैत्रिक सम्पत्ति, कृषि और गैर कृषि भूमि भी शामिल हैं । मई 2011 के उप चुनाव में जगन ने चुनाव आयोग के सामने 365 करोड़ की पत्नी की सम्पत्ति की घोषणा की ।

2004 में 9.18 लाख की सम्पत्ति रखने वाले जगन ने 2011 तक 400 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति बना ली जबकि उसकी वास्तविक सम्पत्ति 1200 करोड़ से भी अधिक है । बताया जाता है कि यह सम्पत्ति उसके पिता के चार साल के मुख्य मंत्रित्व काल में कम्पनियों से इकट्ठी की गई है जिसके बदले में अपने मुख्यमंत्री पिता से वह कम्पनियों के काम कराता था । कहा तो ये भी जाता है कि जगन ने जो सम्पत्ति घोषित की है वह बहुत मामूली है । उसके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले डी.एल. रविन्द्र रेड्डी का कहना है कि बैंगलोर में 31 एकड़ में उसका जो बंगला है उसी की कीमत 400 करोड़ है ।

यह मधु कोड़ा या जगन का सच नहीं है , यह सच है सत्ता में भागीदारी करने वाले हर मंत्री का । ऐसा सम्भव है कि सत्ता में शामिल हर नेता इतनी अधिक लूटपाट में शामिल न हो पर ऐसा तो लगभग असम्भव है कि वह लूट में शामिल ही न हो ।

का॑र्पोरेट ने सिर्फ नेताओं से ही साठ-गांठ नहीं की है , उसने अपने गैर कानूनी कार्यों में सहायता करने वाली सरकारी मशीनरी पर भी खूब चढ़ावा चढ़ाया है । एक उदाहरण में देता हूँ ।

अप्रेल 2010 में मेडिकल काउंसिल आ॑फ इंडिया के चेयरमेन केतन देसाई को गिरफ्तार किया गया । उस पर ज्ञान सागर मेडिकल का॑लेज पटियाला के वाइस प्रेसिडेंट से दो करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप था । 1990 के बाद देश में तेजी से प्राइवेट मेडिकल का॑लेज खुले हैं । 1995 तक उत्तर प्रदेश में एक भी प्राइवेट मेडिकल का॑लेज नहीं था । 1995 से अब तक उत्तर प्रदेश में 14 प्राइवेट मेडिकल का॑लेज खुल गए हैं । मेडिकल कांउसिल आ॑फ इंडिया प्राइवेट मेडिकल का॑लेजों को मान्यता देता है । केतन देसाई पर आरोप सिद्ध हों या का॑लेज प्रति वर्ष देा करोड़ के आसपास एम.सी.आई. को देता है । उसका कारण यह है कि हर का॑लेज एम.सी.आई. निरीक्षण के समय फर्जीवाड़ा करता है । 90ः स्टाफ एक दिन के लिए किराए पर मांगता है 300 बैड का अस्पताल चालू अवस्था में होना चाहिए जो अधिकांशतः नहीं होता । सबसे बड़ी बात यह है कि वह कोई मानक पूरा नहीं करता है और यदि एम.सी.आई. ने मान्यता लटका दी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा । इसलिए जैसे भी हो उसे मान्यता लेनी ही होती है । एक प्राइवेट मेडिकल का॑लेज एक छात्र को एम.बी.बी.एस. की डिग्री देने के बदले 50 से 60 लाख बसूलता है । अगर एक बैच में सौ सीट है तो यह रकम 50-60 करोड़ होती है। जबकि पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेण्ट से एक से सवा करोड़ वसूलता है ।

मुझे याद है 2009 के अन्त में या 2010 के शुरूआत में करीब सौ डीम्ज यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द करने का मामला चल रहा था तब एक परिचर्चा में प्रो. यशपाल ने यही बात इंजीनियरिंग का॑लेज के बारे में कही थी । उन्होंने उदाहरण दिया था कि एक कमरे में एम.बी.ए. का॑लेज चल रहा था । इंस्पेक्शन के दौरान इंजीनियरिंग का॑लेजों में एक दिन के लिए किराए पर कम्प्यूटर लाने की बात

उन्होंने कही थी । ये सब बातें निरीक्षकों को मालूम होती हैं पर लेन देन से हर काम हो जाता है ।

एम.सी.आई. के चेयरमेन केतन देसाई के यहां से 1800 करोड़ रूपए और 1.5 टन सोना बरामद हुआ । यह स्थिति सिर्फ केतन देसाई की नहीं है । जो भी नौकरशाह किसी सरकारी आॅफिस को चलाता है और उसे ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जिनके बदले नाजायज कार्यों को जायज बनाने के बदले पैसे हांसिल कर सकता है ।

स्विज बैंकों में भारत का 1456 अरब डाॅलर जमा है । यह बहुत बड़ी रकम है और हामरे सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है । जहां तक काले धन का मामला है तो वह भारत में भी कम नहीं है । राजनीति और नौकरशाही के कुछ उदाहरण मैंने ऊपर दिए हैं । नौकरशाह और राजनीति के अलावा व्यापारी वर्ग के पास भी काले धन की कमी नहीं है । ऊपर मैंने कहा है कि प्राइवेट मेडिकल काॅलेज एम.बी.बी.एस. की डिग्री 50 लाख के आस पास में देती है । मेडिकल काॅलेज, इंजीनियरिंग काॅलेज, मेनेजमेंट काॅलेज मेंहगें स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे सिर्फ राजनेता या नौकरशाहों के ही नहीं होते हैं । ये बच्चे तमाम छोटे-बड़े बिजनेस करने वाले, बड़ी कम्पनियों में ऊंचा वेतन पाने वालों के बच्चे होते हैं और यह धन ईमानदारी की कमाई से खर्च नहीं किया जाता है । एक प्राईवेट मेडिकल काॅलेज साढ़े छः लाख प्रतिवर्ष की ट्यूशन फीस की ही रसीद देता है जो पंद्रह बीस लाख डोनेशन लेता है वह काले धन के रूप में ही लिया जाता है और काले धन वाले खाते में ही जाता है । इस तरह कारों से चलने वाला 15-20 प्रतिशत ऊपर का तबका है वह किसी न किसी रूप में काले धन का संचय किए हुए है ।

जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में ताकतवर लोग नियम कानून को अपने पक्ष में उपयोग करते रहते हैं और ऐसे कानून बनवाते रहते हैं जो उनके हितों की रक्षा करते हैं । इसी तरह बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एन.जी.ओ. नाम की जो संस्था आई उसने कानून व्यवस्था में कई ऐसे छिद्र पैदा कर दिए जिन से छनकर ढेर सारा काला धन इकट्ठा किया जा सके । इसलिए अधिकांश नेता

नौकरशाह व प्रभावशाली लोगों ने सीधे या अपने निकट सम्बंधियों के माध्यम से एन.जी.ओ. बना लिए । अपवाद स्वरूप कुछ एन.जी.ओ. को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश एन.जी.ओ. फंडिंग का बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी में बदलने की दुकानें ही साबित हुई हैं ।

अभी महाराष्ट्र में गड़करी के मामले का खुलासा हुआ । महाराष्ट्र में नागपुर के पास सरकार ने एक बांध परियोजना के लिए किसानों की जमीन अधिक्रहित की । इसमें से 100 एकड़ जमीन बच गई । किसानों ने अपनी बची हुई जमीन वापस लेने के लिए आवेदन किया तो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार खारिज कर दिया गया । इस नियम के अनुसार अधिग्रहीत जमीन किसानों का वापस नहीं की जा कसती, उसे या तो सार्वजनिक कार्य के लिए उपयोग की जा सकती है या फिर नीलामी की जा सकती है । सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार ने तो यह जमीन किसानों को वापस की जा सकती थी और न नितिन गड़करी को दी जा सकती थी। परन्तु नितिन गड़करी एक एन.जी.ओ. भी चलाते हैं । आज के समय में एन.जी.ओ. से अच्छी सार्वजनिक सेवा भला कौन कर सकता है । सुप्रीम कोर्ट के नियम और एन.जी.ओ. का भला इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है ।

इसी तरह बाबा रामदेव जो काले धन की लड़ाई लड़ रहे हैं , उन्होंने एन.जी.ओ. जैसे तमाम ट्रस्ट बना रखे हैं । इन ट्रस्टों में बाबा ने पचासों अरब रूपए इकट्ठे कर रखे हैं । जब तक बाबा की राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं जागी थी तब तक सरकारें उन्हें प्रोत्साहित कर रही थीं अबर सरकार के प्रवर्तन निदेशालय को यह सपना आया है कि बाबा के ट्रस्टों को इस लिए छूट दी गई थी कि वे गैर लाभकारी हैं परन्तु वे तो व्यवसाय की तरह लाभ कमा रहे हैं । इस समय बाबा रामदेव पर सौ से अधिक केस चल रहे हैं ।

जिस आयोग में सबसे अधिक काला धन लगाया जाता है वह फिल्म उद्योग है । मतलब देश-विदेश में जो काला धन है वह उससे कहीं बहुत अधिक है जिसकी बात की जाती है

भ्रष्टाचार और कानून

पिछले दो वर्ष से भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया हुआ । पिछले तीन सालों में जहां बड़े-बड़े घोटाले निकल कर सामने आए हैं वहीं रामदेव व अन्ना के आंदोलनों ने भ्रष्टाचार पर समाज में एक बहस खड़ी कर दी है । पिछले दो साल में अन्ना के अनशन और जन लोकपाल कानून काफी चर्चा में रहा । पिछले दो साल से अन्ना हजारे जनलोकपाल कानून पास कराने के लिए लड़ रहे थे । अन्ना हजारे और उनकी टीम ने बार - बार यह कहा है कि अगर जनलोकपाल आ गया तो भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा । लोक पाल यानी भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक और कानून , एक संस्था का निर्माण ।

यों देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून की कमी नहीं है । पहले ही कई कानून बने हुए हैं पर सच यह है कि भ्रष्टाचार इस व्यवस्था का बाइ प्रोडक्ट है , व्यवस्था में मूल परिवर्तन किए बिना कानून बना कर उसे समाप्त नहीं किया जा सकता । भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए समय समय पर कई कानून बनते रहे हैं। भ्रष्टाचार विरोधी कानून । ऐजेसियों के माध्यम से भ्रष्टाचार के कुछ मामले उठते रहते हैं परन्तु भ्रष्टाचार बिलकुल कम नहीं हो रहा वह निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है । कुछ भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसियां इस प्रकार हैं -

1. मुख्य सतर्कता आयोग (CVC)

2. एंटी करप्शन ब्यूरो

3. केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

4. महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (CAG)

5. लोकायुक्त

पिछले कुछ सालों में आॅडिटर जनरल (CAG) ने कई बड़े घोटाले खेले हैं । हर सरकारी विभाग में प्रतिवर्ष आॅडिट होता है । आज के समय में किसी सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार व गड़बड़ी न होना एक असम्भव बात है । बावजूद इसके आज तक मैंने यह नहीं सुना कि किसी आॅडिट टीम ने किसी सरकारी दफ्तर में कोई गड़बड़ी पाई हो । दरअस्ल आज के समय में आॅडिट टीम द्वारा पैसे वसूलना एक संवैधानिक नियम सा बन गया है । इससे यह भी पता चलता है कि एक कानून जो भ्रष्टाचार रोकने के लिए बना है, एक स्तर पर यानी कैग के स्तर पर घोड़ा - बहुत प्रसांगिक है कि उससे कुछ घोटालों का खुलासा हो रहा है वहीं निचले स्तर पर वह कानून खुद बेहद भ्रष्ट है ।

आज अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल लोकपाल कानून की बात कर रहे हैं । वे कह रहे हैं कि लोकपाल बन जाने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा । अक्टूबर 2005 में शासन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए और भ्रष्टाचार रोकने के लिए सूचना का अधिकार कानून आया । अगर हम इस कानून के बारे में पढ़ेंगे तो लगेगा कि अब इस देश में किसी तरह का भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता । सब कुछ पारदर्शी हो गया है । आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं । 2005 में कानून बना और 2007 में अरविंद केजरीवाल की एक पुस्तक आई-सूचना का अधिकार । इस पुस्तक के पृष्ठ 23 लिखा है -

‘‘नागरिकों के पास यह ताकत जनप्रतिनिधियों से भी ज्यादा है । कोई विधायक - सांसद सवाल पूछना चाहे तो कोई जरूरी नहीं वह स्वीकृत हो जाए। हुआ भी तो जरूरी नहीं कि सदन में उस पर चर्चा हो । हुई भी तो जरूरी नहीं कि जबाब मिले । एक बार मामला खत्म तो फिर अगले सत्र का इंतजार । एक दिन में कोई विधयक - सांसद कितने सवाल पूछ सकेगा इसकी भी सीमा है । लेकिन

सूचनाधिकार ने नागरिकों को ऐसी तमाम सीमाओं से मुक्ति दिलाई है । कई मामलों में इसने नागरिकों को सांसद - विधायक से भी ज्यादा शक्तियां दी हैं ।'

केजरीवाल ने यह किताब सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद लिखी है । इस पुस्तक को पढ़ने पर उस समय यही लगा होगा कि बस अब भ्रष्टाचार समाप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा । भला इतनी पारदर्शिता होने के बाद भ्रष्टाचार कैसे समाप्त नहीं होगा । लेकिन आज हम अब अच्छी तरह जानते हैं कि सूचना का अधिकार कानून की उपयोगिता और चाहे जो हो परन्तु भ्रष्टाचार रोकने में यह बिलकुल सक्षम नहीं है । अगर भ्रष्टाचार रोकने में इस कानून की कोई भूमिका होती तो पिछले सात सालों में वह जरूर दिखाई देती । लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । बीस साल पहले जो आर्थिक नीतियां देश में लागू हुईं उससे तमाम क्षेत्रों में अत्याधिक बदलाव आया । कम्पनियों ने अपने हित साधने के लिए दलाली (जिसे वे लाॅबिंग भी कहती हैं) को बढ़ावा दिया । सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी भी इन सालों में पहले की अपेक्षा बढ़ी ।

बहुत से लोग यही कहेंगे कि जनता में चेतना नहीं है और वह उसका उपयोग नहीं कर रही है । पर ऐसा नहीं है । जिस तरह हर कानूनी प्रिक्रिया एक जंजाल बन के रह जाती है और अन्ततः उस कानून से भी कुछ हासिल नहीं होता। यह बात सूचना का अधिकार कानून पर भी लागू होती है । जनता सूचना के लिए आवेदन दे । डेढ़ - दो महीने बाद अधिकारी कुछ गोल-मोल से जवाब दे दे या दे ही नहीं । फिर यहां - वहां अपील करती फिरे और उसके बाद भी कोई संतोषजनक उत्तर न मिले और न जवाब न देने वालों को दंडित किया जाए और आधी - अधूरी गलत सूचनाएं प्राप्त करना भी एक कानूनी लड़ाई जैसा बन जाए ऐसी स्थिति में भी यह उम्मीद लगाना कि सूचना का अधिकार कानून से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और शासन व्यवस्था एकदम पारदर्शी बन जाएगी, बेवकूफी के अलावा और कुछ नहीं है ।

सूचना का अधिकार कानून का सबसे अच्छा उपयोग पत्रकारों व एन.जी.ओ. वालों ने किया है । पत्रकार खबरें बनाने के लिए व ब्लैकमेलिंग करने के लिए इस कानून का उपयोग करते हैं तो एन.जी.ओ. वालों के अपने हित सधते हैं और मुफ्त में समाजसेवी व आर.टी.आई एक्टिविस्ट का खिताब ीाी उन्हें मिल जाता है । सूचना के अधिकार से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा या वह कम हो जाएगा ऐसा सोचना तो मूर्खतापूर्ण है परन्तु कुछ सीमा तक यह कानून जनहित में है । व्यक्तिगत स्तर पर कुछ छोटे-मोटे काम कुछ लोग इस कानून के द्वारा करा लेते हैं । कई बार जनहित में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ जाते हैं ।

पिछले साल से अरविंद केजरीवाल के समर्थक इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अगर लोकपाल बिल पास हो गया तो सारे भ्रष्ट नेता जेल में नजर आएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी सरकार लोकपाल बिल क्यों नहीं पास होने देती । क्यों इतने साल से अब तक लोकपाल बिल अटका हुआ है । दरअस्ल ऐसा हर नए कानून के साथ होता है । सूचना का अधिकार कानून से इस भ्रष्ट व्यवस्था में भले ही कोई परिवर्तन न आया हो जनता को सवाल पूछने का अधिकार तो देता ही है । लेकिन सूचना का अधिकार कानून के लिए भी जनता को लम्बी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, तब जाकर 2005 में सूचना का अधिकार कानून अस्तित्व में आया। इसका मतलब यह नहीं था , कि शासक वर्ग डरा हुआ था कि इस कानून के आ जाने से उसकी भ्रष्ट व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा । इसका कारण यह है कि शासक वर्ग ऐसा कोई भी कानून आसानी से पास नहीं करता है जिससे जरा सा ीाी जनहित जुड़ा होता है । इसका एक फाइदा यह भी होता है कि शासक वर्ग जनता की काफी ऊर्जा जनता को संघर्ष कराने में खर्च करा लेता है । दूसरे कुछ समय के लिए जनता को तसलली देने में वह कामयाब रहता है कि इतने संघर्षों के बाद उसने यह कानून हांसिल किया है तो कोई न कोई तो बात होगी ही। जरूर इससे उसकी समस्याएं हल हो जाएंगी।

लोकपाल के मामले में भी यही बात है । यह बात केजरीवाल भी जानते हैं । वे अपनी सत्ता की भूख के लिए कभी बोलते हैं लोकपाल से 60% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा । स्वीडन में ऐसा हो गया, सिंगापुर में वैसा हो गया, हमारे देश में ऐसा हो जाएगा। कभी कहते हैं सिर्फ लोकपाल से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा उसके बाद राइट टु रिकाॅल के लिए लड़ेंगे ।

दरअस्ल हमें यह बात समझनी चाहिए कि भ्रष्टाचार आजादी से पहले भी था और आजादी के बाद भी । जिस तरह की राज्य व्यवस्था को हमने निर्माण किया उसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी और जब तक यह व्यवस्था रहेगी भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहेगी । कानून किसी भी व्यवस्था का एक टूल मात्र होता है और वह उस व्यवस्था के अन्दर ही काम करता है । इस लिए यह बात अब स्थापित हो गई है कि कानून के द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता ।

भ्रष्टाचार के कारण

भ्रष्टाचार क्यों है इस मामले में तरह-तरह के भ्रम इस भ्रष्ट व्यवस्था ने ही अपने का॓र्पोरेट मीडिया के माध्यम से फैला रख हैं । भ्रष्टाचार की बात जब भी आती है मीडिया नेताओं या अधिकारियों की ओर जनता के सारे आक्रोश को मोड़ देता है । मीडिया ने यह बात भी बहुत तेजी से फैलाई है कि भ्रष्टाचार के लिए इस देश की जनता ही जिम्मेदार है । वह ही अच्छे नेताओं को न चुनकर भ्रष्ट नेताओं को चुनकर संसदा विधानसभा में भेजती है । जब अन्ना भ्रष्टाचार के विरूद्ध अनशन कर रहे थे और भ्रष्टाचार का मुद्दा जनता में चर्चा का विषय था उस समय मीडिया निरंतर यह बहस चला रहा था कि जनता ही व्यवस्था को भ्रष्ट करती है । वह अपना काम कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में रिश्वत देती है । ऐसी ही तरह - तरह की धारणाएं जनता में फैलाई गई हैं ।

यह धारणा भी है कि जनता आरिक्षित है , जागरूक नहीं है। अगर जनता जागरूक हो जाए तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं ।

यह बात भी लगातार फैलाई जा रही है कि भ्रष्टाचार की मुख्य वजह लोगों का नैतिक पतन है । उनमें राष्ट्रीय भावना का अभाव है और वे अपने स्वार्थ के लिए जीने लगे हैं । बेईमानी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । लोगों के चरित्र में निरन्तर गिरावट आ रही है । कानून की जटिलता को भी भ्रष्टाचार का कारण माना जाता है । लोगों का कहना है कि कानून इतना जटिल है कि भ्रष्टाचारी उसका फायदा उठाकर छूट जाते हैं । उनको दंड नहीं मिलता । इससे भ्रष्टाचारियों के मन से यह भय निकल गया है कि भ्रष्टाचार करने पर कोई सजा होगी इसलिए वे बिना भय के भ्रष्टाचार करते हैं ।

कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि राजनीति भ्रष्टाचार की जड़ है । पार्टियां चुनावों के लिए पूंजीपतियों से पैसा लेते हैं । इससे राजनीति में भ्रष्टाचार पनपता है । राजनेता के भ्रष्ट होने से प्रशासन भ्रष्ट होता है । अगर पार्टियां फंड लेना बंद कर दें चंदा लेना बंद कर दें , नेता ईमानदार हो जाएं तो पूरा तंत्र ईमानदार हो जाएगा ।

कुछ लोग ऐसे तर्क भी देते हैं क्योंकि सरकारी नौकरों के वेतन इतने कम हैं कि अगर वे वेतन पर ही गुजर करें तो भूखों मर जाएं ।

इस तरह के जो तमाम भ्रष्टाचार के कारण बताए जोते हैं वे सतही बातें हैं । अगर कार्यालयों में आसानी से काम हो जाए तो काम कराने के लिए कौन पैसे देगा । अगर वेतन कम होना ही भ्रष्टाचार की वजह होती तो जिनका वेतन अधिक है वे भ्रष्टाचार नहीं करते । जबकि उनके पास ही अधिक शक्तियां होती हैं और वे अपनी शक्ति का दुरपयोग करते हुए अधिक भ्रष्ट होते हैं । चरित्र भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो स्थिर बनी रहे । सामाजिक मूल्य व्यवस्था से संचालित होते हैं। व्यवस्था में पतन होता है तो सामाजिक मूल्यों में भी पतन होता है । इससे व्यक्तिगत नैतिकता में भी कमी आती है ।

आजादी के बाद नेहरू ने देश में जिस तरह की आर्थिक नीतियां लागू कीं उनमें निजी क्षेत्रों के लिए थोड़ी रूकावट थी और सार्वजनिक क्षेत्र का भी थोड़ा विकास किया गया पूंजीपतियों के पैरोंकारों ने इसे लाइसेंस राज या परमिट राज कहा। यानी निजी क्षेत्र को उत्पादन शुरू करने के लिए सरकारी ऐजेसिंयों की स्वीकृति लेने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था । यह बात जोर शोर उठाई गई कि भ्रष्टाचार की मुख्य वजह परमिट राज या लाइसेंस राज है । निजी पूंजी लगाने के लिए लाइसेंस राज की लम्बी प्रक्रिया के तहत सरकारी ऐजेंसियों को भ्रष्टाचार के रूप में काफी पैसा देना पड़ता है । 1990 में आर्थिक उदारीकरण के तहत देश में नई आर्थिक नीतियां लागू हुई । हमारी अर्थ व्यवस्था को निजी पूंजी के लिए खोल दिया गया । लाइसेंस राज तो खत्म हो गया पर 1990 के बाद अर्थ व्यवस्था पर निजी पूंजी के कब्जा जमाने

की होड़ में अंधाधुध लूट शुरू हो गई । राजनीति और पूंजीपतियों के बीच समझोते की गांठ मजबूत हुई । राजनेता , पूंजीपतियों के क्लर्क और प्रशासनिक अधिकारी उनके चपरासियों की तरह काम करने लगे ।

मनुष्य के जीवन में तीन चीजों का विशेष महत्व है । पहला स्वास्थ्य , दूसरा शिक्षा और तीसरा अपना व बच्चों का भविष्य । स्वास्थ्य एवं शिक्षा दोनों पर निजी क्षेत्र का पूरी तरह कब्जा हो चुका है । सरकारी स्कूल व सरकारी अस्पताल पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है । बच्चों के भविष्य के लिए हर व्यक्ति अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन, कोचिंग दिलवाना चाहता है । 70ः निम्न वर्ग व निम्न मध्यम वर्ग के लोगों की एक मात्र समस्या है किसी तरह दो वक्त का खाना जुटाना और अपना व परिवार का किसी तरह तन ढकना । इससे ऊपर का वर्ग है उसकी आकांक्षा है किसी तरह पैसा इकट्ठा कर उच्च वर्ग की सुख-सुविधाएं हैसियत हांसिल करना । उच्च वर्ग की आकांक्षा है पूंजीपति वर्ग में अपनी साझेदारी हांसिल करना । पूंजीपति वर्ग की आकांक्षा है - अगर दुनियां नर्क बनती है तो बनती रहे , समाज का अधिक से अधिक शोषण कर , व्यवस्था के सारे नियम कानूनों को पैसे से खरीद कर अपने उद्योगों को दुनियां में फैलाना ।

दरअस्ल हमारी वर्तमान व्यवस्था इसी तरह के मूल्य स्थापित करती है। हमारी व्यवस्था इस तरह की सोच की गुंजाइश ही नहीं रखती कि हम मनुष्य हैं , मनुष्य के लिए एक बेहतर समाज का निर्माण करें , जिसमें अच्छे सामाजिक मूल्यों की स्थापना करें ।

हमारी वर्तमान व्यवस्था लोगों में सामाजिकता की भावना नहीं भरती। वह व्यक्ति को व्यक्तिगत तरक्की के लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है । व्यक्तिगत तरक्की से तात्पर्य है सुख-सुविधाएं जुटाना और पूंजी इकट्ठी करना । इस व्यक्तिगत तरक्की के लिए जो रास्ते खुलते हैं वे समाज को भ्रष्टाचार की ओर ले जाते हैं ।

नेशनल काउंसिल आॅफ एप्लाइड इकाॅनोमिक रिसर्च के अनुसार 36% लोग हैं जो किसी तरह अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं और किसी तरह का भ्रष्टाचार करने की स्थिति में नहीं हैं । लगभग 15 %मध्यवर्ग 7.5% उच्च मध्य वर्ग 7.5% उच्च वर्ग हैं । भ्रष्टाचार का सम्बंध इन्हीं तीस प्रतिशत लोगों से है । दरअस्ल सबसे बड़ा भ्रष्ट हमारा बड़ा पूंजीपति वर्ग है । 100 लोगों के हाथ में देश की 25% सम्पत्ति है । मतलब यह है कि अधिकांश भ्रष्टाचार इन कुछ हमार लोगों के हिस्से में जाता है । देश की अधिकांश जनता जो करीब 70% है उसके पास न के बराबर सम्पत्ति है ।

हमारी व्यवस्था इस तरह की है कि वह पूंजीपतियों को भ्रष्टाचार करने की नहीं बल्कि पूरी लूट करने की छूट देती है । व्यवस्था ने पूंजी को सबसे बड़े मूल्य के रूप में स्थापित किया है । जहां पूंजीपतियों का एक मात्र उद्देश्य अधिक से अधिक शोषण करके अधिक से अधिक उद्योग लगाना । इसके लिए पूंजीपति जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं । वे मंत्रालयों में अपनी पसंद के मंत्री पहुंचा रहे हैं । वे मीडिया को खरीद रहे हैं । वे प्रशासन को खरीद रहे हैं । लाॅबिंग के नाम पर हर क्षेत्र में अपने दलाल खड़े कर रहे हैं । ये बाते पिछले दो सबसे बड़े घोटाले 2जी स्पेक्ट्रम व कोयला घोटाले में बहुत स्पष्ट रूप से सामने आई है ।

पिछले कुछ समय से यह बात फैलाई गई है कि देश में बहुत भ्रष्टाचार है । जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो यह सच है कि व्यवस्था में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक भ्रष्टाचार है । लेकिन भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर पूरा ध्यान राजनीति व सरकारी दफ्तरों पर टिका दिया गया है ।

देश और देश की व्यवस्था का लक्ष्य क्या है यह बात बहुत आसानी से समझी जा सकती है । 1990 के बाद अगर हम सरकारों के बयान पर ध्यान दें तो देश के बारे में उनका एक ही बयान होता है, विकास दर में वृद्धि हो रही है । यानी 70ः लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही और हमारा लक्ष्य विकास दर में तेजी से वृद्धि करना है । ऐसे में जब हम अधिक सुधारों के नाम पर पंूजीपतियों

की खुली छूट के लिए कानूनी सुधार ला चुके हैं, उनकी बढ़नी ही हैं । अभी शुरूआत है इसलिए हम यह समझ रहे हैं कि का ॅर्पोरेट राजनेताओं , मीडिया, प्रशासन को अपने दलालों के माध्यम से खरीद कर भ्रष्टाचार कर रहा है पर कल को अमेरिका और ब्रिटेन की तरह कानून बन जाएगा तब हमें लगने लगेगा कि वह भ्रष्टाचार नहीं ला ॅबिंग कर रह है । जब ला ॅबिंग करना कानूनी हो जाएगा तो हमें आज जो नेता भ्रष्ट लग रहे हैं कल को यही मीडिया हमसे कहेगा कि नेता कहेंगे कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं । सब कुछ कानून के अनुसार हो रहा है और कुछ कलत है तो उसकी जांच कराई जाएगी । यह का ॅर्पोरेट और नेताओं व प्रशासन के भ्रष्ट होने का स्पष्ट सा कारण है ।

कभी इन्दिरा गांधी ने कहा था कि भ्रष्टाचार दुनियां के हर देश में है और संस्थागत है । यानी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हमारी जो लोकतंत्र नाम की संस्था है उसका चरित्र ऐसा है कि उसमें भ्रष्टाचार अवश्यभावी है । वैसे ही जैसे हमारी शादी नाम की संस्था है उसमें बच्चे होना बहुत ही स्वाभाविक है । इस तुलना में फर्क सिर्फ इतना है कि विवाह नाम की संस्था में बच्चे पैदा होने या न होने पर नियंत्रण पा लिया है जबकि हमारी लोकतंत्र नाम की जो संस्था है उसमें भ्रष्टाचार को कुछ स्तरों पर थोड़ा नियंत्रित तो किया जा सकता है पर खत्म करना सम्भव नहीं है ।

दरअस्ल हमारी व्यवस्था की संचालक शक्ति अधिक से अधिक पूंजी कमाना ही है । जहां 70% लोगों के पास न पूंजी कमाने के अवसर हैं न भ्रष्टाचार करने के वहीं हमारा कानून चंद पूंजीपतियों के लिए बेतहासा पूंजी इकट्ठी करने के व मनमाने भ्रष्टाचार छूट देता है । उसके साथ ही मध्य वर्ग से उच्च वर्ग तक जो 30% आबादी है उसे भी जहां जो जिस स्थिति में है उसके अनुसार भ्रष्टाचार करने की छूट देता है । अगर भ्रष्टाचार रोकने के लिए इस 30% हिस्से की नकल कस दी जाए तो उसमें अत्याधिक असंतोष बढ़ जाएगा और उसके असंतोष ने नीचे की 70% जनता के असंतोष को भी भड़का दिया तो वह इस पूरी व्यवस्था के लिए खतरा खड़ा कर

देगा । इस लिए जनता के इस हिस्से में भ्रष्टाचार के अवसर कम , ज्यादा तो हो सकते हैं खत्म नहीं हो सकते ।

व्यवस्था का अपना चरित्र है कि वह तमाम चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलते रहने देना चाहती है जब तक कि जनता में उसे लेकर कोई बड़ा विद्रोह पैदा होने की सम्भावना न हो । और अगर ऐसा हो भी जाता है तो वह थोड़ी सी जनता की बात मान लेती है । जैसे जनता की लम्बी लड़ाई के बाद उसने सूचना का अधिकार कानून बना दिया । जबकि उसे मालूम है कि इससे कुछ समय के लिए लोगों का आक्रोश शांत हो जाएगा और व्यवस्था को चलाने की संचालक शक्ति यानी भ्रष्टाचार यथावत बना रहेगा ।

नैतिक व सामाजिक मूल्य और भ्रष्टाचार

यह बात सामान्य लोगों से लेकर प्रबुद्ध लोगों तक फैलाई गई है कि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है , चरित्र में गिरावट आ रही हैं , लोग भ्रष्ट हो गए हैं इसलिए भ्रष्टाचार है । पिछले दिनों जब भ्रष्टाचार के विरूद्ध आंदोलन हुए तब मीडिया ने बाकायदा इस बात का जोर-शोर से प्रचार किया था कि भ्रष्टाचार के लिए समाज ही जिम्मेदार है । अगर लोग रिश्वत न दें तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। दरअस्ल भ्रष्टाचार के लिए समाज नहीं हमारी व्यवस्था जिम्मेदार है ।

जहां तक सामाजिक मूल्यों की बात है तो सामाजिक मूल्य या नैतिक मूल्य समाज से निर्पक्ष कोई ऐसी सार्वभौमिक चीज नहीं है कि वह हमेशा एक जैसे बने रहें । व्यवस्था की जैसी बुनियाद होती है और उस बुनियाद पर उसका जैसा विकास होता है, उसी के अनुसार सामाजिक व नैतिक मूल्यों में बदलाव आता है। यह सोचना कि सिर्फ हरिश्चंद की कहानी सुना देने से या फिल्में दिखा देने से लोग सत्यवादी बन जाएंगे एकदम बचकानी बात है । हो सकता है कुछ भोले लोग कहेंगे कि बच्चों को शुरू से ही नैतिक संस्कार देने चाहिए । वे मांग कर रहे हैं कि पाठ्य क्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए । कुछ लोग यह भी कहेंगे कि धर्म का ह्नास हो रहा है इसलिए नैतिक मूल्यों में गिरावट आ रही है । हमें याद होगा कि 25-30 साल पहले नैतिक शिक्षा नाम का विषय पाठ्यक्रम में था , जिसमें 'माँ मैं सदा सत्य बोलूँगा' जैसी कविताएं व नैतिक मूल्यों को स्थापित करने वाली कहानियां थीं। धर्म से आज के समाज में कभी नैतिक मूल्यों में वृद्धि नहीं हो सकती , ढोंग और पाखण्ड को बढ़ावा मिलता है ।

समझने वाली बात है कि वे कौन सी चीजें हैं जो सामाजिक मूल्यों को , नैतिक मूल्यों को संचालित करती हैं । आखिर क्यों हुआ कि आजादी के समय जब

देश भर में लोग आजादी पाने के लिए तक कुर्बान करने को तैयार थे और उन्होंने तमाम संघर्षों के बाद आजादी हांसिल की । आजादी के बाद हम देखते हैं कि सामाजिक मूल्यों में निरंतर गिरावट आई है । ऐसे में यह सोचने की बात है कि आखिर वे कौन से कारण हैं जो सामाजिक मूल्यों को तोड़ते चले जा रहे हैं । लोग सरकारी सेवाओं में जाते हैं तो भ्रष्टाचार का प्रशिक्षण लेकर नहीं जाते हैं । जहां तक संस्कारों की बात है तो उन्हें बचपन से कोई यह नहीं सिखाता है कि तुम बड़े होकर भ्रष्ट बनना । सरकारी व्यवस्था की बात छोड़ दीजिए जो लोग अपना काम (छोटे-मोटे काम से लेकर का◌ॅर्पोरेट कम्पनियों तक) करने वाले हैं वे भी अपने काम में ईमानदारी कहां बरतते हैं । आज दूध और मीठे में कितनी खतरनाक चीजें मिलाई जाती हैं जो स्वास्थ्य के लिए भी बेहद खतरनाक हैं ।

कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तमाम लोग यही सोचते है कि कलयुग आ गया है । धर्म का क्षय हो रहा है । इसलिए नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। दरअस्ल सच यह है कि कलयुग धर्म या अध्यात्म से भ्रष्टाचार या नैतिक मूल्यों का कोई सम्बन्ध नहीं है । आज बाबा , धर्म गुरूओं के धार्मिक समारोहों में जिस तरह भीड़ उमड़ती है उससे यह नहीं लगता कि धर्म का क्षय हो रहा है । दरअस्ल धर्म , समाज पर बाहर से थोपी हुई चीज है । धर्म के पास एक भय होता है कि गलत काम करोगे तो ईश्वर तुम्हें दण्ड देगा । सिर्फ काल्पनिक दण्ड के भय से नैतिक मूल्यों की स्थापना नहीं की जा सकती । यह सब हम समाज में देख भी सकते हैं। जो लोग धर्म गुरूओं व बाबाओं के दरबारों में धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं , जो लोग प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, जो लोग सुबह - शाम घंटा भर पूजा करते हैं , उनके अंदर भी वैसे ही मूल्य होते हैं । जहां तक कि वे बाबा, धर्मगुरू जिनके पीछे बेशुमार भीड़ होती है, बेशुमार धन दौलत के साथ एश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए ऐसा सोचना कि कलयुग या गया है इसलिए व्यक्ति के चरित्र का पतन हो रहा है । बिलकुल फिजूल की बात है ।

व्यक्ति जीवन में किस तरह के मूल्यों को अपनाएगा यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है । जैसे उसका पारिवारिक परिवेश , वह समाज जिसमें वह रहा रहा है, शिक्षा आदि । सामाजिक मूल्य वर्ग के अनुसर भी तय होते हैं । जैसे उच्चवर्ग के सामाजिक मूल्य निम्नवर्ग के सामाजिक मूल्यों से भिन्न होंगे ।

शहर और ग्रामीण परिवेश के सामाजिक मूल्य भिन्न - भिन्न होते हैं । यह भिन्नता उस सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता के कारण है जिसमें तेजी रहे हैं। शहरों का जीवन एक - दूसरे से स्वतंत्र होता है । इसलिए लोग एक-दूसरे के सुख-दुख से अधिक मतलब नहीं रखते । गांव के लोगों का जीवन एक दूसरे से जुड़ा होता है । खेतीवाड़ी के काम एक - दूसरे के सहयोग से ही होते हैं । इसलिए शहर के लोगों की अपेक्षा गांव के लोगों में एक-दूसरे के सुख-दुख में अधिक सहभागिता होती है । लेकिन पिछले 25-30 सालों में गांवों में जो परिवर्तन आए हैं उससे वहां के सामाजिक मूल्यों में भी परिवर्तन आए हैं ।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो वह ईमानदारी जैसे सामाजिक मूल्य से जुड़ा हुआ है । समाज में ईमानदारी बहुत ही व्यवहारिक मूल्य के रूप में रही है । जैसे धार्मिकता व्यवहारिक रूप में रहती है । एक धार्मिक व्यक्ति सुबह-शाम पूजा पाठ भी करता है और वे सब काम भी करता है जो धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं है । समाज में सत्य और ईमानदारी का व्यवहारिक पक्ष एकदम अलग है । दरअस्ल समाज में सत्य और ईमानदारी एक सामाजिक मूल्य के रूप में उस तरह की कमी नहीं रही जिस तरह सत्यवादी हरिश्चंद की कथा के द्वारा स्थापित की जाती है । हरिश्चंद की तो बात ही छोड़िए महात्मा गांधी की जो सत्य और ईमानदारी की अवधारणा थी वह एक समाज में कभी स्थापित नहीं हो सकी । दरअस्ल कोई नैतिक शिक्षा की कहानी के माध्यम से न तो समाज में स्थापित किया जा सकता है और न बनाए रखा जा सकता है । समाज में वही मूल्य स्थापित होते हैं जिनकी कुछ उपयोगिता होती हैं । जैसे ईमानदारी को ही लें । गांवों में जरूरत पड़ने पर लोग एक-दूसरे से पैसे उधार लेते हैं । कई बार लोग भाईचारे में दूसरों को पैसे उधार दे

देते हैं, कई बार दिए गए पैसों पर ब्याज लगाते हैं । मैंने देखा है, इन पैसों की कोई लिखा पढ़ी नहीं होती फिर भी लोग बेईमानी कम ही करते हैं , ईमानदारों से वापिस कर देते हैं । फसल का सीजन आने पर गांव के कुछ लोग व्यपारी बन जाते हैं । हरी मटर जैसी सब्जी जिसे खेत से तुड़वाने के बाद रोक भी नहीं सकते । उन्हें उ.प्र. के लोग दिल्ली या कानपुर की मंडियों में बेचते हैं । कभी-कभी इसमें घाटा भी हो जाता है । जो किसानों के बीच के ही लोग या खुद किसान होते हैं वे अधिकांशतः इस घाटे को बर्दाश्त कर लेते हैं और किसानों का हिसाब कर देते हैं । लोगों ऐसा किसी धर्म के भय से नहीं करते हैं कि वे बेईमानी कर लेंगे तो ईश्वर उन्हें नर्क में भेज देगा और न वे इसलिए करते हैं कि वे हरिश्चंद्र को आदर्श मानते हैं या उनके मस्तिष्क पर महात्मा गांधी की नकल न करने वाली कहानी ने बहुत असर डाला है । इसका सीधा सा मतलब है कि वे अपने सामाजिक दायरे में अपनी सामाजिक विश्वसनीयता को नहीं खोना चाहते हैं । कभी-कभी लोग बेईमानी कर लेते हैं और उन्हें उसका खामियाजा उठाना पड़ता है । ऐसे लोगों का कितना ही जरूरी काम क्यों न हो, भले ही उनका आदमी मर जाए पर लोग बिना कोई चीज गिरवीं रखे ब्याज पर भी ऐसे लोगों को पैसे नहीं देते हैं । इसी सामाजिक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए लोग अपने आप को ईमानदार बनाए रखने की हर सम्भव कोशिश करते हैं ।

दूसरी तरफ शहरी लोगों में इस तरह के सामाजिक अंतसंबंध बहुत सीमित होते हैं । उनमें वैयक्ति भावना अधिक होती है । निचले तबके में फिर भी लोग एक जगह काम करते हैं , उनके हित भी एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसलिए उनमें सामामजिकता का आग्रह रहता है परन्तु मध्य वर्ग व उच्च मध्य वर्ग में यह आग्रह भी कमजोर पड़ जाता है ।

किसी व्यवस्था में कैसे सामाजिक मूल्य होंगे यह बाहर से या कोई आदर्श कहानी बनाकर नहीं थोपे जा सकते । व्यवस्था की जैसी संचालक शक्ति होती है उसी के अनुसार वह अपने सामाजिक मूल्य तय करती है । हमारी वर्तमान व्यवस्था

की संचालक शक्ति पूंजी है । राज्य व्यवस्था का कर्तव्य होना चाहिए , हर नागरिक को रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा उपलब्ध कराए । उसके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें । राज्य व्यवस्था ने कभी अपनी यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। इसके बदले वह अपने नागरिकों से कहती है कि वह उन्हें मनमाने पैसे कमाने का या मन पसंद रोजगार अपनाने का अपने रोजगार को समृद्ध करने का अवसर देती है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति खुद ही अपनी व अपने बच्चों की जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बनाए रखे । स्वाभाविक सी बात है हर व्यक्ति अपनी व अपने बच्चों की जिंदगी को बेहतर बनाना चाहेगा । यह एक अलग बात है कि हमारी राज्य व्यवस्था सत्तर प्रतिशत लोगों के जीवन को बेहतर बनाना तो क्या समान्य जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करने की गुंजाइश भी नहीं छोड़ती । व्यवस्था जिन्हें अपनी व अपने परिवार की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने , पूरी करने के अवसर देता है उनके सामने व्यवस्था एक लक्ष्य रख देती है कि अब वे और अधिक पैसा कमाकर और बेहतर सुरक्षित व एश्वर्यपूर्ण अपना जीवन बनाएं । जिनके पास इतना सब कुछ पहले से है उनके पास भी यही लक्ष्य है कि वे और अधिक पैसा कमाएं , अधिक एश्वर्यपूर्वक रहें । जिनके पास अथाह पूंजी है उनके सामने भी यही लक्ष्य है कि वे अपनी अमीरी का लोटा देश दुनियां में मनवा दें ।

इस तरह पूरी व्यवस्था की जो चालक शक्ति है वह पूंजी है । पूंजी आज का सबसे बड़ा मूल्य बन गया है । क्योंकि पूरे समाज की चालक शक्ति पूंजी है और वहीं सबसे बड़ा मूल्य तब यह बात निरर्थक हो जाती है कि पैसा आपने कैसे कमाया है । यह बात एक दम स्पष्ट हो गई है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। जो व्यक्ति छोटे स्तर पर गतल कर रहा है वह निश्चित है कि अगर उसके पास पैसा है तो पुलिस , प्रशासन से लेकर न्याय तक सब को खरीद सकता है । जो पूंजीपति है वह करता है, सरकार उसकी जेब में है या राजनीतिक दल उसकी जेब में हैं । क्योंकि पैसा सबसे बड़ा मूल्य बन गया है और उचित तरीकों से व ईमानदारी से पैसा कमाने की सीमा है इसलिए लोग जो भी सम्भव तरीके होते हैं । उन्हें पैसा

कमाने के लिए उपयोग करते हैं । ऐसे में ईमानदारी जैसा मूल्य जो पैसा कमाने में सबसे बड़ी बाधा है, वह समाज खड़ा नहीं रह सकता।

किसी भी समाज में ऐसा नहीं होता है कि सारे लोग ईमानदार हों या सारे लोग भ्रष्ट हो जाएं । लेकिन हर क्षेत्र में जब भ्रष्टाचार का बोलवाला हो और भ्रष्टाचार का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हो , कोई भी कानून उसके विरूद्ध कार्य करने में सक्षम न हो पा रहा हो तब गौर करने की बात होती है आखिर हमारी व्यवस्था में ऐसी क्या चीज है जो पूरी व्यवस्था को भ्रष्ट करती जा रही है ं जहां तक कि किसी विभाग में कोई व्यक्ति ईमानदारी से काम करना भी चाहे तो कर नहीं सकता । जैसे एक थाना इंचार्ज अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो भी वह कर नहीं सकता ।

जो लोग यह कहते हैं कि ईमानदार नेताओं को चुनना चाहिए उन्हें यह समझना चाहिए कि सरकारी सेवाओं में आने वाले तमाम लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में ईमानदार रहने की कोशिश करते हैं परन्तु कुछ समय बाद ही समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाते हैं । यहां तक उदाहरण देना उचित होगा। स्वास्थ्य विभाग में एक अवैतनिक पद होता है - आशा/आशा का मुख्य काम होता है , गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पताल में लाकर उसका वहां प्रसव कराना व टीकाकरण में ए.एन.एम. (एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ) की सहायता करना । आशा गांव से ही कम पढ़ी लिखी महिलाएं होती हैं । इन्हें अस्पताल में एक प्रसव कराने के सात सौ रूपए मिलते हैं । जब आशा चुनी गईं थी तब प्रसव करा कर वे बहुत कम कमा पाती थीं। अब आशाओं को भी अच्छी कमाई हो जाती है । महिलाओं के बाहर अल्ट्रासाउंड कराने ले जाती हैं । उसका कट मिल जाता है । केस रीफर होते हैं उन्हें बड़े सरकारी अस्पतालों में न ले जाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाती हैं और वहां से कट मिल जाता है । सोचिए गांव की एक कम पढ़ी लिखी वही अनपढ़ महिला मौका मिलते ही अपने लिए अतिरिक्त कमाई का अच्छा मौका तलाश लेती है या अल्ट्रासाउंड सेंटर व

मैटरनिटी होम उसे कमाई के रास्ते दिखा देते हैं तो सोचिए जो पढ़े लिखे लोग सरकारी सेवाओं में आते हैं वे क्या नहीं कर सकते ।

इसलिए इस व्यवस्था में समाजिक या नैतिक मूल्यों की बात करना , चरित्र निर्माण की बात करना एक दम निरर्थक है । जब तक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं होगा, पैसे को सबसे बड़े सामाजिक मूल्य की हैसियत से गिराकर व्यक्ति की जरूरतों तक नहीं लाया जाएगा , देश के उत्पादन को मुनाफा यानी पैसा न जोड़कर व्यक्ति की जरूरत व समाज के विकास से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक अच्छे सामाजिक मूल्यों की स्थापना कतई सम्भव नहीं है ।

वर्तमान में हुए कुछ भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

2010 व 2012 में राम देव व अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन काफी चर्चित रहा । देश में जहां समस्याएं ही समस्याएं हैं फिर भी किसी तरह का आंदोलन जनता में खड़ा न हो पाना उन लोगों को निराश करता रहा है जो इस समाज को बदलना चाहते हैं । ऐसे में अन्ना और रामदेव के अनशन में लोगों ने जो भाग लिया उससे एक उत्साह का माहौल बना था । लेकिन जरूरी नहीं कि हम जहां संघर्ष खड़े होने की उम्मीद देख रहे हैं वहां संघर्ष खड़ा ही हो जाए किसी भी सामाजिक संघर्ष के लिए संघर्षशील जनता और उसके नेतृत्व दोनों का विशेष महत्व है । ऐसे में जब संघर्षशील जनता की चेतना विकसित होती हैं तब नेतृत्व गलत हाथों में होने पर चेतनशील जनता के बीच संघर्ष चला कर नेतृत्व में बदलाव की सम्भावना होती है । लेकिन संघर्षशील जनता की चेतना विकसित न हो और वह पूरी तरह नेतृत्व की अंधभक्त हो तो समूचे संघर्ष का भविष्य नेतृत्व ही तय करता है । ऐसे संघर्ष के किसी मुकम्मल मुकाम तक पहुंचने की संभावना तब खत्म हो जाती है जब नेतृत्व अपने हित साधन के लिए जनता को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा हो । अन्ना और रामदेव के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों को एसी रौशनी में देखे जाने की जरूरत है ।

रामदेव और उनका काला धन-

एक दशक पहले साइकिल से चलने वाले बाबा रामदेव ने इतने कम समय में धन का अम्बार लगा दिया । जून 2011 में उन्होंने अपने चार ट्रस्टों की सम्पत्ति 11 अरब 77 करोड़ घोषित की है । यह सम्पत्ति रामदेव के चार ट्रस्टों की है ।

जून 2012 में बाबा को इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने 4.95 करोड़ टैक्स का नोटिस दिया । डिपोर्टमेंट के अनुसार बाबा अपने योग शिविरों में व्यवसायिक तरीके से पैसा कमाते हैं और उसका टैक्स नहीं भरते हैं । बाबा के गैर आवासीय शिविर में 51रू. से 7000 रू. फीस आवासीय शिविर जिनमें वातानुकूल की सुविधाएं सम्मिलित हैं, की फीस 8000 रू. से 12000 रू. है ।

नवम्बर 2012 में बाबा को सेंट्रल एक्साइज निदेशालय 5.14 करोड़ के सेवाकर भरने का नोटिस दिया । आरोप था कि वे हरिद्वार में व्यवसायिक गतिविधयां चला रहे हैं । बेशक रामदेव ने अपने चार ट्रस्टों की सम्पत्ति 12 अरब घोषित की है पर उनका वास्तविक साम्राज्य कितना विशाल है यह सिर्फ अनुमान की बात है । सत्य साईं बाबा का क्षेत्र दूसरा था । उनके ट्रस्टों के पास अथाह सम्पत्ति थी फिर भी उनकी सीधे राजनीति में आने की महत्वाकांक्षा नहीं जगी तो शायद इसलिए कि उन्हें आभास रहा होगा कि भगवान बनना राजनीति से ज्यादा ठीक रहेगा । उन्होंने राजनीति पर पहुंच बनाए रखी और अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित किया।

राम देव को व्यवसाय बढ़ाना है । उन्हें उनके अनुयायी एक योग शिक्षक के रूप में मानते हैं । योग शिवरों में भी अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए 51 रू. से लेकर 12000 रू. तक फीस होती है पर राम देव का असली धंधा , अचार मुरब्बा, च्वयनप्रास सहित दवाओं के नाम पर बनाए नुस्खों के रूप में बेचे जा रहे करीब 300 उत्पादों की एक बड़ी कम्पनी के रूप में है । वे अगरबत्ती , साबुन, मंजन से लेकर एड्स और कैंशर का इलाज तक सब कुछ बेचते हैं । एक बड़े व्यवसाई के लिए आज के समय में आवश्यक है कि वह राजनीतिक पहुंच रखे । इसलिए रामदेव के मन में राजनीतिक महत्वाकांक्षा का उभरना बहुत स्वाभाविक है ।

रामदेव ने राजीव दीक्षित के साथ मिलकर भारत स्वाभिमान मंच बनाया । जिसके पांच लक्ष्य थे -

1. 100 प्रतिशत मतदान

2. 100 प्रतिशत राष्ट्रीय विचार

3. 100 प्रतिशत विदेशी कम्पनियों का बहिष्कार स्वदेशी अपनाना

4. 100 प्रतिशत राष्ट्रीय नागरिकों की एकरूपता

5. 100 प्रतिशत योग केन्द्रित राष्ट्र

सन 2014 का चुनाव नजर में रखते हुए रामदेव न भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ अपनी राजनीति रणनीति शुरू की । जो लोग जनवरी 2010 के हरिद्वार कुंम में गए होंगे और उन्हेंने बाबा रामदेव के होर्डिंग्स देखे होंगे वे जानते होंगे कि अब तक बाबा राजनीतिक पारी की शुरूआत करने की तैयारी कर चुके थे । गांव-गाव जाएंगे भ्रष्टाचार मिटाएंगे जैसे नारों से होर्डिंग्स रंगे हुए थे । लेकिन बाबा जल्दी ही समझ गए कि न तो भारत स्वाभिमान मंच के फासीवादी किस्म के इन पांच लक्ष्यों के भरोसे 2014 के आम चुनाव में हस्तक्षेप किया जा सकता है और न भ्रष्टाचार जैसे अमूर्त मुद्दे को चुनाव तक खींचा जा सकता है । इसलिए जब काले धन के बारे में विकीलिक्स ने खुलासा किया व यह मुद्दा मीडिया में उठ खड़ा हुआ तो बाबा ने लपक लिया । उन्हेंने राजनीतिक पार्टीवाजों की तरह यह बात जनता में फैलाई कि कालाधन वापिस आने पर सब को एक-एक लाख रूपए मिल जाएगा । काले धन के लिए उन्होंने समाधान भी खोज लिया , पांच सौ-हजार के नोट बंद कर दिए जाएं और काले धन की समस्या खत्म ।

रामदेव का दुर्भाग्य यह है कि जैसे बालकृष्ण उनकी फार्मेसी का गोरखधंध चला रहे हैं वैसे ही राजवी दीक्षित को भारत स्वाभिमान मंच का हत्था पकड़ के राजनीति की रणनीति तय करनी थी परन्तु नवम्बर 2010 में उनका देहांत हो गया। फिर रामदेव के लिए भारत स्वाभिमान आंदोलन एक नारा बन के रह गया

। हालांकि आगे की राजनीति रणनीति बनाने की रामदेव ने कोशिश जरूर की पर वे अपनी राजनीतिक जड़े जमाने में सफल नहीं हो पाए ।

जब रामदेव ने यह तय ही कर लिया कि उन्हें राजनीति में भी हस्तक्षेप करना ही है तो उन्हेंने राजनीति के मूल तत्व को समझने की कोशिश की । 2012 के अंत तक वे संघ, बी.जे.पी. केजरीवाल आदि के साथ अपने राजनीतिक भविष्य के लिए रणनीति बनाते रहे । 27 फरवरी 2011 को जब रामदेव ने अपने नेटवर्क से करीब एक लाख की भीड़ रामलीला मैदान में जुटाली तब केजरीवाल को यही लगा कि रामदेव उनकी गाड़ी पार लगा देंगे । पर अपे्रल 2011 के अन्ना के तीन दिन के अनशन के बाद जो माहौल बना उसने रामदेव की रणनीति गड़बड़ा दी । अन्ना और रामदेव भ्रष्टाचार से लड़ने की बात कर रहे थे परन्तु अप्रेल 2011 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे रामदेव की नींद उड़ जाए सिवा इसके कि रामदेव की जगह अन्ना की लोकप्रियता बढ़ गई इसलिए रामदेव ने जून में अपना अलग शक्ति प्रदशन जरूरी समझा । सरकार ने बर्बरता पूर्वक उन्हें रामलीला मैदान से खदेड़ दिया और उसी के साथ उनकी राजनीतिक रणनीति पूरी तय असफल हो गई । अगस्त में अन्ना के दोबारा अनशन से देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बना पर रामदेव कहीं नजर नहीं आए । अगस्त 2012 में उन्हेंने दोबारा उठने की कोशिश जरूर की पर इस बार सरकार ने उन्हें बिलकुल गंभीरता से नहीं लिया । जब सरकार का कोई व्यक्ति उनसे बातचीत करने तक नहीं आया तो बी.जे.पी. के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने अनशन समाप्त किया। रामदेव का अपना नेटवर्क है और वे कुछ भीड़ जुटा सकते हैं पर राम मंदिर की बात दूसरी थी । भ्रष्टाचार ओर काले धन के मुद्दे पर रामदेव के लिए राजनीतिक जड़े जमाना आसान नहीं होगा । भले ही उनके पास भीड़ जुटाने का अपना नेटवर्क है ।

अन्ना हजारे का आन्दोलन-

सूचना का अधिकार कानून के लिए मैग्से से पाने के बाद अरविंद केजरीवाल कुछ दिन इत्सीनान से अपने एन.जी.ओ. पर ध्यान दे सके कि अब लगभग भ्रष्टाचार समाप्त हो ही जाएगा । इधर उन्हें इलहाम हुआ है कि भ्रष्टाचार अभी समाप्त नहीं हुआ है सो उन्होंने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए एक और कानून बनवाने की बीड़ा उठा लिया है । इसलिए तमाम एन.जी.ओ. चलाने वाले अब देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल बनवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ।

भ्रष्टाचार विरोधी इस मुहिम में अप्रेल 2011 में तीन दिन के अनशन से अन्ना हजारे को जो मीडिया कवरेज व लोकप्रियता मिली उसका किसी को भी अनुमान नहीं रहा होगा । अगस्त 2011 में अन्ना जब दोबारा अनशन पर बैठे तब देश भर में भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक माहौल बना । लम्बे समय से समाज में कोई जनादोलन न खड़ा हो पाने से हतास लोगों को ऐसा लगने लगा कि शायद यह मुहिम अपना दाइरा बढ़ाए और समाज में कोई परिवर्तन हो । उन्हें उम्मीद बंधी कि अभी भी लोग सड़को पर उतर सकते हैं जनांदोलन हो सकता है , समाज में बदलाव आ सकता है । भ्रष्टाचार के विरूद्ध शुरू हुई इस मुहिम का अंत एक राजनीतिक पार्टी के गठन के रूप में हुआ।

5 अपे्रल 2011 को अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल के लिए अनशन किया । तीन दिन के इस अनशन में मिली मीडिया कवरेज व जनता के समर्थन ने अरविंद केजरीवाल के अंदर आत्मविश्वास पैदा किया और वे अपनी एन.जी.ओ. टीम के साथ घोषित अगस्त 2011 में अनशन की तैयारी के लिए जुट गए । देश में अब तक बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं लेकिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी इस आंदोलन की अब तक की सबसे अलग विशेषता यह थी कि इसे आर्गेनाइज्ड करने में इंटरनेट , सोशल मीडिया, मोबाइल व मीडिया का विशेष योगदान था । केजरीवाल ने पूरे

आंदोलन को इवेंट मैनेटमेंट की तरह मैनेज किया । इंटरनेट , फेसबुक, टिवट्र पर भावुक किस्म का प्रचार किया गया । अन्ना और केजरीवाल के के बारे में मिस्डकाॅल वाले मोबाइल नम्बर पर मैसेज भेजे गए कि अस्सी साल के बीमार अन्ना, आपके बच्चों की खातिर अनशन पर बैठ रहे हैं । अरविंद केजरीवाल को भयंकर डाइबिटीज है । हांगकांग और स्वीडन के बारे में कहानियां बना-बना कर फेसबुक पर साझा की गई । इस तरह अपने एन.जी.ओ. कर्मचारियों सोशल मीडिया व मीडिया की सहायता से सिविल सोसाइटी यानी एन.जी.ओ. संचालकों ने भ्रष्टाचार को समाज के अंदर एक मुद्दा बना दिया । लेकिन अगस्त 2011 में अन्ना हजारे की अनशन ने एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया उसके दो अन्य कारण भी महत्वपूर्ण हैं । आए दिन हजारों - लाखों करोड़ के घोटालों का खुलना , हर माह डीजल, पेट्राॅल के दाम बढ़ना निरंतर मंहगाई बढ़ते जाना कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग की स्थिति खराब कर रखी है । उसके लिए जिंदगी मुश्किल होती जा रही है । और नेता व नौकरशाहों ने लूट मचा रखी है इससे वह

हताश था । ऐसे में केजरीवाल और उनकी एन.जी.ओ. टीम भ्रष्टाचार समाप्त करने का आश्वासन लेकर आई तो वह सहज ही उनके साथ जुड़ गया ।

इस आंदोलन को देश व्यापी बनाने में भाजपा का भी कम महत्व नहीं था। चुनाव में ज्यादा समय नहीं था और उसके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं था । सरकार में नित नए घोटाले खुलने के बावजूद वह भ्रष्टाचार को मुद्दा नहीं बना पा रही थी । अगर कांग्रेस के घोटाले सामने आ रहे थे तो जिन राज्यों में भाजपा की सरकार थी वहां भी कोई अच्छी स्थिति नहीं थी । कांग्रेस की बुरी स्थिति होने के बावजूद भी भाजपा उसका विकल्प नहीं बन पा रही थी । ऐसे समय में जब केजरीवाल और अन्ना ने लोकपाल व भ्रष्टाचार के नाम पर सरकार को घेरा तो भाजपा को एक आशा की दिशा दिखाई दी और उसने अन्ना की टोपी पहनाकर सिर्फ अपने कार्यकर्ता देशभर में उतार दिए बल्कि अपने दूसरे संगठन जैसे विद्यार्थी परिषद को भी सक्रिय

कर दिया। इस तरह अगस्त 2011 में अन्ना की अनशन के साथ यह तथाकार्थक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ ।

किसी भी जनांदोलन में जनता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है । आंदोलन की सफलता के लिए यह जरूरी है कि वह चेतनशील हो और उसमें लक्ष्य हांसिल करने तक संघर्ष करने की क्षमता हो । दरअस्ल जनता तभी निरन्तर सेघर्ष कर सकती है जब उसमें पर्याप्त चेतना हो या उसमें अत्याधिक असंतोष हो । जनांदोलन के नेतृत्व की यह जिम्मेदारी होती है कि वह जनता को चेतनशील बनाने का निरंतर प्रयास करे । इस पूरे आंदोलन में जनता की चेतना इतनी भर दी कि देश से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल कानून लाना हैं । इसके लिए वे मै अन्ना हूँ लिखी हुई टोपी लगा कर सड़कों पर आ गए ।

अन्ना के आंदोलन में भीड़ जुटी, लेकिन सोचने की बात है कि राजनीतिक पार्टियां रैली करती हैं, भारतबंद का आहवान करती हैं उनमें भी अत्यधिक भीड़ जुट जाती है लोग सड़कों पर आ जाते हैं, फिर राजनीतिक पार्टियों द्वारा जुटाई गई भीड़ और अन्ना के साथ आई भीड़ में क्या अंतर था । इन दोनों में काफी समान्ता है और कुछ अंतर भी हैं । रैलियों में जो जनता इकट्ठी होती है वह येन केन प्रकारेण पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा मैनेज की हुई होती है । वह पार्टी के लिए अपना हित साधने के लिए एक टूल की तरह होती है । अन्ना आंदोलन में भी ऐसा हुआ । केजरीवाल की एन.जी.ओ. टीम ने ही नहीं बी.जे.पी. तक ने अगस्त 2011 (जो इस आंदोलन का सबसे सफल दौर था) में भीड़ मैनेज की । लेकिन इसमें एक अंतर था । इस मैनेज की गई भीड़ में एक हिस्सा वह भी था जो स्वतः स्फूर्ती इसमें शामिल हुआ था । उसमें सामाजिक सरोकार की भावना थी । आज भले ही वह इसी भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा है लेकिन उसे लगा था कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है और समाज में कुछ बदलाव आ सकता है । लेकिन केजरीवाल और उनकी एन.जी.ओ. टीम इस जन भावना को कुशल राजनीतिज्ञ की तरह अपने हित में इस्तेमाल कर ले गई ।

यह आंदोलन भ्रष्टाचार के विरूद्ध था । इस बात का जबर्दस्त प्रचार किया गया था कि लोकपाल बन जाने से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा । केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के नेता अभी चैनलों पर यही बात कहते हैं कि अगर लोकपाल बन गया तो सारे भ्रष्टाचार जेल में होंगे इसी लिए कोई भी सरकार इतने दिनों से लोकपाल नहीं ला रही है । यह ठीक है कि चालीस साल से अधिक समय गुजरने के बावजूद अभी तक लोकपाल विधेयक पास नहीं हुआ है लेंकिन इस बात का यह मतलब नहीं है कि लोकपाल से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा । दरअस्ल सरकार इस तरह का कोई भी कानून हो वह उसे तब तक टालती है जब तक टाल सकती है । सूचना का अधिकार इसका एक उदाहरण है । यह बनने के बाद दो साल में ही निष्प्रभावी हो गया लेकिन सरकार ने सूचना का अधिकार कानून भी लम्बी लड़ाई के बाद ही दिया।

सवाल यह है कि जब लोकपाल विधेयक 27 दिसम्बर 2011 को लोकसभा से पास हो गया और राज्य सभा में पास होना था तो केजरीवाल ने राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की क्योंकि ? ठीक है उन्होंने जो जनलोक पाल बिल ड्राफ्ट किया था वैसा लोकपाल नहीं बन रहा था तो वे जनांदोलन करते , संघर्ष के लिए नई रणनीति बनाते उन्हें लगता है वे चुनाव में उतर कर वे बहुमत हांसिल कर लेंगे और सत्ता पर कब्जा कर मन चाह लोकपाल बना लेंगे ? अरविंद केजरीवाल भी इतने बेवकूफ नहीं हैं जो ऐसा मुगालता पाल लें । दरअस्ल वे सत्ता में भागीदारी चाहते हैं और वे अच्छ तरह समझते हैं कि गठबंधन की राजनीति में आज कोई पार्टाी पंाच-दस सीट भी निकाल ले तो राजनीति में अपनी कुछ तो हैसियत बना ही लेती है । अन्ना हजारे बार-बार कह भी रहे हैं, अरविंद की महत्वाकांक्षा ने आंदोलन तोड़ दिया । यह नहीं कहा जा सकता कि केजरीवाल शुरू से राजनीतिक सत्ता में भागीदारी की आकांक्षा पाले थे परन्तु यह स्पष्ट पता चलता है कि 2011 अंत होते होते उन्होंने यह तय कर लिया कि उन्हें सत्ता में भागीदारी चाहिए । शायद अगस्त 2011 के माहौल ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया । उसके बाद फिर लोकपाल एक बहाना बन कर रह गया। वरना प्रधानमंत्री के या सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायधीश के

लोकपाल में शामिल करने या न करने से कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है । राजनीति या न्यायपालिका या समाज का सारा भ्रष्टाचार इनके द्वारा हो तो नहीं होता है । आजतक चैनल पर केजरीवाल व मणिशंकर अय्यर के साथ कुछ दूसरे नेता परिचर्चा में शामिल थे । लोकपाल के बारे में केजरीवाल से पूछा गया तो उन्होंने यही कहा था कि बाकी सब ठीक है लोकपाल में एक ही कमी है , सीबीआई को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर लोकपाल में शामिल कर लिया जाए । अय्यर ने उनसे सवाल किया था कि यह तो बताओ यह कैसे किया जा सकता है । दुनियां के किसी भी देश में ऐसा है कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सरकार के नियंत्रण मेन हो ।

देश में जब एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले खु रहे थे, भ्रष्टाचार ने देश की जनता में एक निराशा का भाव भर दिया था तब तमाम एन.जी.ओ. लोकपाल बिल पास कराने व भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए सामने आए । यह अस्वाभाविक भी नहीं है। आज शासक वर्ग ने व्यवस्था में हर जगह एन.जी.ओ. की भूमिका तय कर रखी है । जनता को कुछ फौरी सहूलियतें देने से लेकर किसी भी तरह के सुधार वादी काम के लिए एन.जी..ओ. अपनी भूमिका निभाते हैं हांलाकि इसके बदले वे अधिकांश फंड भी हड़प लेते हैं ।

आज समाज में दिन प्रतिदिन आम आदमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शासक वर्ग के लिए यह जरूरी है कि वह समाज में निरन्तर सुधार का एक भ्रम फैलाए रहे कि समाज को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा रहा है । इसकी जिम्मेदारी एन.जी.ओ. को दे दी गई है । टी.वी. चैनलों पर बहस करने से लेकर आंदोलन करने जेसे काम एन.जी.ओ. ही कर रहे हैं । जब एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे तब तमाम एन.जी.ओ. ने महसूस किया कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए लोकपाल जैसा कानून बनवाने का अब सही समय आ गया है । यह कुछ मौके होते हैं जब उन्हें अपने आप को समाज सेवक कल्याणकारी संस्था के रूप स्थापित करने का मौका मिलता है । इसका मुख्य फायदा यह होता है कि इससे उन्हें अपनी छवि बनाने में सुविधा होती है और उसके बाद अपना मुख्य धंधा यानी

फंडिंग में आसानी हो जाती है । भले ही सूचना का अधिकार कानून बनने के बाद ही निष्प्रभावी हो गया परन्तु उसने ही अरविंद केजरीवाल को मैग्से से दिलवा दिया निश्चित ही इससे तमाम विदेशी फंडिंग एजेंसियों से उन्हें लाखों डालर फंड हांसिल करने में सुविधा मिली होगी ।

एन.जी.ओ. हमारे लोकतंत्र का पांचवा स्तम्भ हैं उन पर शासक वर्ग व पूंजीपतियों को पूरा भरोसा है । आज केजरीवाल और उनकी एन.जी.ओ. टीम कुछ भी करे पूंजीपतियों का उन्हें पूरा सहयोग मिलता है । अप्रेल 2011 में जब अन्ना पहली बार अनशन पर बैठे तो 8287668 रू. (14 अप्रेल टाइम्स आॅफ इण्डिया) इकट्ठे हुए। इनमें से 25 लाख जिंदल एल्मिनियम 16 लाख सुरेन्द्र पाल सिंह (उद्योगपति) 5 लाख राम्की 3 लाख आयशर ने दिए हैं । आॅडिट रिपोर्ट के अनुसार 1 अप्रेल 2011 से 30 सितम्बर 2011 तक इंडिया अंगेस्ट करप्शन को 2.94 करोड़ का दान (जिसमें रामलीला मैदान में मिला 1.14 करोड़ रूपये भी शामिल हैं) मिला है । अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने भ्रष्टाचार के विरूद्ध लोकपाल बनवाने के लिए लड़ाई शुरू की थी । अब वे कह रहे हैं कि वे व्यवस्था बदलने के लिए राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं । अगर वे कहें कि देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तभी भी पूंजीपति उन पर विश्वास करेंगे ।

किसी भी आंदोलन को आगे ले जाने में नेतृत्व की अहम भूमिका होती है। अगर नेतृत्व गलत होगों के हाथ में है तो कोई आंदोलन सही जगह नहीं पहुंच सकता। नेतृत्वकारियों की ईमानदारी, प्रविबद्धता व आंदोलन के बारे में सही समझ ही उसे मुकम्मल मुकाम तक पहुंचाती है । इस आंदोलन की नेतृत्वकारी टीम में जो लोग थे उनमें से अधिकांश निजी स्वार्थ के तौर पर ही उससे जुड़े थे और उनके कोई गहरे सामाजिक सरोकार नहीं थे । अपे्रल 2011 में तीन तीन की अन्ना की अनशन के बाद ही बाबा राम देव का बिना किसी स्पष्ट कारण के अलग हो जाना । अध्यात्मिक प्रवचन के अलावा रवि शंकर का कोई सामाजिक सरोकार नहीं हैं । जहां तक कि अरविंद केजरीवाल किरनबेदी , मनीष सिसोदिया, शांतिभूषण आदि की भी

ऐसी कोई सामाजिक प्रतिबद्ध प्रष्ठभूमि नहीं रही है । अरविंद केजरीवाल ने सूचना का अधिकार कानून बनवाने के लिए कोशिश की थी इसके अलावा तो उनका कोई सामाजिक सरोकार नहीं है । वे भी ऐसे ही एक एन.जी.ओ. चला रहे हैं जैसे दूसरे लोग चलाते हैं । किरण बेदी प्रथम महिला आई.पी.एस. हैं और उन्होंने एक बार इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली थी। वे दो एन.जी.ओ. चलाती हैं और उनके ऊपर एन.जी.ओ. में भ्रष्टाचार करने के आरोप भी लगे हैं । शांतिभूषण पर भी जमीन की खरीद से सम्बन्धित आरोप लगे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज एन.जी.ओ. के क्षेत्र में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है और ये लोग एन.जी.ओ. को लोकपाल के दायरे में जाने के सख्त विरोधी हैं । ऐसा पहली बार हुआ कि एक एन.जी.ओ. जैसे भ्रष्ट क्षेत्र से जुड़े लोग एक कानून बनवाने के लिए इकट्ठे हुए और मीडिया ने उन्हें क्रांतिकारी घोषित कर दिया लोकपाल की मांग को आजादी की दूसरी लड़ाई घोषित कर दिया । अगर हम समाज में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि जिसे हम बदलना चाहते है और बदलकर जो हम लाना चाहते हैं उसके बारे में हमारी समाज पूरी तरह स्पष्ट हो । इस पूरे आंदोलन का वैचारिक पक्ष बहुत कमजोर रहा बल्कि कहना यह चाहिए कि आंदोलन ने अपना कोई वैचारिक पक्ष रखा ही नहीं। समय समय पर अन्ना गांव के सामंती सोच रखने वाले मुखिया जैसी सोच प्रकट करते रहें हैं । उन्होंने अपने गांव रालेगा सिद्दि में जो कम किए हैं वे भी कुछ ऐसे ही हैं। जाति जाति व्यवस्था के मामले में भी वे ऐसी ही समझ रखते हैं । वे कभी मोदी की तारीफ करते हैं तो कभी राहुल गांधी की । हमें आज तक नहीं मालूम कि वे भ्रष्टाचार के बारे में क्या समझते हैं और किसे भ्रष्टाचार मानते हैं ।

किरण बेदी और अरबिंद केजरीवाल अगर उनकी ही भाषा में कहा जाए तो कुशल नेताओं की तरह बहुत ही शातिर हैं । पहले ये लोग यही कहते थे कि वे भ्रष्टाचार के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं । लोकपाल के बाद वे राइट टू रिकाॅल , राइट टू रिजेक्ट की लड़ाई लड़ेंगे । अब जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी बना ली है तब वे कहने लगे है कि वे व्यवस्था परिवर्तन की लडाई लड़ रहे हैं । उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है - स्वराज । वे कहते हैं यह उनकी पार्टी का मैनिफैस्टो है । इस

किताब में हद दर्जा बेवकूफी की बाते हैं । यह पुस्तक हमें जमीदारों के युग में ले जाती हैं । यह पुस्तक ग्राम पंचायतों को मजबूत व शक्ति सम्पन्न करने की बात करती है। यह पुस्तक कहती है कि ग्राम सभाओं को योजनाओं में बांधकर पैसा न दिया जाए मुक्त फंड के रूप में दिया जाए । गांव वाले ग्राम सभाएं कर के तय करेंगे कि पैसा कैसे खर्च करना है । इस पुस्तक में पृष्ठ 32 पर लिखा है -

कुछ लोगों का मानना है कि अगर सीधी-सीधे ग्राम सभाओं को मुक्त फंड आएगा तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है । तो हमने पूछा कैसे गलत इस्तेमाल हो सकता है ? तो कुछ लोगों ने कहा कि मान लीजिए ग्राम सभा को तीन करोड़ रूपया ऊपर से आया है और मानी लीजिए ग्राम सभा में बैठकर सभी लोग कहंे कि हम तीन करोड़ रूपए का कुछ नहीं करेंगे, हम आपस में बांट कर खांएंगे । तो इसमें क्या बुरा है ? ठीक है बांटकर खा लेने दो । अगर सारा गांव बैठकर यह निर्णय लेता है कि हम इस पैसे को आपस में बांटकर खाएंगे तो खा लेने दो । अभी इस पैसे को कौन खाता है ? अधिकारी खाते हैं, नेता खाते हैं, बी.डी.ओ. खाता है, तहसीलदार खाता है, कलक्टर खाता है, अगर गांव के सारे लोग मिलकर उस सारे पैसे को बांट लें तो क्या हर्ज है ? सीधे - सीधे जनता तक तो पहुंचेगा पैसा ।

पुस्तक में आगे लिखा है - दूसरा दुर्पयोग ये हो सकता है कि सरपंच ग्राम सभा ही न बुलाए । गांव के लोगों के झूठे हस्ताक्षर कर ले और सारा का सारा मुक्त फंड का पैसा खा जाए । ये बिलकुल हो सकता है । लेकिन आज भी तो यही हो रहा है । भई गांव में पैसा मुक्त फंड में आए या बिना मुक्त फंड में आए अगर भ्रष्ट सरपंच होगा तो वो तो पैसा खा ही लेगा । अगर योजनाओं में पैसा आता है तो भी वह पैसा खाता है । अगर बिना योजनाआंे के पैसा आएगा तो भी वह पैसा खाएगा । तो सरपंच को तो पैसा खाना ही है ।

यह है केजरीवाल का स्वराज । पूरी पुस्तक में ग्राम सभाएं बनाने की ऐसी ही कहानियां लिखी हैं । आगे एक कहानी लिखी है कि एक बेहद पिछड़े गांव में गांव

वालों ने एक लड़के को सरपंच बना दिया और उस पढ़े लिखे ईमानदार सरपंच लड़के ने कैसे गांव की काया पलट कर दी ।

केजरीवाल को या तो गांवों की स्थिति मालूम नहीं है या वे जानबूझ कर मक्कारी कर रहे हैं । अभी ग्राम सभाओं को कोई विशेष अधिकार नहीं है तब तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली स्थिति है । अगर केजरीवाल का स्वराज्य आ गया तो गरीब और दलित तो दबंगों के बंधुआ मजदूर ही हो जाएंगे ।

भ्रष्टाचार और उसका समाधान

जहां भ्रष्टाचार को लेकर समाज में बहस छिड़ गई है वहीं एक बहस यह भी चल रही है कि क्या भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है अथवा उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है ? भ्रष्टाचार के नाम पर पिछले दो वर्षों से जो अनशन प्रदर्शन हुए हैं उसके बाद यह सवाल और तीखा होकर उभरा है । अरविंद केशरीवाल ने मीडिया व इंटरनेट के जरिए इस बात का काफी प्रचार किया है कि अगर लोकपाल बन जाए तो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा । सारे नेता और अधिकारी जेल में होंगे । इन्हीं लोगों ने सात साल पहले जब सूचना का अधिकार कानून बना था तब कम्पेन चलाया था कि अब शासन-प्रशासन में पूरी पारदर्शिता आ जाएगी उसके बाद भ्रष्टाचार सम्भव ही नहीं हो सकेगा । अब यह तो एकदम तय है कि कानून बनाकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता । भले ही वह लोकपाल जैसा कानून ही क्यों न हो । भ्रष्टाचार व्यवस्था के मूल में है और वह उसका जरूरी हिस्सा है । कोई भी कानून व्यवस्था के अन्दर ही बनेगा और व्यवस्था खुद भ्रष्टाचार के साथ उसे एडजस्ट कर लेगी ।

कुछ लोग वर्तमान व्यवस्था से इतने तंग आ गए हैं कि वे समाधान प्रस्तुत करते हैं कि यह देश लोकतंत्र के लिए तैयार ही नहीं हुआ था । उनके हिसाब से अगर देश में तानाशाही हो जाए तो सारी व्यवस्था सुधर जाएगी । लोकतंत्र कितना ही बुरा हो पर तानाशाही से लाख गुना अच्छा है ।

कुछ यथास्थितिवादी लोग हैं जो सोचते हैं कि कुछ नहीं बदलने वाला है। समाज में जैसे भ्रष्टाचार चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा ।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए पहले यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार क्यों है ? भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए पहली चीज तो यह समझनी है कि

भ्रष्टाचार व्यवस्था के मूल में है और व्यवस्था में परिवर्तन किए बिना भ्रष्टाचार से मुक्ति सम्भव नहीं है । जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि पैसा समाज का सबसे बड़ा मूल्य बन गया है । पैसा सबसे बड़ा साध्य भी है । पैसे का दर्शन है पैसा , और पैसा इतना पैसा जिसकी कोई सीमा न हो । तो सबसे पहले हमें यह सोचना होगा कि पैसे के इस दर्शन को कैसे तोड़ा जाए ।

जैसा कि हम जानते हैं व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें हैं - रोट, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा । इसके बाद अपना व बच्चों का भविष्य । आज के समय में ये जरूरतें पैसे से पूरी होती हैं और वर्तमान व्यवस्था ने व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दिया है कि अगर उसमें क्षमता है तो जैसे भी है वह खुद पैसा कमाए और खुद अपनी जरूरतों को पूरा करें । वर्तमान में हर व्यक्ति की अपनी क्षमता के अनुसार पैसा कमाने की एक सीमा है । बिना नियम कानूनों को तोड़े एक निश्चित सीमा से अधिक पैसा नहीं कमाया जा सकता । एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तो बात ही छोड़ दीजिए एक आई.ए.एस. भी ईमानदारी से काम करे तो जीवन में वह मकान बनवाने, बच्चाोें को अच्छी शिक्षा दिलवाने , अपने परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलवाने के बाद एक मध्यम वर्गीय परिवार से अधिक की हैसियत नहीं बना सकता ।

इसलिए राज्य व्यवस्था का यह दायित्व होना चाहिए कि वह अपने नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें । स्वास्थ्य व शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए । देश के सभी नागरिकों को समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए । प्राइवेट शिक्षण संस्थानों पर पूरी तरह रोक होनी चाहिए । इसी तरह स्वास्थ्य सुविधाओं से भरपूर अस्पताल सरकार को खोलने चाहिए । सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षमता के अनुसर देश के हर नागरिक को रोजगार उपलब्ध कराए ।

पूरी प्रशासनिक व्यवस्था , सरकारी मशीनरी, न्याय पालिका की जवाबदेही तय हो । पूरे सरकारी तंत्र की जवाब देही तय किए बिना भ्रष्टाचार को रोकना किसी

प्रकार भी सम्भव नहीं है । जवाब देही पूरी न होने की स्थिति में दण्ड का प्रावधान होना चाहिए ।

जनता का जो पैसा है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए । जैसे अस्पताल , ब्लाॅक, तहसील, जिलाधिकारी कार्यालय में जो बजट आता है वह हर माह स्पष्ट होना चाहिए कि कितना बजट आया और वह कैसे खर्च किया गया है । कार्यालय के बाहर यह सूचना उपलब्ध होनी चाहिए।

गैर कानूनी तरीके से धन कमाना बड़ा अपराध घोषित किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी और व्यवसाइयों को अपनी सम्पत्ति व आय के स्रोत घोषित करने चाहिए । इस बात को कोई मतलब नहीं है कि अवैध सम्पत्ति पर टैक्स वूसल कर छोड़ दी जाए । अवैध सम्पत्ति जब्त की जानी चाहिए और भविष्य में ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही का प्रावधान होना चाहिए । उसके लिए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया जाना चाहिए । इस टास्क फोर्स को सम्पत्ति के बारे में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का अधिकार होना चाहिए किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति के बारे में पूछताछ के लिए किसी को भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए । टास्क फोर्स को पूछताछ करने का अधिकार होना चाहिए पर इस बात का ध्यान रख जाना चाहिए कि वे बिना वजह किसी को उत्पीड़न न करें । देश के नागरिकों की भलाई के बारे में सोचने की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य व्यवस्था की होनी चाहिए । एन.जी.ओ. और ट्रस्ट चलाने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए । दरअस्ल एन.जी.ओ. और ट्रस्टों के नाम पर देश में लूट मची हुई है । कुछ अपवादों को छोड़कर ट्रस्ट और एन.जी.ओ. के नाम नेता व अधिकारियों के घर वाले व कुछ शातिर किस्म के लोग जबर्दस्त भ्रष्टाचार में लिप्त हैं । इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबा रामदेव हैं जिन्होंने ट्रस्टों के माध्यम से अरबों - खरबों की सम्पत्ति कुल दस-बारह साल में ही खड़ी कर ली ।

धार्मिक भ्रष्टाचार भी कोई छोटा-मोटा भ्रष्टाचार नहीं है । जिसके पीछे भी हजार दो हजार लोग इकट्ठे हो गये हैं । वह अपना गोरखधंधा चला रहा रहा है । यह

भ्रष्टाचार सबसे खतरनाक इसलिए है कि लोगों कि चेतना को कुंदकर समाज को पीछे ले जाता है । इस गोरखधंधे में जो लूट है वह मामूली नहीं है । जैसे सौ पूंजीपतियों के पास देश की 25% सम्पत्ति है वैसे ही 100 बाबा या स्वयं भू भगवानों की सम्पत्ति इकट्ठी कर ली जाए और मंदिरों की कीमती सम्पत्ति उसमें मिला ली जाए तो उससे पूरे देश की गरीबी दूर हो जाएगी । इसलिए यह बेहद जरूरी है कि धार्मिक भ्रष्टाचार के लिए सख्त कानून होना चाहिए । कोई भी व्यक्ति कृपा बांटने के बदले पैसा इकट्ठा करता है मतलब धर्म के नाम पर किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि संचालित करता है तो उस पर रोक होनी चाहिए । चमात्कार करने वालों की जांच होनी चाहिए ।

दरअस्ल हर क्षेत्र में इतना अधिक भ्रष्टाचार है कि कई तरह की जांच एजेंसियां बनाए बिना और पूरी सरकारी मशीनरी में परिवर्तन किए बिना भ्रष्टाचार नहीं रूक सकता । पुलिस और न्याय व्यवस्था में विशेष तौर पर परिवर्तन करने की आवश्यकता है ।

जैसे कि हम जानते हैं सबसे अधिक भ्रष्टाचार कार्पोरेट क्षेत्र में है । दरअस्ल कार्पोरेट का भ्रष्टाचार पूरे समाज के भ्रष्टाचार को प्रभावित करता है । दरअस्ल 1990 के बाद जो खुली अर्थ व्यवस्था अपनाई गई है उसके बाद एक के बाद एक, भ्रष्टाचार के रूप में तमाम तरह के घोटाले सामने आए हैं परन्तु कार्पोरेट का भ्रष्टाचार उतना ही पुराना है जितना कार्पोरेट । अगर कार्पोरेट का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो समाज में तमाम तरह के भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएंगे । मसलन कार्पोरेट, राजनीति व प्रशासन में भ्रष्टाचार का बड़ा कारण है । ये टैक्स चोरी करते हैं । मजदूरों का हक मारते हैं । सरकारों से अपने हक में पालिसी बनवाने के लिए उन्हें चुनाव में व पार्टी को चंदा देते हैं । नौकरशाही को नियंत्रित करने के लिए वे करोड़ों रूपए दलालों को देते हैं जिन्हें वे लाबिस्ट कहते हैं । यानी अपने इन दलालों के माध्यम से कार्पोरेट राजनीति प्रशासन मीडिया आदि तमाम क्षेत्रों को भ्रष्ट करते हैं । दरअस्ल कार्पोरेट का अपने पूंजी के सम्राज्य को अधिक से अधिक

फैलाने का जो लक्ष्य है वह इन भ्रष्ट हथखंडों पर ही टिका है कॉर्पोरेट के इस भ्रष्टाचार को व्यवस्था द्वारा खुली छूट मिली हुई है । इगर कॉर्पोरेट की इस छूट को किसी कानून से रोका भी नहीं जा सकता । क्योंकि जो भी कानून बनेगा वो इस लूट के साथ समायोजित करते हुए ही बनाया जाएगा ।

कॉर्पोरेट का भ्रष्टाचार समाप्त करने का एक ही तरीका है कि पूरे कॉर्पोरेट जगत का समाजीकरण किया जाए । उसके बाद उसका ओरिएंटेशन किया जाए । यानी अंध धुंध फालतू चीजे बनाने के बजाए सिर्फ वे ही चीजें बनाई जाएं जिनकी समाज को जरूरत है । यानी चीजें मुनाफा कमाने और कॉर्पोरेट साम्राज्य खड़ा करने के लिए न बना कर समाज की जरूरत के लिए बनाई जानी चाहिए । इससे भ्रष्टाचार ही नहीं देश की तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी । लॉबिस्ट जैसे दलालों की जरूरत नहीं रहेगी । राजनीति व प्रशासन और कॉर्पोरेट का जो भ्रष्ट गठबंधन है वह समाप्त हो जाएगा । देश की अधिकांश पूंजी पर मुट्ठी भर लोगों का अधिकार समाप्त हो जाएगा तो देश की 70% भूखी-नंगी जनता की समस्या हल हो जाएगी । जब गैर कानूनी सम्पत्ति इकट्ठी करना बड़ा अपराध बन जाएगा और उसका टैक्स न भरकर उसे राजकोष में जमा कर लिया जाएगा तो लोग सम्पत्ति इस तरह इकट्ठी नहीं करेंगे और करेंगे भी क्यों शिक्षा , स्वास्थ्य, रोजगार की जिम्मेदारी राज्य व्यवस्था की होगी । पैसा जो आज के समय में सबसे बड़ा मूल्य बन गया है वह सामाजिक मूल्य की हैसियत खो देगा । फिर अच्छे समाजिक मूल्यों की स्थापना हो सकेगी । समाज के समाने भ्रष्ट तरीके से अधिक से अधिक पैसे कमाने का लक्ष्य नहीं रहेगा तो राजकोष की सम्पत्ति समाज के विकास में योगदान दे सकेगी ।

यही व्यवस्था परिवर्तन है और बिना इस व्यवस्था परिवर्तन के किसी भी तरह भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता । कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि केजरीवाल और रामदेव, लोकपाल और कालेधन की बातें करते-करते अब जनता में इस बात को दोहराने लगे हैं कि पूंजीपति इस देश को चला रहे हैं और उनका

राजनीति से गहरा सम्बंध है । क्योंकि समाज में यह बात स्पष्ट से हो गई है इसलिए उनके लिए यह कहना जरूरी सा हो गया है है जहां तक कि वे एक और भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि वे कुछ कानूनी बदलाव की बातें कर रहे हैं । इसमें मूल व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आएगा और भ्रष्टाचार का यह कारोबार अनवरत चलता ही रहेगा जब तक कि मूल व्यवस्था यानी कॉर्पोरेट के भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जाएगा ।

************** समाप्त ****************